राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथमसत्र का 46 सवां दिवस [संख्या 18

गुरुवार,

दिनांक 4-5-1972

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खाद्य, खनिज, विद्युत्, समाज कल्याण, चिकित्सा, राजस्व, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, श्रम, चुनाव, पुनर्वास, पंचायत, परिवार नियोजन, यातायात विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती मदनकौर।

सहकारी समितियों को खाद्य वितरण का ठेका

272. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. गत पांच वर्षों में तहसील बाड़मेर (राजस्व सर्कल गिड़ा) और पचपदरा तहसील में कितनी सहकारी समितियों को सस्ता खाद्यान्न वितरण करने का ठेका दिया गया था? कृपया सहकारी समितियों के नाम सदन की मेज पर रखें।

2. क्या इन सहकारी समितियों के खाद्यान्न के ट्रांसपोर्ट करने सम्बन्धी बिल जिला कार्यालय बाड़मेर में पेण्डिंग हैं? यदि हां, तो किस किस सहकारी समिति की कितनी कितनी रकम बकाया है? विस्तृत सूची कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

3. क्या यह सही है कि गत पांच वर्ष की अवधि में कुछ व्यक्तियों या व्यापारियों को निजी तौर पर सस्ता खाद्यान्न वितरण करने का ठेका दिया गया था? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों का और किन किन गांवों को?

4. क्या इन व्यक्तियों के भी अनाज का ट्रान्सपोर्ट करने सम्बन्धी बिल का चुकारा करना शेष है? यदि हां, तो किस किस का और कितनी कितनी रकम का?

खाद्य मंत्री (श्री ओंकारलाल): 1. दोनों तहसीलों में प्रत्येक में ग्यारह सहकारी समितियों को ठेका दिया गया था। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

2. जी नहीं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

4. जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग 2 और 4 में मंत्री महोदय ने

Page No 2

(श्री मती मदन कौर)
उत्तर दिया है, 'नहीं'। मैं यह जानना चाहती हूं कि नम्बर 2 में मैंने प्रश्न किया है, कितनी सहकारी समितियों की रकम बकाया है ? बहुत सारी ऐसी समितियां हैं, जिनकी बकाया है। पांच, सात तो मेरी जानकारी में हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने यह गलत जवाब क्यों दिया है ?

श्री औंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया है, जितनी सहकारी समितियों की इन्फार्मेशन मुझे प्राप्त हुई है, उसका उत्तर दिया है।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, सौरा, खोरा, हीरा की ढाणी आदि चार समितियों की रकम बकाया है। वे लोग बार बार चक्कर लगा रहे हैं। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि बकाया नहीं है। यह जवाब गलत है। मैं चाहती हूं कि जो गलत जवाब दिया है, उन लोगों पर कार्यवाही को जाये।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य वहां से आई हैं, उनका आंखों देखा हाल है। यह इतना गलत जवाब देने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री औंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना आई है, उसी के आधार पर यह जवाब दिया है। मैं इसकी और जानकारी करवाऊंगा।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : मान लीजिये, यह जो जवाब आया है, गलत है। तो क्या आप जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री औंकारलाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

जायल तहसील को खड्डी की खान का ठेका

273. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नागौर जिले की जायल तहसील के गांव खेराट में क्या खड्डी की खान है ? यदि हां, तो आजकल उसे कौन आपरेट करता है तथा किन शर्तों पर यह ठेका किसके द्वारा कब, किस समय तक का दिया हुआ है एवं कौन से खसरा नम्बरों में से यह खड्डी खोद सकता है ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री जुझारसिंह) : जी हां।

सर्वश्री फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया, लि. द्वारा आपरेट की जाती है। नियमित खनन पट्टा स्वीकार नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा केवल वर्किंग प मीशन दी गई है, जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं :–

(क) पार्टी, 1.25 पैसे प्रति टन, व जब कभी इस दर में संशोधन होगा तो संशोधित दर से अधिशुल्क देगी।

(ख) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया इस खड्डी (जिप्सम) को अपनी फैक्ट्री में ही खाद निर्माण में काम में लायेगी व वह खड्डी जो निगम के लिए अनुपयुक्त होगी, उस पर राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार होगा।

(श्री झुझार सिंह)

इस परमिशन की अवधि में समय पर वृद्धि की गई है। वर्तमान अवधि दि. 30–6–72 को समाप्त होगी। क्षेत्र की विवरण सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामसिंह कुडी : मैंने आप को पूछा था कि कौन कौन से खसरा नम्बर में से खड्डी खोद सकता है। इसमें खसरा नम्बर नहीं है।

श्री जुझारसिंह : जो सूची आप को मिली है, उसमें नहीं है।

श्री रामसिंह कुडी : नहीं। कलेक्टर ने यह किया है। गांव वालों से जो शर्त की थी, उस लिखित शर्त को छोड़ कर यह किया गया है। पौने दो लाख रूपया लगा कर तालाब खुदवाया है। वहां गांव वालों को पानी की कठिन समस्या है। जब तक सरकार उनको पावन्द नहीं करे, वह तालाब के स्थान पर नहीं खोदे। पक्का तालाब है। वहां 6 महीने तक लोगों को पानी नहीं मिलता है। बहुत ही गरीब गांव है, ऐसी हालत में ऐसी व्यवस्था करें कि उस तालाब में पानी आने की जितनी जमीन है, उसको खोदने का काम बन्द करायें।

श्री जुझारसिंह : इसमें गांव वालों को किसी प्रकार की दुविधा हो तो वह डिफाइन कर दी जायेगी।

श्री रामसिंह कुडी : मैं चाहता हूं जिस जमीन से तालाब में पानी आता है, वहां की खुदाई बन्द करवा दी जाये।

श्री जुझारसिंह : जो एरिया एलाटेड है उसमें ?

श्री रामसिंह कुडी : जिस भूमि से तालाब में पानी आता है।

श्री जुझारसिंह : यह खयाल रख लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुदयालसिंह।

कपास के कारखानों को बिजली

274. **श्री गुरुदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गजसिंहपुर-जिला गंगानगर में सरकारी क्षेत्र में लगाये गये कपास के कारखाने को इस वर्ष बिजली न दिये जाने का क्या कारण है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : गजसिंहपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के कपास के कारखाने को 250 एच.पी. का कनेक्शन 0-12-71 को स्वीकृत किया गया लेकिन सहकारी समिति द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं किये जाने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका था। इस वर्ष मार्च में कारखाने ने अपनी आवश्यकता 250 एच. पी. से कम करके 125 एच. पी. के लिए टेम्परेरी कनेक्शन की मांग की थी। यह कनेक्शन 3-4-72 को दे दिया गया है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : क्या यह सही है कि इस प्रश्न के बाद वह कनेक्शन दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं। सच यह है कि कारखाने की ओर से फार्मेलिटी पूरी नहीं की गई थी इसलिए नहीं दिया जा सका था।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : परमानेन्ट नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जब वह मांगेंगे, तो दे दिया जायेगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु: वह तो मांग रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने मांगा नहीं है वहां सीजन का काम होता है। इसलिए नहीं मांगा है। जब मागेंगे तो दे दिया जायगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : क्या यह सच है कि वहां जो दूसरा कारखाना वाला है, वह नहीं चाहता है कि यह कारखाना चले इस लिए नहीं दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं जवाब दे चुका हूं।

प्रश्न सं. 275

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह।

(अनपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरसिंह।

राजकीय अस्पताल नसीराबाद का भवन

276. **श्री शंकरसिंह** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एव स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद नगर में राजकीय अस्पताल है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अस्पताल का भवन किराये पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार अस्पताल के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) जी हां।

(2) जी हां। नवीन भवन निर्माण की प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

शिव तहसील के ग्रामों का विभाजन

277. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ग्राम सुन्दरा, हरसाणी, जैसिंहा गिराव एवं मेहूसर का क्षेत्रफल कितना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ग्रामों के विभाजन करने की कार्यवाही कब से विचाराधीन है ? तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) उक्त ग्रामों का विभाजन अब कब तक कर दिया जायेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) क्षेत्रफल निम्न अनुसार है:-

(1) गिराव-2,50,404 बीघा

(2) हरसाणी 2,73,334 बीघा

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(3) सुन्दरा-8, 29,611 बीघा
(4) मेदूसर-1 98,817 बीघा
(5) जयसिंघ-2,47,222 बीघा

(2) विभाजन की कार्यवाही दिनांक 8-12-57 से विचाराधीन चल रही है। यह मामला पुनर्सीमा निर्धारण कमेटी के पास विचाराधीन था। समिति द्वारा कुछ आवश्यक सूचना जिलाधीश बाड़मेर से चाही गई थी चूंकि यह सूचना विस्तृत थी अतएव समय लगना स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त जनगणना कार्य की वजह से भी प्रशासनिक इकाइयों में हेरफेर जुलाई, 1969 के पश्चात् न करने के आदेश दिये गये थे जनगणना का कार्य अब 1971 में समाप्त हुआ है।

(3) बहुत शीघ्र ही गांवों के विभाजन की विज्ञप्ति जारी होने वाली है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : विभाजन की कार्यवाही की स्वीकृति हो चुकी है और इसका नोटिफिकेशन ब इश्यू किया जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी आदेश हुआ है और जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी हो जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जल्दी ही से इसका मतलब क्या है, दो दिन, तीन दिन, अब क्या कठिनाई है। विभाजन की कार्यवाही की स्वीकृति हो चुकी है फिर डिले का क्या प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव !

सवाई मानसिंह अस्पताल में मुफ्त दवाइयां व अन्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था पर खर्च की गई राशि

278. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल में मुफ्त दवाई व अन्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान है ?

(2) सन् 1971-72 में कितने रोगियों ने सवाई मानसिंह अस्पताल से इलाज कराया और उन पर दवाई आदि का कुल खर्च कितना हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि दवा आदि के लिये पर्याप्त धनराशि का प्रावधान न होने के कारण रोगियों को दवाई, पट्टी व अन्य सामान बाजार से लाना पड़ता है ? यदि हां, तो इसमें सुधार की किस प्रकार से और कब तक व्यवस्था होगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) इस चिकित्सालय में निःशुल्क दवाइयां व अन्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था के लिये वित्तीय वर्ष 1971-72 में 7.99 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था।

(2) इस चिकित्सालय में वर्ष 1971-72 में आउटडोर विभाग में 5,88,853 तथा इनडोर विभाग में 312,011 रोगियों ने चिकित्सा प्राप्त की। इन रोगियों पर कुल खर्चा 8.51 लाख का हुआ।

(श्री हरिदेव जोशी)

(3) जी हां।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या राज्य सरकार ने प्रत्येक इनडोर बेड के हिसाब से दवा-खर्च देने का मापदण्ड बना रखा है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या आउट डोर के लिए कोई अलग से धनराशि निर्धारित कर रखी है।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह कितनी है ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कब तक बता देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी मैंने आफीसर्स की मीटींग बुलाई है, सारा रीआर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद डिसीजन लिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने जो इनडोर और आउटडोर दोनों को मिला कर 7.99 लाख बताया है। यह हास्पिटल के रिकार्ड पर है कि 5 लाख 95 हजार का बजट है। यदि हम देखें प्रति बेड के हिसाब से, तो जो आप कह रहे हैं वह नहीं किया है। सात रुपये प्रति बेड हो, वह 6 लाख 30 हजार हो जाता है, वह कम है। मेरा निवेदन है कि यह राशि कम दी जाती रही है। अब यह राशि देते हैं यह भी इनडोर में खर्च हो जाती है और आउटडोर वालों को मिलती नहीं है। तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान और रखने का विचार है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या कोई अस्पताल के लिए सलाहकार समिति बनाने की योजना है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, बनाई जा रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां पर रिकार्ड रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्या यह सत्य है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है ?।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सत्य है कि ओपन टेन्डर से दवा आदि ली गई है कम्पनी से......

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सत्य हैं कि एक्सरे प्लेट का अभाव है अस्पताल में ? (विराम) यह अलग से प्रश्न नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री निरंजननाथ आचार्य।

Page No 7

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या बता सकते हैं, बैंडेज, गोज, काटन आदि—इन पर प्रति वर्ष कितना खर्च होता है ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग अलग आइटम का नहीं बता सकता । आप विराजिये, दो आदमी एक साथ खड़े नहीं रह सकते ।

मैंने निवेदन किया, कई इश्यू हैं, दवा का, और सारी चीजों का इनकी किस तरह से पुनः व्यवस्था करनी है—यह विचाराधीन है । एक मीटिंग होनी है उसमें इन क्वेश्चन्स पर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर विचार किया जायगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस वर्ष में ही हो जायगा ।

श्री हरिदेव जोशी : यह मैं नहीं कह सकता जब तक कि मैं आफिसर्स से डिस्कस न करलूं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतना आश्वासन तो दे सकते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आश्वासन देने में विश्वास नहीं करता, काम करने में विश्वास करता हूं । मैंने मीटिंग बुलाई है ।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पर इतना लम्बा टाइम ले लिया जाय, जब कि मंत्री महोदय कह रहे हैं, वह इसके सम्बन्ध में मीटिंग बुला रहे हैं फिर भी प्रश्न को इतना लम्बा कर दिया जाय तो दूसरे क्वेश्चन रह जाते हैं । दो चार क्वेश्चन के बाद में दूसरे प्रश्न स्थगित हो जाते हैं । यह पद्धति अपनाई तो मुश्किल हो जायगी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक मिनट तो आपने ही ले लिया ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनिट आपने ले लिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य ।

विश्राम गृहों का निर्माण

279. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अलवर एवं अन्य जिलों में सिंचाई विभाग द्वारा कुछ विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण भी किया गया ? यदि हां, तो उक्त विश्राम गृहों की सूची मय स्थान एवं धनराशि जो प्रत्येक पर खर्च की गई—दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखी जाए ।

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : जी नहीं । अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्राम गृह के नाम से कोई भवन नहीं बनाया गया किन्तु कुछ रेस्ट चौकी व इन्सपेक्शन हट्स बनाई गई हैं जिसकी सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रेस्ट चौकी और उनकी सूची आपने दी है, यह आरामगाह बनाये गये सिंचाई विभाग के द्वारा उनका कुल खर्च 21 लाख 85 हजार 382 है, क्या यह ठीक है ?

श्री मूलचन्द : आरामगाह और रेस्ट चौकी में अन्तर है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह उत्तर जाने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : अमाउन्ट जाने दीजिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा, आराम चौकी, रेस्ट का मतलब आराम, आराम चौकी पर 21 लाख 85 हजार 382 खर्च हुआ अकाल राहत काम में से, यह क्या ठीक है, रकम ?

श्री मूलचन्द : 1 लाख 69 हजार…

श्री निरंजननाथ आचार्य : 21 लाख 85 हजार 382–सबका जोड़ है, क्या यह जोड़ ठीक है, इतनी रकम ठीक है आपके खाते के अनुसार ?

श्री अध्यक्ष : सूची को सही मान कर चलना चाहिए, जहां तक जोड़ का ताल्लुक है :

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं टोटल चाहता हूँ, जो टोटल गवर्नमेंट के खाते में रहता है । इसको छोड़िये, दूसरा ले लीजिये । अकाल राहत कार्यक्रम में प्रायोरिटी किन कामों को दी जाती रही है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह अकाल राहत मंत्री से पूछिये ।

श्री मूलचन्द : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या हो गया ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह अकाल राहत मंत्री से सम्बन्धित है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने रेस्ट हाउस के बारे में पूछा आप इधर मुलाहिजा फर्माइये, अकाल राहत कार्यक्रम में प्रायोरिटी किसको दी जाती है ? उसमें रेस्ट हाउस है क्या ? अलग से क्या है ?

श्री मूलचन्द : रेस्ट हाउस नहीं है ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : तो कौनसे हैं फिर वह जिनको प्रायोरिटी दी जाती है ? वह कौनसे हैं ? किन कामों को कार्यक्रम में प्रायोरिटी दी जाती है यह नहीं है, आपके मौन का यह अर्थ मान लूं ।

श्री मूलचन्द : रेस्ट हाउस के नाम से अकाल राहत की मद से कोई काम नहीं किया गया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने फर्माया, रेस्ट हाउस नहीं हैं, यह सदन ने मान–लिया । इसके अन्दर कौनसे कामों को प्रायोरिटी दी जाती है जिन पर खर्च किया जाता है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): यह फेमिन डिपार्टमेंट बता सकता है ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह रेस्ट हाउस पर खर्च किया, यह रिलीफ में से किया ? सिंचाई विभाग कौन से कामों को प्रायोरिटी पर रखता है जिस पर खर्च किया जाय ? रेस्ट हाउस पर खर्च किया जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन्सपेक्टिंग स्टाफ और आफिसर रहते हैं, वह कार्य को देखने जाते हैं उनके लिए बनाया गया ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : उनके लिए बनाये गये, उसमें आप और हम भी ठहर जाते हैं । मेरा निवेदन यह है कि अकाल राहत कार्यक्रम का पैसा है उसमें से आराम हाउस पर लगाया, आपने यह कहा कि प्रायोरिटी में नहीं है, अब प्रायोरिटी में कौनसे हैं जिन पर आप खर्च कर सकते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रायोरिटी फेमिन रिलीफ डिपार्टमेंट तय करता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रुपया कहां से आया, अकाल राहत कार्यक्रम में से लिया गया या मंत्री महोदय से लिया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां । फेमिन रिलीफ से लिया गया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और किस आधार पर लिया गया, कब लिया गया, कब सेंक्शन ली गई ? पत्र-व्यवहार आपके पास है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह डिटेल्स आप पूछते तो बता सकता था । यह अलग से सवाल है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप क्या इसे उचित समझते हैं । 21 लाख में कई एनीकट्स बनते, तालाब बनते, सड़क बनती । अकाल राहत की धनराशि में से कर्मचारियों को आराम देने के लिए खर्च किया है, क्या आपकी मान्यता में यह उचित है ? यह कह दीजिये, उचित है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमारे पास से जो खर्च हुआ है वह 1 लाख 69 हजार 82 है । आपके पास 21 लाख कहां से आ गया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक लाख को छोड़ दीजिये, इस में न पड़िये । यह क्या उचित है, माननीय मंत्री महोदय, अकाल राहत के धन में से जब आपका मानना है; प्रायोरिटी एनीकट्स, तालाब वगैरह की है, मैं अचम्भे में रह जाता हूं, उस धन में से आरामघरों के लिए पैसा लिया जाता है, आप जो एक लाख रुपया बतला रहे हैं, वह लेना भी क्या ठीक है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन्सपेक्टिंग स्टाफ वहां ठहरेगा । अकाल का काम देखने के लिए सम्भालने के लिए ओवरसीअर और दूसरा स्टाफ ठहरता है, उसके लिए बनाये गये ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अकाल राहत के पैसे से बनाये जा सकते हैं या नहीं ? प्रश्न यह है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : लिये जा सकते है, तभी लिये गये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उन्होंने कहा, नहीं ले सकते, स्टेट मिनिस्टर ने कहा नहीं ले सकते ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : नहीं ले सकते ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं जानना चाहता हूं, अलवर जिले में भी कुछ इस तरह की खुराफात हुई है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलवर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अलवर के पास पास सिरस्का, बहुत अच्छा स्थान है, मधुमय स्थान है सिरस्का में तालाब है, वहां कोई विश्राम गृह है, उसमें सिंचाई विभाग से खर्च किया गया है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : फ्लड कंट्रोल से बनाया है, इसमें नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फ्लड कंट्रोल की रकम है उसमें से बनाया गया है। यह और दूसरा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : भीलवाड़ा जिले में कुछ बनाये गये थे डाक बंगले !

श्री अध्यक्ष : श्री रामचरण !

गऊ घाट से बडोरा व गऊ घाट से वपावर सड़कों का निर्माण कार्य

280. **श्री रामचरण** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की गऊ घाट से बडोरा व गऊ घाट से वपावर सड़कों को पक्का बनाने हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में काम लिया गया था ? यदि हां, तो दोनों सड़कों की एस्टीमेट की राशि अलग अलग बताने का कष्ट करें।

(2) क्या इन दोनों सड़कों के कार्य का ठेका किसी ठेकेदार को दिया है ? यदि नहीं, तो क्या यह कार्य डिपार्टमेन्टली चलाया गया है ? अगर ठेकेदार को यह ठेका दिया था तो उक्त कार्य पूरा करने की मियाद कितने माह की थी ?

(3) क्या इन दोनों सड़कों का कार्य चालू है ? यदि हां, तो कितना कार्य हो चुका है ?

(4) उक्त दोनों सड़कों के लिये 1970-71 व 1971-72 में अलग अलग कितनी कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी गई थी ? क्या उक्त समय में दी गई धनराशि उसी समय में खर्च कर दी गई थी ? यदि हां, तो एम. बी. के पेज नम्बर दर्शाते हुए वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, गऊ घाट में खानपुर वाया बडोरा तथा गऊ घाट से वपावर कि.मी. 1 से 3 के क्रमशः 3,25,500 तथा 97,300 रुपये के तखमीने स्वीकार किये गये हैं।

(2) जी हां, कार्य ठेकेदार को दिये गये हैं अवधि ठेका निम्न है :

गऊ घाट से बडोरा 1 से 6 कि. मी. माह 4

गऊ घाट से बडोरा 7 से 11 कि. मी. माह 4

गऊघाट से वपावर 1 से 3 कि. मी. माह 8

(3) जी हां। गऊ घाट से खानपुर तथा गऊ घाट से वपावर रोड पर क्रमशः 1,44,030.00 तथा 23,637.00 रुपये का कार्य हो चुका है।

(4) विवरण संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

Page No 11

श्री **रामचरण** : क्या कार्य अभी चालू है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : मेरी सूचना के अनुसार चालू है ।

श्री **रामचरण** : मंत्री महोदय, कार्य बंद पड़ा है, साल भर हो गया है ।

श्री **हरिदेव जोशी** : मैं देखूंगा कि क्यों बंद पड़ा है ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

तहसील सांचोर के अधूरे पड़े हुए छोटे बांध

281. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कई छोटे बांध अधूरे पड़े हैं ? अगर हां, तो कौन कौन से ? इनकी मंजूरी कब तक हो जावेगी तथा कार्य कब तक शुरू करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सरकार अधूरे बांधों को शीघ्र पूरा कराने का इरादा रखती है ? अगर हां तो इनका सर्वे कब तक हो जावेगा और कौन कौन से-बांध कब तक पूरे करा दिए जावेंगे ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें ।

(3) ग्रामीण क्रेश कार्यक्रम के तहत कौन से सिंचाई बांधों का कार्य किया जावेगा ।

(4) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम रणोदर सिंचाई बांध के लिए सिंचाई विभाग से मंजूरी हो चुकी थी ? अगर हां, तो कब व कितनी ? तथा यह कार्य कब तक शुरू करा दिया जावेगा ? अब तक कार्य शुरू न कराने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि जैतपुरा एवं बड़गांव नदियों के बांध व नहर कार्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए थे ? अगर हां तो कब ? अब ये कार्य कब तक शुरू करा दिए जावेंगे ?

राज्य मंत्री अकाल सहायता (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां । अकाल राहत के 27 कार्य अधूरे थे जिनको अब रूरल वर्क्स के अन्तर्गत पूरा करवाया जा रहा है । इनमें से 18 कार्यों पर जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है काम चल रहा है तथा बाकी को शीघ्र ही चालू करवाया जाएगा । सूची संलग्न है ।

(2) जी हां इन योजनाओं का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सन् 1974 तक पूरा होने की संभावना है । निश्चित अवधि सूची 'अ' में अंकित है ।

(3) सांचोर तहसील में क्रेश स्कीम के अन्तर्गत केवल एक कार्य लच्छीवाड़ा प्रस्तावित है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां यह कार्य अकाल सहायता के अन्तर्गत सन् 1970-71 में मंजूर किए गए थे तथा कुछ कार्य किया गया था । बड़गांव योजना को अब रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत लेकर चालू किया जा रहा है । जैतपुरा योजना पर प्रावधान न होने के कारण अभी नहीं लिया जा सकता ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

Page No 12

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो आपने सूची में अङ्कित किया है कि इतने कार्य चल रहे हैं, किस स्टेज पर चल रहे हैं, वास्तव में काम चल रहे हैं मौके पर ?

श्री मूलचन्द : इस सूची में सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने देख लिया है 3-4 जगह काम चल रहा है, बाकी जगह नहीं चल रहा है, जानकारी करेंगे ?

श्री मूलचन्द : जैसा इस सूची से स्पष्ट जाहिर होता है कि इतने काम चल रहे हैं और आप फरमा रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं तो यह अलग से बात है, इसकी जानकारी के लिए मैं अलग कोशिश करूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि काम बन्द हैं, मन्त्री महोदय कहते हैं कि चालू हैं। यह सूचना कहां से प्राप्त होती है कि काम चालू हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कहा स्वीकृति में पड़े हैं, यह एफेक्टेड एरिया है और रूरल वर्क्स और इरीगेशन वर्क्स खुले हुए हैं। अकाल मन्त्री ने बता दिया है कि वास्तविक काम शुरू कर रहे हैं। वास्तव में लेबर कितनी है, बता सकेंगे ?

श्री मूलचन्द : किसी पर्टीक्यूलर काम के लिए पूछें तो मैं बता सकूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नैनोल बांध पर कितने मजदूर हैं, जो पहले नम्बर पर हैं ? सूची में आपने अङ्कित किया है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक मजदूर भी काम कर रहा है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : मन्त्री महोदय को सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मन्त्री): सूची आपके पास है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने पूछा कि कोई पर्टीक्यूलर नाम बताऊं। मैं नैनोल बता रहा हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलग नहीं है। या तो आपके पास जानकारी नहीं है या है तो गलत है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: जानकारी है, काम चल रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किस स्टेज पर चल रहा है ? मौके पर एक मजदूर भी नहीं है ? कहां पर चल रहा है कार्य ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जानकारी दे दी जाएगी। हमारे पास सूचना है कि 1 से 13 तक सब काम चल रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बतायें कि ठेका हो रहा है या प्रोसीजर का काम चल रहा है, पता नहीं, वास्तव में मौके पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। दूसरी बात आपने स्वीकृति का कहा। स्वीकृति किस स्टेज पर पेंडिंग है ? कब स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन अभी नहीं मिली है, मिलने पर काम चालू किया जाएगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल अकाल मंत्री ने जवाब दिया है कि आदेश जारी कर दिए हैं। स्वीकृति पेंडिग है तो आदेश कहां के जारी किए हैं? यह अकालग्रस्त एरिया हैं, कल जवाब दिया है कि आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं है तो आदेश कहां से जारी किए?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 18 कामों पर आज भी काम चल रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बताया कि 13 के काम चल रहे हैं बाकी स्वीकृति में पेंडिग हैं। 27 कार्य चल रहे हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे खयाल से आप लिस्ट को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सब दिया हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने देख लिया हैं, आपने जवाब दिया है कि 13 कार्य चल रहे हैं, बाकी कार्य स्वीकृति के अन्तर्गत है। सूची में अंकित किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वैसे तो 13 कार्य बतायें हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1 से 13।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाकी 27 मैंन ही चल रहा है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 18 में चल रहे हैं। 38 कुल थे जिसमें से 9 कामों के टेण्डर ऊंचे होने के कारण दुबारा मांगे गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बिल्कुल गलत सूचना है। वास्तव में सूची में लिखा है कार्य प्रगति पर नहीं हैं, 27 कार्य आपने खुद ने····

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं उसकी जांच कर लें।

श्री लक्ष्मणसिंह : इस तरह का गलत जवाब देना मेरे खयाल से सदन की तोहीन हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि मंत्री महोदय को रिप्रीमांड किया जाए इस सम्बन्ध में ताकि भविष्य में इस तरह से सदन का अपमान न कर सकें।

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने खुद ने लिखा है कि यह कार्य प्रगति पर नहीं हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि 27 चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं। अलग अलग आइटम वार मैंने पूछा हैं। कुछ कार्य चलाने के लिए आपने आदेश जारी किये होंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं उसकी जांच करवाकर पूरी जानकारी करायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पूरी जानकारी करके कार्य चालू करने के शीघ्र आदेश दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सूची को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसमें लिखा हैं कि यह काम प्रगति पर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो हैं जो स्पेसीफिक सूचना देते हैं। 27 कार्य चालू हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जिन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, वह जानकारी भी सही नहीं है क्या

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री रामचन्द्र चौधरी : 18 काम चालू हैं। 38 कुल हैं जिनमें से 27 चालू हैं, 11 की सैंक्शन अभी तक नहीं है। यह दूसरी तहसील में हैं 9 के टेण्डर ऊंचे थे जो दुबारा मांगे गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सूची मैंने देखी हैं। 38 का ब्योरा नहीं दिया। कंकर और रोड़ा···

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती नगेन्द्रबाला :इसके लिए सरकारी विभाग···

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।

भिणाय की हरिजन बस्ती में पानी एवं रोशनी की व्यवस्था

282. **श्रीमती भगवतीदेवी (भिणाय)**: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही हैं कि भिणाय में सांसी एवं हरिजनों की बस्ती में नल व बिजली नहीं दी गई हैं। जबकि गांव में सबसे पिछड़े वर्ग यही हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(2) सरकार इनके लिए पीने का पानी एवं रोशनी की व्यवस्था कब तक करा देगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल): (1) वर्ष 1970—71 में भिणाय की हरिजन बस्ती में नल लगाने के लिए इस विभाग द्वारा 7815) रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। तदनुसार जन स्वास्थ्य एवं जल प्रदाय विभाग ने कार्य पूर्ण भी कर दिया है। लेकिन ग्राम पंचायत भिणाय ने पी.एस.पी. अभी चालू नहीं किए हैं। इन बस्तियों में बिजली लगाने हेतु कोई प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं। पंचायत समिति से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

(2) पी.एस.पी. चालू करने के लिए ग्राम पंचायत भिणाय को लिखा गया है पंचायत समिति से बिजली के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

श्रीमती भगवती देवी : अभी तक तो कहीं नहीं लगी।

श्री अध्यक्ष श्री मोहनलाल छंगाणी

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन सम्बन्धी अनियमित कार्यों के मामलों पर राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध हुई कार्यवाही।

283. **श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी)**: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन सम्बन्धी अनियमित कार्य के मामलों में राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल द्वारा 1 अप्रेल 1967 से 29 फरवरी 1972 तक कितने राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई 5 वर्षों में ऐसे मामलों में अधिकारी के अनियमित कार्य की सर्वप्रथम जानकारी किस तिथि को हुई और उसके

Page No 15

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
विरुद्ध जांच किस तिथि को आरम्भ हुई ? विभागीय कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ तो उसका क्या कारण है ? कृपया ऐसे अधिकारियों के नाम व अन्य विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध किस तिथि से जांच विचाराधीन है और किन किन मामलों में 6 मास से अधिक समय लगा और अधिक समय लगने का क्या कारण है तथा कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(3) किन किन अधिकारियों को ऐसे मामलों में गत 5 वर्षों में किस रूप में दण्ड दिया गया है ? यदि दण्ड नहीं दिया गया तो क्यों ?

(4) ऐसे जांच के मामलों में राज्य सरकार द्वारा क्या प्रणाली अपनाई जा रही है और इसमें क्या जांच की कोई अवधि निर्धारित है ? यदि नहीं तो क्या सरकार अवधि निर्धारित करने का कोई विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) दिनांक 1-4-67 से 29 फरवरी 1972 तक कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के कार्य में अनियमित कार्यवाही के 131 मामले जिलाधीशों से राजस्व मण्डल में प्राप्त हुऐ। अन्य विवरण संलग्न सूची 'क' में अंकित है।

(2) सूचना संलग्न सूची 'क' में सम्मिलित है।

(3) ब्यौरा सूची 'ख' में अंकित है।

(4) विभागीय जांच को पूर्ण करने की अवधि राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 2/नियुक्ति (क-3)/64 दिनांक 29-3-66 द्वारा साढे ग्यारह माह निर्धारित हैं। जहां तक प्रश्न इन मामलों में प्रणाली अपनाने का है वह सी. सी. ए. नियम 1958 में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनलाल छंगाणी : खास तौर से मैं मंत्री महोदय से दरखास्त करूंगा कि जो समय का मापदण्ड, कानून का मापदंड है और मेरा मापदंड बैठता नहीं, जब पता लगता है कि इन मुकद्दमों की दो दो साल बाद जांच होती है, केश नंबर 10, 11, 13 और 15 देखिये दो दो तीन तीन साल जांच प्रारंभ करने में लगते हैं। सजा दो दो तीन तीन साल के बाद दी गई। कई मुकदमें ऐसे हैं। जो इसलिये चालू नहीं किये गये हैं क्योंकि सेवा निवृत्त हो जाते हैं दो दो तीन तीन साल के बाद। क्या मंत्री महोदय सफाई देंगे ?

श्री रामचन्द्र : इसमें पहले विभागीय जांच होती है, जिसमें काफी समय लग जाता है, फिर शो काज नोटिश जारी किया जाता है, फिर इसके बाद जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो गवाही आदि लेकर अपना निर्णय देता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कितने अधिकारी सस्पैन्डेड हैं और कितने कर्मचारी ?

श्री रामचन्द्र : यह सब सूची में वर्णित है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : नम्बर 15 के लिये निवेदन करूंगा कि 67 में इत्तला मिली और जांच आपने 15-1-70 को प्रारंभ की।

श्री रामचन्द्र : इसकी अलग से जानकारी नहीं है। सूची में जो जानकारी है, वही है।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : पंचवर्षीय योजना का आधार इसमें लागू नहीं होता?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): कितना समय इसके लिये निर्धारित है यह बता दे।

श्री रामचन्द्र : साढ़े ग्यारह महीने।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह भूमि आवंटन के मामले हैं। लगातार कायम रखे जा रहे हैं खास तौर से सात आठ मामले हैं इनकी स्पेशल जांच कराई जावे। मैं प्रार्थना करूंगा कि जांच होने और उसका रिजल्ट यहां आने तक इस प्रश्न को स्थगित किया जावे।

श्री रामचन्द्र : किस बात के लिये आप स्थगित कराना चाहते हैं जब कि सारी जानकारी मैं दे चुका हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कितने केश दर्ज किये हैं आपने कुल ?

श्री रामचन्द्र : यह बता दिया जावेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिन लोगों ने तीन तीन साल तक जांच नहीं की क्या उन अधिकारियों को भी सजा दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 284

श्री सुरेशचन्द्र ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री राजेन्द्रसिंह :

डाक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट

285. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों की सीनियोरिटी निश्चित की गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या स्पेशलिस्ट डाक्टर्स का फिक्सेशन भी उपरोक्त सीनियोरिटी लिस्ट में किया गया है ? यदि नहीं, तो इसकी लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किन्हीं डाक्टर्स द्वारा इस बारे में अपील की गई है ? यदि हां, तो किन किन द्वारा और कब कब ? इन पर क्या निर्णय लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में पांच दिन पहले विधान सभा सचिवालय को पत्र लिखा है कि इसका उत्तर देने में समय लगेगा अतः इसे पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

Page No 17

कोलायत तहसील में खनिज उद्योग में लगे मजदूरों को सुविधाएं

286. श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील जिला बीकानेर में खनिज उद्योग में लगे मजदूरों की हालत अन्य मजदूरों से खराब है, और खान मालिक उनसे मन माना श्रम लेते हैं और मनमानी मजदूरी देते हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार ने उनके हितों के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील के खान मजदूरों को खान मालिकों द्वारा कोई बोनस पी. एफ. व अन्य सुविधायें नहीं दी जाती हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील के खान मजदूरों को आकस्मिक एवं रियायती छुट्टियां भी खान मालिकों द्वारा नहीं दी जाती और उनका शोषण होता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि खान मालिक मजदूरों के निवास के लिये कोई प्रबन्ध नहीं करते और मजदूर मैदान में सभी मौसमें निकालते हैं यदि हां तो सरकार खान मालिकों के खिलाफ क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के दायरे में आता है। अतः इस विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) उपरोक्त।

(3) उपरोक्त।

(4) उपरोक्त।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होने पर भी राज्य सरकार उसमें दखल दे सकती है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : इसके लिये भारत सरकार का स्वयं का श्रम विभाग है।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या न्यूनतम वेतन दिलाने के लिये सरकार नहीं कह सकती ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह केन्द्रीय प्रश्न है उसी के अन्तर्गत आता है। केन्द्रीय सरकार का स्वयं का श्रम विभाग राजस्थान में भी काम करता है।

श्री भीमसेन : आपके विभाग से मजदूरों को क्या सहूलियतें मिल रही हैं। यह बताइये।

श्री ओंकारलाल : इसकी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : खानों के मजदूरों का यह सवाल है, उनके काम करने के समय का सवाल है। उनको और सहूलियतें देने का सवाल है। सरकार के यह अंडर में है। इसकी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री केशरीमल : मजदूरों का न्यूनतम वेतन जैसा यहां पर आठ अक्टूबर को तै किया गया था मिल रहा है या नहीं ?

श्री ओंकारलाल : मैंने निवेदन किया कि यह केन्द्र सरकार के विषय में आता है ?

श्री अध्यक्ष : मजदूरों का भी आता है क्या ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्या राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में मजदूर कार्य करता है खानों में तो उसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है ?

श्री ओंकारलाल : खान मजदूरों के लिये केन्द्र के अलग नियम हैं और उनका नियमन करने की उनकी अलग व्यवस्था है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह विभाग भी एग्जिस्ट करता है या नहीं राजस्थान में ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह अलग से प्रश्न है। मैं इसकी जानकारी बाद में दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है।

भू–राजस्व में बढोतरी

287. **श्री चिमनसिंह भाटी (भीम)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि ब्यावर तहसील में भू–राजस्व बढ़ाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस जिले के काश्तकारों को पहले भू–राजस्व में आठ प्रतिशत छूट मिली हुई थी ? यदि हां, तो साठ प्रतिशत छूट किन कारणों से मिली थी ?

(3) क्या अब वह छूट समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार सेटलमेन्ट से पहले इस प्रकार भू–राजस्व बढ़ा सकती है ?

(5) वर्तमान में जो भू–राजस्व बढ़ाया गया है वह किसके आदेश से बढ़ाया गया है ? क्या वे भू–राजस्व बढाने को सक्षम हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(5) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चिमनसिंह भाटी : अजमेर जिले में पटवारी लोगों ने अभी से बढी हुई राजस्व वसूली को तैयार कर ली है। कलक्टर ने आदेश दे दिये हैं, इससे असन्तोष बढ़ रहा है ? इसलिये माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे मुझे सन्तोष नहीं है।

श्री केशरीमल : वहां सेटलमेन्ट हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी सेटलमेन्ट नहीं हुआ है। 51/52 में हुआ था। राजस्थान में अजमेर के विलय होने के बाद पहले सब

Page No 19

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
खातेदारों बिस्वेदारों और इस्तमरारदारों से कुछ फिक्स्ड रकम ली जाती थी, उसमें परिवर्तन किया गया क्योंकि अब विचौलिये नहीं रहे। जो दूसरे खातेदार देते हैं उसी तरह से इनको भी देना है।

श्री शंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जब सैटलमेन्ट के बिना भू-राजस्व नहीं बढ़ाया जा सकता है तो यहां भी फिर छूट का सवाल नहीं होता।

श्री रामचन्द्र चौधरी : राज्य में जो सैटलमेन्ट हुआ था उसी के आधार पर लगान की दरें कायम की थी।

श्री शंकरसिंह : वही बढाई जा रही हैं और छूट समाप्त कर रहे हैं यह सही है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो बिचौलियों को छूट दी गई थी वह जब बिस्वेदारी या इस्तमरारदारी नहीं रही तो उन पर भी वही रेट लागू होती है और वही रकम ली जा रही है जो दूसरों से ली जा रही है।

श्री केशरीमल : आप विचौलियों के नाम बता सकते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिस्वेदारी इस्तमरारदारी है और उनकी छूट को हटा दिया गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह क्यों हटाई गई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सरकार की पालिसी के कारण।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : 51–52 में उनके अधिकार क्षेत्र में यह रकबा भी दिया गया था या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : सैटलमेन्ट रिपोर्ट ऐसी है जो कि बदल सकें, इस क्षेत्र में भी जांच हुई थी या नहीं इसकी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी, यह अलग से प्रश्न है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : सैटलमेन्ट से पहले भी कोई छूट दी जा सकती है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो लगान 51।52 के सैटलमेन्ट के आधार पर सभी किसानों से लिया जाता था वही बिस्वेदारों और इस्तमरारदारी से लिया जावेगा यह बात तै हुई है।

श्री चिम्मनसिंह : पर बीच में फिर तबदील करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसलिये कि दूसरे किसान भी तो देते जा रहे हैं। ये नहीं दे रहे थे इसलिये समानता के आधार पर यह किया गया।

श्री शंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तरमीम का सवाल नहीं है। सैटलमेन्ट हुआ नहीं तो फिर यह बतावें कि किन कारणों से यह छूट समाप्त कर रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सबसे जो लगान लिया जाता है वही उनसे लिया जावेगा। उनसे अलग रेट से लेना समानता के सिद्धान्त के विपरीत है इसलिये यह किया गया।

श्री केसरीमल : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जो छूट समाप्त की जा रही, क्या उस इलाके के किसानों को पांच गुना पैसा नहीं देना पड़ेगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिलकुल नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

पंचायतों के चुनाव

288. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या चुनाव मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में पंचायतों, पंचायत समितियों जिला परिषदों के चुनाव कितने वर्ष पूर्व हुये थे तथा अब कब होने जा रहे हैं ? राज्य सरकार द्वारा कब कब इनका समय बढ़ाया गया व क्यों ?

(2) राजस्थान में अब तक कितनी पंचायत समितियों के प्रधानों व उप प्रधानों के चुनाव शेष हैं जो कई वर्षों से नहीं हो रहे हैं ? इसी प्रकार जिला परिषदों के प्रमुखों के चुनाव करना है तथा यह चुनाव कब कराये जा रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

चुनाव मंत्री (श्री ओंकारलाल): (1) राज्य में पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के आम चुनाव करीब 7 वर्ष पूर्व जनवरी–फरवरी, 1965 मे सम्पन्न हुये थे । समय बढाने सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) पंचायत समितियों में प्रधानों, उप प्रधान तथा जिला परिषदों मे प्रमुख के रिक्त स्थान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । चुनाव कराने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय म रखी गई)

श्री नन्दलाल बैरवा : जो सूची प्रधान और उप प्रधान की दी है वह कौनसे कौनसे प्रधान और उप प्रधान हैं जिनके चुनाव करवाये जाने हैं अथवा नहीं करवाये जाने हैं। मंत्री महोदय बतायेंगे कितने प्रधान और कितने प्रमुख हैं जिनके चुनाव नहीं करवाये जा रहे हैं ।

श्री ओंकारलाल : सूची में स्पष्ट कर दिया गया है । माननीय सदस्य मैं समझता हूं सूची को अच्छी तरह से देख लें तो पता लग जायगा।

एक माननीय सदस्य : क्या ये चुनाव विचाराधीन ही रहेंगे या अब करवा दिये जायेंगे ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : तिथि निश्चित की गई है ?

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता ।

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, कोई तारीख नहीं दी है कि फलां तारीख से फलां प्रधान और फलां उप प्रधान या प्रमुख का स्थान रिक्त हो गया है। कोई तारीख नहीं है, मंत्री महोदय अच्छी तरह से देखें ।

श्री ओंकार लाल : आप सूची को पढ़िये।

श्री रावत राम : पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से कह सकते हैं, कब होंगे ?

श्री ओंकार लाल : सरकार के विचाराधीन है (विराम) अभी मामला सरकार के विचाराधीन है शीघ्र हीं निर्णय लिया जायगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पंचायत, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव क्यों नहीं करवाये जा रहे हैं। जबकि इस प्रकार की घोषणा राज्यपाल महोदय ने भी की है। इस बारे में निश्चित घोषणा क्यों नहीं करते हैं। पंचायत एक्ट में तरमीम करने का प्रश्न है तो उसमें तरमीम करिये। नीति का प्रश्न है। क्या अमेन्डमेंट करना चाहते हैं निश्चित घोषणा कीजिये।

श्री ओंकार लाल : अध्यक्ष महोदय एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है। यह मामला सरकार के विचाराधीन चल रहा है (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)...मेरी बात सुन लीजिये कृपया। जैसा राज्यपाल महोदय के भाषण में जिक्र है हम शीघ्र ही चुनाव करवायेंगे लेकिन हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आ जाय। रिपोर्ट आते ही शीघ्र चुनाव करवायेंगे।

श्री रावत राम : हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में और एक्ट में तरमीम करने के बाद चुनाव कराये जायेंगे या...

श्री ओंकार लाल : इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री रावत राम : तो आप कम से कम इतना तो बता दीजिये पंचायत समिति और जिला परिषदों के क्या अधिकार और कर्त्तव्य रहेंगे। यह परिवर्तन चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद होगा, यह बता दीजिये।

श्री ओंकार लाल : यह रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है कि पंचायत जितनी छोटी छोटी है उतनी ही रहे या बड़ी बड़ी रहे। जिला परिषद् और पंचायत समितियों के लिए वैसे गुजरात और महाराष्ट्र में जैसा किया गया है उस प्रश्न को ध्यान में रखकर फैसला किया जायगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : हाई पावर कमेटी को कितना समय दिया है। क्या हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट 5–7 दिन में आ जायगी ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे ऐसा लगता है 6 महीने का समय दिया है और मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि इस अवधि के भीतर भीतर चुनाव हो जायगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पंचायत मंत्री महोदय ने घोषणा की है इस सैशन में बिल आने वाला नहीं जिससे अमेन्डमेंट किया जा सके। उसके 6 महीने के बाद पंचायतों का पुनर्गठन होगा और फिर आने वाले दो वर्षों में चुनाव नहीं होंगे।

तो अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय निश्चित घोषणा करें निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, जवाब दे रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : तारीख की निश्चित घोषणा तो नहीं की जा सकती है क्योंकि केबिनेट ने तारीख निश्चित नहीं की है लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट कौन हैं–जल्दी से जल्दी चुनाव कराने के लिये जैसे ही हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी वैसे ही चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहन।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 6 महीने में, दो साल में, तीन साल में अप्राक्सिमेट टाइम तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : अप्राक्सिमेट टाइम दे सकते हैं?

श्री हरिदेव जोशी : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा : कम से कम नये ढांचे में तो यह पुराना ढांचा बदलिये। शीघ्र हो जायगा, जल्दी हो जायगा, हो रहा है, होता रहा है, सोच रहे हैं, देख रहे हैं .... इसको तो अब बदलिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जग मोहन।

(मा. सदस्य के बोलते रहने पर, अश्रव्य)

दूसरा सवाल ले लिया है माननीय सदस्य।

प्रश्न सं. 289

श्री जग मोहन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहर सिंह।

सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

290. **श्री मोहर सिंह (चूरू)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले के वर्तमान और भूतपूर्व फौजी, नेवीमैन और हवाबाजों की संख्या की सही गणना नहीं की गई है? तथा जो वर्तमान सूची है वह अत्यन्त अपूर्ण है?

(2) क्या सरकार सैनिकों और भूत-पूर्व सैनिकों की संख्या गणना अविलम्ब करवायेगी?

(3) क्या उपरोक्त जिले के सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या को देखते हुये वर्तमान सोल्जर्स बोर्ड को क्रमोन्नत करके प्रथम श्रेणी का बनाने की कृपा करेंगे। ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री राम चन्द्र चौधरी): (1) वर्तमान सूची जो रेकार्ड के आधार पर तैयार की गई है। पूर्ण है तथा सही है।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(2) गणना के आधार पर सूचना इस प्रकार आती है:-

	हवाबाज	नेवीमैन	सैनिक	योग
कार्यरत	2	3	3651	3656
भूतपूर्व	–	–	3100	3100
				6756

(3) इस जिले के कार्यरत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जो क्रमश: 3656 तथा 3100 है वह मिल कर निर्धारित 7500 की शर्त पूरी नहीं करती है। अत: इसे प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय जो सूची बनाई है उसमें कई नाम नहीं हैं। मैंने बताया है वह सूची गलत है, निश्चित रूप से गलत है। मेरे गांव की गलत है, मेरे तहसील की गलत है इसलिये मेरा निवेदन है इसकी दुबारा जांच करवायें और सैनिक कल्याण को जो सही काम है उसे ठीक ढंग से करवाये। क्या आप तैयार हैं, इसकी जांच करवाने के लिए?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां।

श्री मोहरसिंह : कौन जांच करेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : गवर्नमेंट आफिसर्स करेंगे।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मै कहता हूं यह सूची बिलकुल गलत है। मेरे घर की सूची भी सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वे जांच करवायेंगे कह दिया न।

श्री मोहरसिंह : लेकिन कौन अधिकारी जांच करेगा, यह तो बता दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कलेक्टर से करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

पाकिस्तान से आये शरणार्थी

291. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) राज्य में पिछले दो वर्षों में कुल कितने शरणार्थी पाकिस्तान से आये हैं?

(ख) इनके पुनर्वास के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या योजना तैयार की?

(ग) इनमें से कितने लोगों को अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

(घ) यह लोग किस किस जिले में कितनी कितनी सिवाय चक भूमि पर काश्त कर रहे हैं?

(ङ) इसमें से कितनी भूमि के पट्टे इनको दे दिये गये हैं?

(च) कम से कम प्रति परिवार कितनी भूमि अलाट की गई है?

पुनर्वास मंत्री (श्री ओंकारलाल) : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है इसलिये मैं निवेदन करूंगा, इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है और इसको स्थगित किया जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न को अवाइड किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कब जवाब दे पायेंगे ?

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय एक सप्ताह में।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मेरा एक प्रश्न स्थगित किया गया है, इस सेशन में आयेगा या नहीं।

श्री ओंकारलाल : इस सप्ताह के अन्त तक आ जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।

नीम का थाना कोटपूतली सडक की मरम्मत

292. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम का थाना से कोटपूतली सड़क काफी पुरानी है और टूट चुकी है जिससे जनता को आवागमन में काफी असुविधा होती है ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। इस मैटल रोड को वर्षा के कारण जो क्षति हुई है उसको ठीक करवा दिया है।

(2) जी हां, अर्थाभाव के कारण निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

श्री मालाराम : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कितनी पुरानी है और आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : काम अगर नहीं हुआ होता तो यह सड़क रहती ही कैसे। यह पुरानी है, कितनी पुरानी है, यह बताना कठिन है। 23 हजार रुपये खर्च करके अभी इसको दुरुस्त करवा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

काश्तकारों का मुआवजा

293. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में टीडी योजना का निर्माण जावर माइन्स को पानी देने के लिए किया है ? यदि हां, तो कब और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि टीडी योजना की डूब में आदिवासी काश्तकारों की भूमि कुएं, मकान, पेड़, फलदार पेड़ आदि आये हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के ?

(श्री देवी लाल)

(3) क्या टीडी योजना की डूब में आने वाले काश्तकारों को मुआवजा दिया गया ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां, टीडी योजना का निर्माण सिर्फ जावर माइन्स को पानी देने हेतु किया गया है। यह कार्य अगस्त, 1968 में आरम्भ हुआ था, और इस पर अब तक 78,64,000 रुपये व्यय हुआ है।

(2) जी हां, टीडी योजना में आदिवासी काश्तकारों को भूमि, कुए, मकान आदि डूब में आये उन व्यक्तियों की संख्या 28 है।

(3) जी नहीं, भूमि अवाप्ति अधिकारी से भूमि का एवार्ड अब मिला है तथा भुगतान जावर माइन्स से धनराशि मिलते ही कर दिया जावेगा।

श्री देवीलाल : यह धन राशि कब तक मिलेगी ?

श्री मूलचन्द : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, उनके कुए, पेड़, मकान वगैरह सब डूब में आ गये और उनको मुआवजा नहीं मिला। पानी उनमें भर गया उनका क्या हाल होगा ? वह न तो जमीन खरीद सकते, बस नहीं सकते, मकान नहीं बना सकते, बेघरबार हो गए तो इसकी व्यवस्था कब तक होगी ?

श्री मूलचन्द : बहुत शीघ्र ही व्यवस्था की जा सकेगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन लोगों की जमीन डूब गयी, जिनके पास कोई जीवन निर्वाह करने की व्यवस्था नहीं है तो सरकार को कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि इन्टरिम रिलीफ के रूप में कुछ उनको दें। यह तो शरणार्थियों से भी बुरी दशा हो रही है। यह कौन सा समाजवाद है यह तो बिल्कुल विनाशवाद है।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

मलकानी कमेटी की सिफारिश

294. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) मलकानी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सिर पर मैला ढोने की प्रथा के समाप्त करने हेतु राज्य सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

(ख) क्या राज्य में ऐसी कोई नगरपालिकायें हैं जहां सिर पर मैला नहीं ढोया जाता है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकार लाल) : (क) सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने हेतु गांधी शताब्दी वर्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा भंगी कष्ट मुक्ति योजना नाम से एक योजना तैयार की गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के

Page No 26

(श्री ओंकारलाल)
ब्यौरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इसके अलावा निदेशक, स्थानीय निकाय राजस्थान के एक परिपत्र द्वारा समस्त नगरपालिकाओं को निर्देशन दिये गये हैं कि वे बाईलाज में परिवर्तन कर नये भवनों के निर्माण के समय सूखे तारतों को बनाने की इजाजत न दें।

(2) विभाग में ऐसी पूर्ण सूचना अभी नहीं है कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा किन किन नगरपालिकाओं में बिलकुल समाप्त हो गई है। इस ओर प्रयास जारी है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इसकी सूचना प्राप्त नहीं है तो क्या जिस नगरपालिका से आप आये हैं वहां सिर पर मैला ढोने की प्रथा है ?

श्री ओंकारलाल : मैं जिस नगर से आया हूं उस नगर में काफी हद तक इस प्रकार की कठिनाइयों को हल किया गया है।

श्री भानुकमार शास्त्री : कितने समय तक किया गया है ? मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उदयपुर जैसे नगर में जहां कि 'ए' क्लास म्युनिसिपैलिटी है वहां आज भी वही हालत है और इतने लाख रुपये खर्च करने के बाद भी वे एक इंसान होकर इंसान का मैला सर पर ढोकर जाते हैं तो क्या यह सरकार की अव्यवस्था नहीं है ?

श्री ओंकारलाल : माननीय सदस्य जागरूक हैं और सरकार भी सतर्क है लेकिन यह ऐसी व्यवस्था है और इतने लम्बे अरसे से चली आ रही है कि इसमें समय लगेगा धीरे धीरे और राज्य सरकार बराबर इस संबंध में उपाय कर रही है और धनराशि खर्च कर रहे हैं और म्युनिसिपैलिटीज को धनराशि देते हैं और म्युनिसिपैलिटी का कर्तव्य है कि वह समय के अन्दर ही उस धनराशि को खर्च करे और इसमें माननीय सदस्य को भी रुचि लेना चाहिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या मेला ढोने में रुची लेनी चाहिये ? एक सीधा सादा सवाल यह है कि लाखों रुपया इसके ऊपर खर्च किया जाता है उसका उपयोग हो रहा है या नहीं व्हील बरोज लेकर खरीदे और वे रद्दी में पड़े हैं क्या वे हरिजनों को उपयोग करने के लिये मिलते हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय मेरा भी प्रश्न है। जितना रुपया गांधी शताब्दी वर्ष में दिया गया उसका कितना उपयोग हुआ और नहीं हुआ तो क्या मंत्री महोदय सदन को आश्वस्त करने के लिये तैयार हैं कि वह रुपया आप उपयोग करने के लिये शीघ्र उपलब्ध करायें ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : शीघ्र की परिभाषा बहुत लम्बी है।

श्री ओंकारलाल : मैं यह कोशिश करूंगा कि जयपुर नगरपालिका को निवेदन किया जाये और जो धनराशि है उसको खर्च किया जाये।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ पूछने पर) एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री मुंशीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हरिजन हैं और दूसरे लोग गन्दगी फैलाते हैं और दूसरे इन्सान उसको ढोते हैं। यह नीति संबन्धी प्रश्न है और हिन्दुस्तान को आजाद हुए इतने साल हो गये''

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री मुंशीलाल : इसको गंभीर समस्या समझते हुए इस व्यवस्था को हटाने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द सांवरिया : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायें कि 300 रुपये उन्हीं को दिये गये हैं जो कि इनकम टैक्स नहीं देते हैं?

श्री ओंकारलाल : जी हां, उन्हीं को दिये गये हैं।

श्री मूलचन्द सांवरिया : इस तरह की सूचना है कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके रिलेटिव को दिया गया क्या मंत्री महोदय जांच कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री ओंकारलाल : ऐसा मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

श्री मूलचन्द सांवरिया : सूचना देने पर आप विश्वास दे सकते हैं। कि इसकी व्यवस्था की जायेगी?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा कान्क्रीट है और इसमें स्पष्ट पूछा गया है कि किन किन नगरपालिकाओं के अन्दर मैला सिर पर ढोया जाता है मैं नहीं समझता कि इतने स्पष्ट प्रश्न का क्यों नहीं स्पष्ट उत्तर आया'''

श्री अध्यक्ष : आपको जो पूछना है वह पूछ लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, करीब 90 प्रतिशत नगरपालिकाओं में यह प्रथा जारी है और यह राज्य के लिये डूब मरने की बात है कि इन्सान इन्सानका मैला ढोये। सबसे पहला काम अगर राज्य के लिये हो सकता था समाजवाद के नाते तो वह यह है कि मनुष्य मनुष्य का मैला न ढोये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : शतप्रतिशत नगरपालिकायें ऐसी हैं कि जहां इन्सान का मैला इन्सान ढोता है और यह कलंक हमारे माथे पर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या मैला सर पर नहीं ढोया जाये इसके लिए गाड़ियां खरीद कर आपके विभाग ने दी थीं?

श्री ओंकारलाल : विभाग से तो इस बारे में रकम दी जाती है और स्थानीय निकाय खरीदता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बात गलत है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह सही है कि 40 हजार रुपये की गाडियां जयपुर नगरपरिषद् को खरीदकर दीं और वह गाडियां 8 वर्षों से म्युनिसिपैलिटी के गोदाम की छत पर पडी हैं जिसमें मधुमक्खी के छत्ते

Page No 28

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
बन गये। वह गाड़ियां नहीं चल सकती ऐसी गाड़ियां खरीदकर दीं तो क्या दुर्भाग्य नहीं है यह ?

श्री **ओंकारलाल** : यह तो नगरपरिषद का काम है।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय..

श्री **सुरेन्द्र व्यास** : एक प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह बहुत पुराना सवाल है और इसके बारे में यहां पर पहले भी चर्चाएं हुई थी और मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले मन्त्री मण्डल के अन्दर तत्कालीन मंत्रियों ने कुछ घोषणाएं की थी तो आज जो मंत्रीमण्डल है उसके मन्त्री महोदय को मालूम नहीं है कि इस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और इस सम्बन्ध में यहां पर भी चर्चाएं हुई थी और राज्य सरकार वचनबद्ध हैं कि एक आदमी आदमी का मैला सर पर नहीं ढोयेगा तो सवाल सीधा सा यह है कि आज 25 वर्षों के बाद भी एक भी नगरपालिका राजस्थान के अन्दर ऐसा नहीं है--जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है वहां पर भी राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाई है कि हरिजन मैला न ढोयें सर पर। एक नगरपालिका को ही ले लें जयपुर को ही ले लें वहां पर भी आप क्या ऐसी व्यवस्था कर सके हैं, और इस व्यवस्था को करने के लिए आज तक आपने क्या कदम उठाए हैं। गांधी शताब्दी में छोटी-मोटी स्कीम रख देने से..

श्री **अध्यक्ष** : सवाल पूछें।

श्री **सुरेन्द्र व्यास** : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री **अध्यक्ष** : आप तो तकरीर कर रहे हैं।

श्री **सुरेन्द्र व्यास** : आप कब तक इसको लागू करना चाहते हैं ? क्या 5 साल, 10 साल में यह व्यवस्था बन्द हो जायगी और कम से कम इतनी म्यूनिसिपैलिटीज में ये लोग यह काम नहीं करेंगे ?

श्री **अध्यक्ष** : (श्री वृद्धिचन्द्र के खड़े होने पर) आप भी पूछ लें।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या इस साल राज्य सरकार ने प्रोवीजन किया है ? एक बात। दूसरा जो है कि मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति कितने वर्षों में कर देंगे ?

श्री **निरञ्जननाथ आचार्य** : समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं है यह कहें कि यह कलंक राज्य सरकार कितने समय तक अपने पास रखेगी ?

श्री **ओंकारलाल** : अध्यक्ष महोदय, आचार्य जी ने..

श्री **अध्यक्ष** : एक साथ जवाब दे दें।

श्री **पी.के. चौधरी** : राज्य सरकार इस बात को कहने को तैयार है या नहीं, उसका जवाब दें। व्यासजी ने सवाल पूछा था कि क्या राजस्थान सरकार यह कहने को तैयार है या नहीं कि राजस्थान में एक भी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी नहीं है जहां सर पर मैला नहीं उठाया जाता है ?

श्री ओंकारलाल : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता का कारण समझता हूं और माननीय सदस्यों को याद होगा कि मुझे इसमें हर्ज नहीं होता है य खुशी नहीं होती है कि आज राजस्थान में इस प्रकार की प्रथा चल रही है वह ठीक है, लेकिन मैंने माननीय सदस्यों के सामने पहले भी निवेदन किया है कि इस बारे में प्रयास जारी हैं और बराबर रुपया दिया जाता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि 25 वर्ष में कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रगति दूसरी स्थिति में हुई है। पुराने तहारतों को नष्ट करके नये तहारत बनाये जांय और नये मकानों की स्वीकृति तभी दी जाती है जब कि उनमें जो नई टट्टियां बने वे फ्लश की बने और इस प्रकार की बनाई जायं कि जिनमें मैला ढोने की प्रथा को बन्द किया जा सके।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक भी ऐसी नगर-पालिका बता दें . . . .

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब सुन लें। उनको बोलने दें।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : कानून . . . .

श्री अध्यक्ष : उनको बोलने दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रथा नहीं कलंक कहिये।

श्री ओंकारलाल : प्रथा नहीं कलंक मान कर चला जाय। यह ऐसी बात नहीं है कि कह देने मात्र से ही समाप्त हो जायगी। इसके बारे में बराबर प्रयास जारी है, और मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरी चिन्ता का विषय है, सरकार की चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक जागरूक रहते हुए कार्य किया जायगा और इस प्रथा को जो कलंक के रूप में हैं उसको मिटाने का प्रयास किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह घोषणा आप करें कि 3 महीने में, 6 महीने में इस को खत्म कर देंगे। आप घोषणा करें वर्ना सदन के माननीय सदस्य आपका मंत्री महोदय घेराव करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हियर यू आर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे सदस्य आपका घेराव करेंगे। आप घोषणा करें कि 6 महीने में या एक साल में कब तक खत्म करेंगे?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप घर नहीं जा सकते हैं। इस सदन के सदस्य आपका घेराव करेंगे। आप घोषणा कीजिये कि महीने में या साल भर में आप इस प्रथा को बन्द कर देंगे और इस कलंक को हटा देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा एक प्रश्न यह भी था . . .

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे चुके हैं।

Page No 30

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक भी नगरपालिका राजस्थान भर में है क्या कि जहां पर सर पर मैला नहीं उठाया जाता हो।

श्री ओंकारलाल : मेरी सूचना के आधार पर नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो गाड़ियां दी हैं वे गाड़ियां चल नहीं सकती हैं। उनसे बच्चे भी नहीं खिलाये जा सकते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इस सम्बन्ध में एक ही प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा और मंत्री महोदय की आपत्ति है उसके साथ मेरी कुछ सहानुभूति है, लेकिन मैं यह उपेक्षा करता हूं कि हमारे देश के लिए यह कलंक हैं और इस प्रथा जो मैला ढोने की है इसके अन्दर कोई भी फर्क नहीं आता है तो बहुत बड़ा कलंक है। हम अपने आपको एक सिविलाइज्ड और सभ्य देश नहीं कह सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर मंत्री महोदय, मैं तो माननीय श्री हाण्डा ने जो आपके समक्ष सुझाव रखा है उतना भी नहीं कहता। मैं तो यह अनुभव करता हूं कि क्या आप यह जानते हैं कि मलकानी रिपोर्ट की शत प्रतिशत अवहेलना की गई है। क्या सरकार ऐसी परिस्थिति में 5–6 नगरपालिकाओं को सिलेक्ट करके कम से कम इस प्रथा को 2 महीने में, दो महीने में या 6 महीने में इसको समाप्त करने की व्यवस्था नहीं करेगी ? अगर नहीं कर सकती है तो सरकार सरकार कहलाने के योग्य नहीं है। यह कोई योजना है ? यह मडल-हैडेड थिंकिंग हैं और कागजी कार्यवाही के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि आप 5–6 नगरपालिकाओं को सिलेक्ट कर लें और इस कलंकित प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करें।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : एक मिनिट में समाप्त नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुए।
(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में बिजली तथा नल के लिए स्वीकृत राशि

275 श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में पिछले दो वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में बिजली एवं नल लगाने के लिये कितनी रकम स्वीकार हुई तथा इसमें से कितनी रकम व्यय हुई और यह रकम कहां कहां खर्च हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान में पिछले दो वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में बिजली एवं नल लगाने के लिए स्वीकृत रकम तथा इसमें से व्यय हुई रकम का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	वर्ष 1970-71 स्वीकृत राशि	व्यय की गई रकम	वर्ष 1971–72 स्वीकृत राशि	व्यय की गई रकम
नल सुविधा	3,78,474	42,000	14,99,990	11,18,000
बिजली सुविधा	4,31,191	1,80,000	—	—

(समाज कल्याण मन्त्री)

वर्ष 1971-72 में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लो में बिजली लगाने के लिए विद्युत् मण्डल के बजट में 25 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया था। विभाग से कुल 23,66,645 रुपयों के प्रस्ताव भेजे गये जिनमें से 14,00,423 रु. की स्वीकृतियां विद्युत् मण्डल द्वारा जारी की गई। इसके अलावा अधीक्षक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा भी कई गांवों में स्वीकृतियां दी गई जिनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

ये राशियां कहां कहां खर्च की गई इसकी सूचना अभी सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुई है।

हरिजनों को मकानों के लिये ऋण

284. श्री सुरेश चन्द्र (कोटपूतली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटपूतली तहसील में कितने हरिजनों को 1971-72 में मकानों के लिये ऋण स्वीकृत किया गया है और कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि एक साल से भी अधिक समय से कोटपूतली के हरिजनों की दरख्वास्तें मकानों के ऋण की स्वीकृति हेतु समाज-कल्याण-विभाग में पड़ी हुई है और उनमें से किसी को भी अभी तक ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971-72 में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण किसी भी नये परिवार को ऋण स्वीकार नहीं किया गया है। कोटपूतली तहसील का ऋण का कोई प्रस्ताव इस विभाग में पेन्डिंग नहीं है।

(2) कोटपूतली के हरिजनों के ऋण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र इस विभाग में पेन्डिंग नहीं है।

छबड़ा तहसील के ग्रामों को कृषि कार्य हेतु बिजली

289. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

छबड़ा तहसील में कृषि उत्पादन हेतु अब तक कितने ग्रामों में बिजली पहुंचा दी गई है और इस तहसील के अन्य गांवों में कब तक बिजली पहुंचाने की योजना है ?

उत्तर

अब तक छबड़ा तहसील के दो ग्रामों वम्बोरा और छबड़ा को बिजली दी जा चुकी है। इस तहसील के अन्य गांवों को बिजली कब तक दे दी जावेगी इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बोरावड़ से राणीगांव वाया मकराणा सड़क का कार्य

90. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बोरावड़ से राणी गांव वाया मकराणा सड़क कब मंजूर हुई है तथा इसका कार्य कब तक शुरू हो सकेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

यह सड़क वर्ष 71–72 में स्वीकृत की गई है। वर्ष 1972–73 में 5000/–रुपये का प्रावधान है।

तहसील लूणकरणसर के गांवों का विद्युतीकरण

91. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या कस्बा कालू तहसील लूणकरणसर वाया नमनवाली, उत्तमदेसर, धीरेरा स्टेशन खारी, कुजरी सहजरासर एवं गांव रामसर तहसील बीकानेर वाया मूंडसर सूरतसिहपुरा विद्युत् लाईन पहुँचाने की कोई योजना है? क्या यह सही है कि उक्त दोनों स्थानों पर जल प्रदाय योजनायें हैं तथा कृषि छोटे छोटे उद्योगों एवं निजी उपयोग हेतु स्थानीय लोग विद्युत् का उपयोग करना चाहते हैं?

(1) क्या यह सही है कि कस्बा कालू के मार्ग धीरेरा स्टेशन एवं गांव खारी के रेल्वे के कुए के लिए बिजली की मांग होने के साथ साथ खारी एवं इसके आसपास के गावों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना के लिए भी मांग होगी? यदि हां, तो इन क्षेत्रों की बिजली सम्बन्धी मांग सरकार कब तक पूरी कर सकेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। लूणकरणसर से एक 11 के.वी. लाईन कालू ग्राम के विद्युतिकरण हेतु ले जाने की योजना बनाई गई थी जो तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है। कालू में जल प्रदाय योजना चालू है। रासमल में जल प्रदाय योजना होने की जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है। लोगों के विद्युत् उपयोग करना चाहने की जानकारी भी विद्युत् मण्डल को नहीं है।

(2) इन ग्रामों की रेल्वे स्टेशनों की जल प्रदाय योजनाओं की मांग का मांग-पत्र विद्युत् मण्डल के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। इन ग्रामों के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

नदबई से डीग सड़क का कार्य

92. श्री **नत्थासिंह** (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नदबई से डीग को वाया लुहासा-भदीरा ऊंच-जनूथर होते हुए जो सड़क मंजूर हुई है उसका काम क्यों बन्द पड़ा है?

उत्तर

यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं हैं। प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति सांचोर को प्राथमिक पाठशालाओं में आवश्यकतानुसार सामग्री

93. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति सांचोर में ज्यादातर प्राथमिक पाठशालाओं में न्यूनतम आवश्यकता की सामग्री पंचायत समिति द्वारा सप्लाई नहीं की गई

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है ? अगर हां, तो ऐसी कितनी प्राथमिक पाठशालाएं हैं और वहां पर अब तक सामग्री नहीं देने के क्या कारण हैं ? ऐसी पाठशालाओं की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त पंचायत समिति में प्राथमिक पाठशालाओं की दयनीय हालत कब तक सुधार दी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें। अब तक प्राथमिक पाठशालाओं में आवश्यकतानुसार सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी ? यह जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई गई ? ऐसा इन्तजाम शीघ्र करने में पंचायत समिति को क्या कठिनाई है, जब कि पूरा प्रशासन पंचायत समिति के हाथ में है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति सांचोर में ज्यादातर प्राथमिक पाठशालाओं के भवन कच्चे हैं ? अगर हां तो क्यों तथा कितनी पाठशालाओं के भवन कच्चे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। कितनी पाठशालाओं के भवन पक्के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या यह भी सत्य है कि ऐसे भवनों की मरम्मत कभी नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब मरम्मत कब तक करा दी जावेगी और कच्चे भवनों को पक्का कब तक करा दिया जायगा ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि कई प्राथमिक पाठशालाओं के भवन बिल्कुल नहीं हैं ? अगर हां, तो कितनी पाठशालाओं के कहां कहां भवन नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। ऐसे स्थानों पर पाठशाला कैसे चलाई जाती हैं ? तथा वहां स्कूल भवन कब तक बनवा दिए जायेंगे ?

(5) प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार निकट भविष्य में शिक्षा की नीति में क्या सुधार करना चाहेगी तथा ऐसा परिवर्तन कब तक कर दिया जावेगा ?

(6) ग्रामीण अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा नीति अपनाने के बारे में सरकार कब तक क्या निर्णय लेना चाहेगी ?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

उत्तर

(1) जी हां, कुल 114 प्राथमिक शालाएं हैं व उन्हें खरीद की स्वीकृति के अभाव में सामग्री नहीं दी जा सकती है। पाठशालाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आवश्यक सामग्री सप्लाई किये जाने की कार्यवाही जारी है व निकट भविष्य में सप्लाई कर दी जावेगी। सामग्री सप्लाई करने की जिम्मेदारी विकास अधिकारी की थी, किन्तु खरीद की स्वीकृति के अभाव में जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकी खरीद की स्वीकृति के अभाव में पंचायत समिति को सामग्री सप्लाई करने करने में कठिनाई रही है।

(3) जी हां। जन सहयोग के अभाव में भवन कच्चे हैं। कुल 82 पाठशालाओं के भवन कच्चे हैं। कच्चे भवनों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें भवन कब से कच्चे हैं इसका भी उल्लेख कर दिया गया है। कुल 20 शालाओं के भवन पक्के हैं व उनकी सूची भी सदन की मेज

(पंचायत मंत्री)

पर रख दी गई है। जन सहयोग के अभाव में भवनों की मरम्मत नहीं कराई जा सकी है व जनसहयोग प्राप्त होने पर मरम्मत करवाया जाना संभव हो सकेगा। इसी प्रकार जन सहयोग प्राप्त होने पर कच्चे भवनों को पक्का बनवाया जा सकेगा।

(4) जी हां। कुल 12 पाठशालाओं के लिए भवन नहीं हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शालाएँ निजी भवनों या घास फूस के छप्परों में चलाई जाती है। वांछित जनसहयोग प्राप्त होने पर स्कूल भवन बनवाये जा सकेंगे।

(5) शिक्षा के सुधार हेतु विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसमें परीक्षा व पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। समय के बारे में निश्चित अवधि बांधना अभी संभव नहीं है, फिर भी शीघ्रता बर्ती जावेगी।

(6) ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा के बारे में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए सन् 1964 में एक अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद यह निर्णय रहा कि गरीब एवं निर्धन व्यक्ति, जो अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ हैं, को अधिनियम के अन्तर्गत दंडित करना उचित नहीं होगा। और समझायश का तरीका अपनाना उचित होगा। अब 11 वर्ष तक की आयु के बालकों को सन् 1975 तक शिक्षा देने का राज्य सरकार का निर्णय है और इसे ही ध्यान में रख कर 1000 प्राथमिक शालाएं इस वर्ष खोलने का फैसला किया गया है।

तालाबों तथा एनिकटों का निर्माण कार्य

94. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की पंचायत समिति सराड़ा द्वारा सन् 1968–69 तथा 1970 में छोटे तालाबों तथा एनिकटों का निर्माण कार्य कराया गया था? यदि हां, तो कुल कितने कार्य कराये गये थे?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत समिति के तालाबों व एनिकटों के कार्य अधूरे हैं? यदि हां, तो कितने कार्य अधूरे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। सिंचाई के छोटे तालाबों एवं एनीकट के कुल 35 कार्य करवाये गये हैं।

(2) 15 कार्य अधूरे हैं। 20 कार्य पूरे हो गये हैं।

परबतसर तहसील की ढाणियों के निवासियों का मतदाता सूची में नाम

95. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर): क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परबतसर तहसील के अन्तर्गत शिवजी बाबा की ढाणी खिजूरवाली ढाणी आदि ढाणियां परबतसर शहर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थित हैं?

(श्री जेठमल वरवड)

(2) क्या यह सही है कि इन ढाणियों की आबादी लगभग 1500 से 2000 की है ?

(3) क्या यह सही है कि इन ढाणियों को उनके निवासियों को किसी भी पंचायत या नगरपालिका के अन्तर्गत नहीं रखा गया है ?

(4) क्या यह सही है कि इन ढाणियों के निवासियों से राजस्व की वसूली की जाती है ?

(5) क्या यह सही है कि इन ढाणियों के निवासियों का नाम मतदाता सूचियों में नहीं है तथा इन्हें 1952 से लेकर अब तक मतदान करने से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(6) क्या सरकार इन ढाणियों के निवासियों को मतदान से वंचित रखेंगी ? यदि नहीं तो इन ढाणियों को किस पंचायत या नगरपालिका के अन्तर्गत रखने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) यही सही है कि परबतसर शहर के पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण में ढाणियां स्थित हैं जिनमें खजूरवाली ढाणी व शिवजी बाबा की ढाणी सम्मिलित है–जो परबतसर से पूर्व में स्थित है व शिवजी बाबा की ढाणी विधान सभा क्षेत्र परबतसर रोलस में खातियों की ढाणी नाम से स्थित है।

(2) इन ढाणियों की जनसंख्या जनगणना 1971 के आधार पर 1313 है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। इनके नाम मतदाता सूचियों में हैं और ये लोक सभा व विधान सभा चुनावों में मतदान करते रहे हैं।

(6) जी नहीं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों की यात्रायें

96. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1969–70 तथा 1970–71 की अवधि में सिंचाई विभाग में कई इंजीनियर्स, ओवरसियर्स एवं अन्य अधिकारियों ने गुजरात प्रान्त की यात्राएं सरकारी कार्य के लिए की हैं ?

(2) यदि हां, तो ऐसे यात्रा करने वाले अधिकारियों के नाम, पद, यात्रा स्थान, यात्रा का प्रयोजन-मय तारीखों के, सूची सदन के पटल पर रखी जाय।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

Page No 36

गंग नहर क्षेत्र में पानी की बारी

97. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंग नहर क्षेत्र में, जब कि किसानों ने उस भूमि की नहरी दर पर कीमत दाखिल की हुई है जिनमें की नहर के पानी के लिए खाले चल रहे हैं तो नहर के पानी की बारी क्यों नहीं दी जा रही है ?

(2) क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवायेगी और किसानों को उन खालों में आई हुई भूमि को पानी देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) खाले में आई हुई जमीन की बारी इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि इस रकबे में जमीदार द्वारा कोई काश्त नहीं की जाती है। खाले में पानी चलने के कारण जमीदार को इसकी सुविधा है कि वह खाले पर पेड़ आदि लगाकर फायदा उठाता है और इन पेड़ों का मालिक जमीदार ही होता है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ श्रेणी के सरप्लस कर्मचारी

89. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग, बीकानेर के करीब सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1-4-67 से सरप्लस घोषित किया जा चुका था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सरप्लस घोषित कर्मचारियों का फिक्शेसन नहीं किया गया था ? अगर हां, तो इनका फिक्शेसन कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग, बीकानेर के 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिनांक 1-4-67 से सरप्लस घोषित किया गया था।

(2) हां, यह सही है कि उपरोक्त सरप्लस कर्मचारियों का फिक्शेसन स्ट्रेन्थ स्वीकृति के अभाव में नहीं किया गया जिसकी कार्यवाही जारी है।

गंगनहर क्षेत्र में पानी का बंटवारा

99. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर के गंग नहर क्षेत्र में आम तौर पर नहर के पानी की बारी सिंचाई विभाग द्वारा दिनों पर मुकर्रर है ?

(2) क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग पानी का बंटवारा पक्षपात से करता है जिसके कारण बहुत से लोग पानी लेने में असमर्थ रह जाते हैं ?

(3) गत वर्ष (1971-72) में आर. बी. व पी. एस. नहर रविवार व सोमवार को कितने दिन बंद रही ? एन. एन. राजबाह शुक्रवार को कितने दिन बंद रही ? डी. डी. राजबाह में कौन सा ऐसा दिन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाता रहा है ? क्या सरकार इस मामले की

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
निष्पक्ष जांच करवाने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, आम तौर पर सतरोजा बारी से नहरें चलाई जाती हैं।

(2) जी नहीं।

(3) आर पी. नहर सन् 1971–72 में 24 दिन रविवार को 24 दिन सोमवार को बन्द रही। नहर पी. एस. 1971–72 में 22 दिन रविवार की तथा 23 दिन सोमवार को बन्द रही। एन. एन. राजवाह शुक्रवार को 20 दिन बन्द रही है। डी. डी. राजवाह ज्यादा से ज्यादा 36 दिन मंगलवार को चली। जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

गंगनहर क्षेत्र में पानी की बारी की पर्चियां

100. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि गंग नहर क्षेत्र में जो पानी की बारी बनाई जा रही है उसमें आसामियान को उसकी पानी बारी की पर्ची दी जाती है ? यदि हां, तो क्या उसे यह जानकारी प्राप्त नहीं होती कि किसी दूसरे आसामी की पानी की बारी में उसको दिए जाने वाले पानी की बारी से अधिक पानी दे दिया जाता है ?

(2) क्या सरकार इस मामले की जानकारी के लिए जो भी पानी की बारी किसी गांव के लिये मुकर्रर करेगी उसकी एक प्रतिलिपि उस पंचायत कार्यालय में रखेगी जिससे किसानों को सुविधापूर्वक जानकारी मिलती रहे ?

उत्तर

(1) जी हां, बारी ऐरोपा के हिसाब से की जाती है अतः अपने क्षेत्र से अपेक्षित ज्यादा पानी देने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं केवल जिलेदार के कार्यालय में ही बारा बन्दी की प्रति दी जाती है। पंचायत को देना सम्भव नहीं है।

पाली तहसील के गांव डूंगरपुर के तालाब का कार्य

101. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील के गांव डूंगरपुर में तालाब का कार्य क्रेश प्रोग्राम के तहत चालू कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि गांव का सरपंच पीटल (कलबी) जाति का होने से जिन अनुसूचित जाति (भांबी) के लोगों ने चुनाव में कलबी जाति के निर्दलीय उम्मीदवार को वोट नहीं दिये उनको मजदूरी पर से हटाने का कार्य सरपंच ने किया जिसकी शिकायत पाली जिलाधीश को पेश हुई ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

(विकास मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधीश द्वारा मौके पर जांच करवाई गई व अनुसूचित जाति के मजदूरों को हटाया जाना साबित नहीं हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित स्थगन-प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

1. श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें आयुर्वेद सेवाश्रम, उदयपुर में मजदूरों की हड़ताल की चर्चा की गई है।

2. श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा ने मलसीसर कस्बा, जिला झुन्झुनूं में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

3. श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने कोटा में नगर-परिषद् के हरिजन कर्मचारियों तथा स्त्रियों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर जिले के कोलायत झील में पानी जाने के नालों को ठेकेदारों द्वारा खाद खोदने के नाम पर नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

1. सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हाण्डा, मोहम्मद गफ्फार अली, मोहन राज और नन्दलाल वैरवा, सदस्य विधान सभा ने राज्य मंत्री-मण्डल द्वारा दिनांक 29 अप्रेल, सन् 1972 को कृषि भूमि पर सीलिंग में कमी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि कल दिनांक 5 मई, 1972 को सदन में भू-राजस्व से संबंधित मांग पर विचार किया जावेगा। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य इस विषय को कल बहस के दौरान उठा सकते हैं।

2. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान नहर के डेजर्ट डिवीजन नं. 6 तथा 11 के 35 कर्मचारियों की भूख हड़ताल से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय पर दिनांक 1 मई, 1972 को एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जा चुका है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, सन् 1972 को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें जयपुर नगर परिषद् को दिये जाने वाले अनुदान की राशि लेप्स होने की चर्चा की गई थी। मैं इस प्रश्न को

Page No 39

(श्री अध्यक्ष)
अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं समझता हूं। अतः इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 29 अप्रेल, 1972 को उत्तर प्रदेश के कुछ विधायकों द्वारा ब्रज प्रदेश के पृथक् निर्माण में राजस्थान के 2 जिलों को सम्मिलित करने की मांग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : एक प्रस्ताव की और सूचना माननीय सदस्य श्री हाण्डा ने दी है। घेराव करने की उस पर क्या व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : सदन की राय से चलता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है वह उसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो पहले दिया गया वही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब परिस्थितियां बदल गई हैं।

श्री अध्यक्ष : वही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नहीं साहब, पुलिस ज्यादती कर रही है। उन्हें उठा उठा कर ले जा रही है और जबरदस्ती ग्लूकोज दे रही है।

श्री अध्यक्ष : इसके सम्बन्ध में दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप पढ़ लें। मेरा जो आपरेटिव पोर्शन है स्थगन प्रस्ताव में अध्यक्ष महोदय, वह यही है।

श्री अध्यक्ष : पुलिस के बारे में यह हो चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें यह है, "अब स्थिति यह है कि चीफ के निवास के सामने बैठे भूख हड़ताली श्रमिकों के साथ राजस्थान की पुलिस दमन कर रही है।"

श्री अध्यक्ष : मैं पढ़कर आया हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने यह प्रश्न उठाया है...

श्री अध्यक्ष : उसके लिए मैं मना कर चुका हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल इतना सा दे दूं।

श्री अध्यक्ष : आप जो चाहें। आपकी मरजी की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उस रूप में स्वीकार करें तो इतना ही पोर्शन दे दूं।

श्री अध्यक्ष : आप भेजेंगे उस पर निर्णय दे दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर स्थिति है...

श्री अध्यक्ष : निर्णय करने से पहले प्रोपोजल नहीं दे सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक मजदूर मर जाता। ग्लूकोज उसकी विन्ड लाइन के अन्दर चला गया और मरता मरता बचा। अध्यक्ष महोदय, जबरदस्ती भूख हड़ताली मजदूरों को उठाकर ले जाती है जो कि आज 12 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुलिस बराबर जुल्म कर रही है। इस विभाग के भूतपूर्व मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने आदेश दिया था कि इन मजदूरों को लिया जाय तो उनके आदेश से मजदूरों को लिया गया और केवल 15 दिन के बाद मजदूरों को निकाल दिया गया। उस आदेश की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। इससे गम्भीर प्रश्न और क्या हो सकता है कि राज्य सरकार के माननीय मंत्री महोदय के आदेशों को विभाग का एक अध्यक्ष ठुकरा दे और उसके विरोध में मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे हो मजदूरों पर पुलिस बराबर जुलुम कर रही है और मजदूरों को केवल इसलिए निकाला गया है कि उनके स्थान पर इंजीनियरों के रिश्तेदारों को भर्ती किया जा सके। 185 जगह आज भी खाली हैं जिनमें से 35 कर्मचारियों को रखा है···

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह अहम मसला है। आप कम से कम बयान तो दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव भेजेंगे उस पर निर्णय देंगे।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आपने व्यवस्था दी है अध्यक्ष महोदय···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप बता दीजिए कि किस रूप में प्रस्ताव भेज दूं। मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि पुलिस बराबर जुल्म कर रही है और उसी रूप में मैंने प्रस्ताव दिया है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। कल ही मजदूरों को पुलिस उठा कर ले गई है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। कल ही एक मजदूर की मृत्यु होते होते बची है। ऐसी गम्भीर स्थिति है·····

श्री अध्यक्ष : आप फरमा चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप ही बता दीजिए कि कौन से रूप में प्रस्ताव भेजूं।

एक माननीय सदस्य : मजदूरों का मामला है तो मंत्रीजी को इस पर गौर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जरूर गौर होगा।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि व्रजप्रदेश का मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यू. पी. के विधायकों के इस मांग के पश्चात् राजस्थान के विघटन की स्थिति बनती जा रही है। यहां राजस्थान में भी डूंगरपुर के महारावल साहब ने राजस्थान के विघटन की मांग इस सदन के अन्दर रखी है और आज इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में बनती जा रही है और माननीय सदस्यों के द्वारा भी इस प्रकार की चर्चा चल रही है। इसी प्रकार के राजस्थान के विघटन की चर्चा उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसी प्रकार की चर्चा हरियाणा में चल रही है और इस

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

प्रकार का वातावरण तरह तरह के रूप में राजस्थान के टुकड़े करने का हो रहा है। गुजरात की आंख भी इस ओर लग सकती है और राजस्थान के विघटन की प्रक्रिया का प्रयास हो रहा है। आपने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कह दिया है कि यह अविलम्ब लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। आज सदन के नेता महोदय सदन में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए राजस्थान की एकता को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार होना चाहिए और इस सदन के माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इस स्थगन प्रस्ताव पर विचार करने का मौका दें ताकि हमें नेता महोदय के मुंह से भी इस सदन के अन्दर उनके विचार सुनने को मिलें कि राजस्थान का विघटन नहीं होने दिया जाएगा जिससे जनता का मनोबल बने····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : नेता महोदय को यहां कहना चाहिए कि राजस्थान की एकता को कायम रखा जावेगा। इस प्रस्ताव पर विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री मीठालाल, श्री मनोहरलाल, श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह आपने मेरा जो प्रस्ताव 127 के तहत था····

श्री अध्यक्ष : वह भी खत्म हो चुका है। उस पर काफी बोल चुके हैं।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके ऊपर व्यवस्था देने के उपरान्त भी··

श्री अध्यक्ष : काफी कह चुके हैं, आप पहले हो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसके सम्बन्ध में तो कुछ भी नहीं बोला गया है अभी तक।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि भरतपुर राजस्थान से अलग हो जाय। भरतपुर की स्पष्ट राय है कि भरतपुर राजस्थान के साथ रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस पर पुनः विचार करें।

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से चेम्बर में मिल लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चेम्बर में मिल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर में पेयजल की समस्या

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में जल-समस्या प्रत्येक गर्मी के मौसम में बढ़ती जाती है और जो वर्तमान में जयपुर में पानी सप्लाई करने की व्य

Page No 42

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

है वह अपर्याप्त है। लक्ष्मण डूंगरी में जहां कि रामगढ़ का पानी आता है वहां पर केवल 14 लाख गैलन पानी एकत्रित करने की टंकी बनी हुई है जो कि जयपुर शहर को ही नहीं बल्कि जयपुर की चार दीवारी के भीतर ही पानी सप्लाई करने के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार से अमानीशाह के कुओं में, जिन कुओं को बने हुए लगभग 60 वर्ष हो गए हैं और पिछले कई वर्षों से कुओं की सफाई नहीं हुई है। उन कुओं के लिए भी अब पानी की सप्लाई करना उनकी क्षमता से बाहर की बात हो गई है, और धीरे 2 उन कुओं से पानी जो जयपुर शहर में सप्लाई किया जाता है वह उनकी क्षमता से बाहर चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ बंधे के बीच में, जो पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वहां पर बीच में एक दीवार होने के कारण, बीच में दीवार होने के कारण जितना पानी रामगढ़ के बंधे में है उसका उपयोग भली प्रकार से नहीं कर सकते हैं। यदि वर्षा न हो, गर्मी के दिनों में पीने के पानी की सप्लाई उसमे कम हो जाती है और उसमें बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय पुराने शहर में अमानीशाह जहां पर कुछ कुए बने हुए हैं उन कुओं से जयपुर श[illegible] पीने की पानी की सप्लाई [illegible] और उस समय अपने गां[illegible] से [illegible]ने [illegible] जयपुर शहर में [illegible]। लेकिन धीरे-धीरे यह [illegible]। जयपुर की जन संख्या धीरे 2 बढ़ती गई। सन् 41 से 51 तक जयपुर शहर की जनसंख्या 2 लाख 91 हजार थी। 52 से 61 तक यह जनसंख्या बढ़कर 4 लाख हो गई और 1961 से 71 में यह संख्या बढ़कर 6 लाख 16 हजार हो गई। आज जयपुर की जनसंख्या 6 लाख 16 हजार है। इस प्रकार जयपुर की जनसंख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। जयपुर शहर चारों ओर फैल गया है और जयपुर शहर फैल जाने के साथ साथ आज जयपुर नगर परिषद की सीमा भी बढ़ गई है जो झोटवाडा, रूपा-रामपुरा (रामपुरा रूपा) और दुर्गापुरा तक पहुंच गयी है और ये सारे स्थान नगर परिषद् की सीमा में हैं...

श्री अध्यक्ष : आप दस मिनिट में समाप्त कर देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दस मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। इस प्रकार जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर की जनसंख्या ही 3 लाख 50 हजार है और बाहर की जन संख्या भी काफी बढ़ गई है और अब जो मास्टर प्लान बनने वाला है उसके सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने भी घोषणा की, और उनके अनुसार भी 1991 में जयपुर की जनसंख्या निश्चित रूप से 12 लाख हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सन् 1955 तक यहां का वाटर सप्लाई स्कीम पहले बिजली विभाग के अन्तर्गत थी और वही जयपुर शहर में पानी की सप्लाई करती थी। बाद में सन् 1955 में यह

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आ गई और उन्होंने सौ लाख रुपये खर्च करने की योजना बनाई और उन्होंने रामगढ़ से जो पानी की सप्लाई होती है उसके लिए एक और लाईन डाली उस लाईन के डल जाने बाद भी जो कैपेसिटी जयपुर शहर में पानी सप्लाई की है वह 70 लाख गैलन से बढ़ कर 120 लाख गैलन ही हुई इस 120 लाख गैलन हो जाने के बाद भी यह जयपुर शहर के लिए अपर्याप्त है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1966 में अकाल सहायता के नाम पर छः लाख रुपये और मंजूर किए और जयपुर शहर में 16 ट्यूब वेल भी खोदे गए। इसके बाद अकाल के नाम पर और 20 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी और 35 ट्यूब वेल बन जाने के बाद भी आज रामगढ़ बंधे से 70 लाख गैलन प्रतिदिन पानी मिलता है। अमानीशाह से 24 लाख गैलन पानी शहर को मिलता है और ट्यूब वेल्स से 75 लाख गैलन पानी मिलता है। यह सारी व्यवस्था हो जाने के बाद भी आज जयपुर शहर की पानी की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई। आज जयपुर शहर में 37 37 हजार प्राइवेट कनेक्शन वाटर के हैं जिनमें से 35 हजार पर मीटर हैं और बाकी फ्लेट रेट पर हैं। 110 कच्ची बस्तियों में भी नल देने के बाद भी हम देखते हैं कि 1971 में जो जयपुर की जनसंख्या 6 लाख 16 हजार है वहां पानी का वितरण 170 लाख गैलन इन सारी व्यवस्थाओं से होता है और इस प्रकार एक व्यक्ति को प्रतिदिन केवल 24 गैलन पीने का पानी मिलता है। इन 24 गैलन में जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से संख्या आती है उसमें उद्योग भी शामिल हैं। इसमें ही रेल्वे को पानी सप्लाई होता है वह भी शामिल है, और एन. ई. सी. भी इसी में शामिल है, और फेक्ट्रीज में सप्लाई किया जाने वाला पानी भी इसी में शामिल है तथा उद्यानों में, बाग बगीचों में, जो पानी दिया जाता है वह भी इस 24 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब में ही आ जाता है। इस प्रकार जयपुर शहर में जो प्रति व्यक्ति पानी मिलता है वह 15-16 गैलन प्रति व्यक्ति मिलता है।

यह सारी बात हो जाने के बाद भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हाईजीन कमेटी भारत सरकार ने नियुक्त की थी और उस हाईजीन कमेटी ने यह रिकमण्डेशन की थी कि छः लाख की आबादी में प्रति व्यक्ति को 45 गैलन पानी मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 गैलन और 45 गैलन में बहुत बड़ा अन्तर है। इस हाईजीन कमेटी की रिपोर्ट के उपरान्त भी जयपुर शहर में पानी की कोई और लाईन नहीं डाली गई है और जो लाइनें पुरानी हैं वे खराब हो चुकी हैं, उनमें प्रेशर आता नहीं है। एक ही लाईन में से कई कई कनेक्शन लोगों ने ले रखे हैं जिससे पानी ठीक से पहुंचता नहीं है। जो टैंक्स बने हुए हैं उनमें बिजली की प्रोपर सप्लाई नहीं होने के कारण उनसे भी फायदा नहीं होता। आज जो पानी के अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक्स बने हुए हैं वे भी पानी देने में अपर्याप्त हैं और जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर कमेटी बनी थी उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि कुओं में पानी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

सतह इतनी नीचे चली गई है कि आगे जाकर ट्यूबवेल भी ठीक से काम नहीं कर पायेंगे और अमानीशाह में जो छः ट्यूबवेल खोदे गए हैं उनको भी बन्द करना पड़ेगा। आज कच्ची बस्ती के लोगों को पानी मिलता नहीं है।

जयपुर शहर के लोगों को पानी मिलता नहीं। मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हर साल जून के महीने में जयपुर शहर में पीने के पानी की समस्या के लिये लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, लोगों को लड़ाई करनी पड़ती है। इस साल भी यह समस्या आयेगी। क्या सरकार इन सब बातों पर विचार करेगी और इसके लिये कोई योजना बनायेगी? सरकार ने एक योजना बनाई थी और माधोसिंह सर्किल के ऊपर एक ट्यूब वेल खोदा था, 50 हजार की लागत से। वहां पर एक पम्प भी लगाया गया था वह अब हटा दिया गया है और अब जो कुआ बना हुआ है उसको बन्द किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि नलकूप से पीने की पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब शीघ्र हो टाउन प्लानिंग की रिपोर्ट लागू हो जायेगी और उसके अनुसार जयपुर का विकास किया जायेगा। आज जयपुर शहर के 12 लाख की आबादी को 480 लाख गैलन पानी चाहिये और उद्योगों के लिये 120 गैलन पानी चाहिये। इस प्रकार कुल हमको 600 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है। 120 लाख गैलन पानी रामगढ़ के बंधे से और अन्य नलकूपों से हम ले सकते हैं और बाकी का किसी प्रकार से पानी का स्रोत हमारे पास में नहीं है। इसलिये वाटर वर्क्स ने भी और राज्य सरकार ने भी बनास की योजना बनाई थी। इस बनास योजना की पहली यूनिट पर 8 करोड़, दूसरे चरण पर 5 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च करने की योजना थी। पानी का लाभ होने के साथ-साथ सिंचाई होने वाली थी। बनास योजना का कमान्ड एरिया था एक लाख 66 हजार एकड़। इतने लोगों को पानी मिलता और 66 हजार एकड़ में इस प्रकार से इर्रीगेशन होता। यह योजना स्टेट के टाइम में सन् 45 में हो गई थी। जयपुर स्टेट के समय में यह योजना बन गई थी और भारत सरकार ने इस योजना की टेक्नीकल एप्रूवल भेज दी थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो अध्यक्ष पांच मिनिट और हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको दस मिनिट हो चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका आभारी हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं कि आपको गलतफहमी हो गई है। आप इसका निवारण कर लीजिये।

इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय। मई, 1971 को एक मीटिंग हुई थी और यह किया गया था कि बनास योजना का काम प्रारम्भ हो जायेगा और राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया था कि जयपुर शहर में पीने के पानी की समस्या का समाधान नल-

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

कूपों से नहीं होगा। तो इसके लिये निश्चित रूप से बनास योजना लागू करनी चाहिये। यह आश्वासन भी दिया गया था। परन्तु यह जयपुर शहर की जनता का दुर्भाग्य था कि इस योजना को खटाई में डाल दिया गया है और उसके स्थान पर यह योजना बनाई गई है कि शहर के अन्दर 200 ट्यूब वेल्स खोदे जायें। इस सम्बन्ध में मैं एक बात, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा। जोधपुर शहर में रामपुरा योजना के तहत 15 ट्यूब वेल्स और खोदे जा रहे हैं। इस तरह जितने भी खेतों में कुओं के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था हो रही है, वह सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। इन कुओं का पानी सूख जायेगा और सिंचाई के लिये उनको पानी नहीं रह जायेगा। इसी प्रकार की रिपोर्ट जियोलॉजिकल डिपार्टमेन्ट ने सर्वे कर के दी है। तो आज सिंचाई की समस्या के साथ ही साथ जयपुर शहर के लोगों के लिये पीने की पानी की समस्या भी है। इन दोनों समस्या का समाधान बनास योजना के द्वारा ही हो सकता है। आज जयपुर शहर में 12 लाख की जनसंख्या हो गई है, और इसके आधार पर यहां पर उद्योग धन्धे भी खुलेंगे, आगे भी जनसंख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे और भी बस्तियां मास्टर प्लान के तहत यहां पर बढ़ेंगी और ये बस्तियां भी हमारे शहर के अन्दर शामिल होंगी। अमानीशाह में जो ट्यूब वेल्स थे वे सूख गये हैं। सरकार इस पर विचार करें। यदि और कुए खोदे गये तो वे भी आगे जाकर के सूख जायेंगे। यदि 200 और ट्यूब वेल्स खोदे गये तो जयपुर शहर के आस पास जितने भी पुराने कुए हैं उनमें पानी सूख जायेगा और उनको नुकसान होगा। इन ट्यूब वेल्स पर लाखों रुपये खर्च किये गये हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार की यह तुगलकशाही योजना है। यदि जयपुर शहर की पानी की समस्या का आप समाधान करना चाहते हैं तो उसका समाधान इन ट्यूब वेल्स से नहीं होगा। इसके लिये बनास योजना को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये। सरकार की जो 200 ट्यूब वेल्स और खोदने की योजना है, वह व्यवहारिक नहीं। हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी यह योजना बेकार सिद्ध होगी। जयपुर जिला सब जिलों से बड़ा है और इसकी आय भी अधिक है। चार जिलों के बराबर यह एक जयपुर जिला है। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिये। यहां की सिंचाई की समस्या का समाधान भी हो जायेगा और इस जिले के लोग भी याद करेंगे कि राजस्थान के एक ऐसे मुख्य मंत्री महोदय भी थे जिन्होंने उनके लिये ऐसी व्यवस्था की है।

इस प्रकार मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल 44 हजार रुपया इस योजना के प्रारूप बनाने पर अब तक खर्च किया जा चुका है। प्रारूप बनने के बाद इस योजना की क्रियान्विति नहीं की गई है तब आखिर क्यों कर लोगों के इस धन का अपव्यय किया गया? सर्वेक्षण कार्य पर जो 44 हजार रुपया अपव्यय किया गया है वह नहीं किया जाना चाहिये था। इस योजना में सिंचाई की व्यवस्था भी है। पहले सिंचाई विभाग अपना हिस्सा देने को तैयार था। अब सिंचाई विभाग पोलिटिकल आधार, पर, राजनैतिक आधा

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
पर कि डेम बन जाने के कारण चित्तौड़ और भीलवाड़ा का पानी रुक जायेगा. वहां के डेम का काम नहीं होगा, सिंचाई विभाग अब इससे मुकर रहा है। पीने के पानी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो इस योजना को क्रियान्वित करना चाहिये। अजमेर तक बनास की योजना के आधार पर पानी दिया जा रहा है लेकिन टोंक जिले को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस बनास योजना के बन जाने से उनको भी पानी मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इससे जयपुर को भी पानी मिलेगा। इसके 24 करोड़ का आधा हिस्सा इरींगेशन विभाग दे। फिर जयपुर, अजमेर और टोंक जिले भी देंगे। इनसे भी पैसा लेना चाहिये और सिंचाई के आधार पर जो टेक्सेशन आज आपने लगाये हैं वे टेक्सेशन आप इनसे भी लीजिये। और इसके लिये बीमा विभाग से लोन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीमा विभाग से 10 प्रतिशत की जमा पर 90 प्रतिशत तक लोन लिया है तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की योजना आप यहां पर क्यों नहीं लागू कर सकते हैं। आर्थिक कठिनाई इसमें कोई बाधा नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने जयपुर की जनता से वायदा किया है कि वे एक वर्ष के भीतर जयपुर का विकास करदेंगे। मैं इस ओर उनका पुनः ध्यान दिलाना चाहता हूं। जयपुर की जनता को पीने के पानी का जितना कष्ट है उतना अन्य किसी को नहीं है। सड़कें बना देने या गटर की लाइन डाल देने या मेडिकल कालेज खोल देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा और न आम जनता को ही राहत मिलेगी। जयपुर शहर की इस समस्या का समाधान करना है तो इसके लिये एकमात्र नल कूप खोदने की योजना है बनास योजना। इसके अलावा तुगलकशाही योजना है और इस पर राज्य सरकार अपव्यय करना चाहती है। किसी प्रकार से राज्य सरकार बनास योजना को लागू करे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री मोहम्मद गफ्फार : अध्यक्ष महोदय

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जयपुर शहर के पीने की पानी की समस्या का सवाल यहां पर उठाया है। मैं भी अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में जो पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में है, यहां पर कहना चाहता हूं ......

श्री अध्यक्ष : यह आपका अलग से प्रश्न है। इससे संबंधित नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार : अध्यक्ष महोदय मैं समय कम लूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : पहले वे बोलें जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : (किशनपोल बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के अन्दर पीने के पानी की जो समस्या है, आपके माध्यम से उसकी ओर मैं सरकार

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जयपुर में पीने के पानी की जो समस्या है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि यह सत्य है कि पिछले वर्षों में जयपुर शहर में बड़ी पाइप लाइन डालने के अन्दर 85 लाख रुपया खर्च किया गया है, यह भी सत्य है कि जयपुर शहर में पिछले वर्षों पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिये करीब 60 नलकूप खोदे गये और जहां जहां रास्ते में छोटी पाइप लाइनें थीं उनको बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया गया है और इस पर पिछले वर्ष करीब 15 लाख रुपया खर्च किया गया है और 5 लाख रुपये के लगभग और खर्च होने की सम्भावना है। लेकिन इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी जो स्थिति है कि जब पानी की घर में शुरूआत होती है तो वह पहली मन्जिल तक तो पहुंच जाता है लेकिन दूसरी व तीसरी मन्जिल की बात मुश्किल रहती है। जयपुर शहर के परकोटे के भीतर, चार दीवारी के भीतर करीब 3 लाख 60 हजार की आबादी रहती है याने मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 80 प्रतिशत आबादी शहर के अन्दर निवास करती है।

श्री अध्यक्ष : आप भी सूक्ष्म रूप में कहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं बिल्कुल सूक्ष्म रूप में निवेदन कर रहा हूं। तो तीन मंजिल की इमारतों में जो लोग रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। मैं यह मान कर चलता हूं कि सरकार इस ओर सजग है। सरकार इसका समाधान भी करना चाहती है। लेकिन सरकार के पास, जैसा कि वित्त मन्त्री ने पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि अर्थाभाव के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बनास योजना के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग ने सरकार को लिखा था कि माही को रोककर वहां का पानी आराम से चम्बल के पानी को बांध बनाकर डाला जा सकता है। उस से अजमेर, टोंक और जयपुर की पेयजल योजना पूरी होगी और इस प्रकार से जयपुर शहर की पीने के पानी की समस्या की व्यवस्था होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाऊं, जब आप इस विभाग के मन्त्री थे तो आपके समय में यह प्रावधान रखा गया था। माननीय मन्त्री महोदय ने जो यह सर्वे हुआ है, जो खर्चा हुआ है, उसका प्रारूप बनाया है। एक बार आपके जमाने में प्रावधान रखा गया है। चौथे वर्ष में भी बनास योजना का प्रावधान किया गया है। मुझे खेद है कि आज इस समस्या की उपेक्षा कर के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर शहर के भीतर तीन लाख की आबादी है। बाहर रहने वालों की ढाई लाख की आबादी है। इसको ध्यान में रखते हुए नलकूप योजना से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके लिए बनास योजना को शीघ्र ही हाथ में लें ताकि यह काम प्रारम्भ हो जाये। जब तक यह काम प्रारम्भ नहीं होता है, तब तक जो नलकूपों की व्यवस्था की है, कच्ची बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था की है, 90 प्रतिशत व्यवस्था कर दी है लेकिन 10 प्रतिशत रह गये हैं। माननीय मन्त्री जी निरीक्षण करके भी आये हैं। वहां तुरन्त

Page No 48

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पीने के पानी की व्यवस्था करें। बनास योजना को अतिशीघ्र हाथ में लें। इससे जयपुर और उसके आसपास की सिंचाई की समस्या भी हल हो जायेगी। मैं समझता हूं कि जो राजनैतिक भेदभाव की बात कही गई है, वह मैं नहीं कहता हूं। मैं यह मानकर चलता हूं कि करोड़ों रुपये इस समस्या को हल करने के लिए व्यय किए गए हैं। आज भी स्वास्थ्य मन्त्री जी सजग हैं।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने पीने के पानी के लिए लगभग 10 करोड़ रुपया रखा है। जयपुर शहर की जो समस्या है, उससे भी गम्भीर समस्या गांवों की है। जयपुर, अजमेर और टौंक ये बड़े स्थान हैं। यहां के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करना सरकार का फर्ज है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने, भू. पू. मुख्य मन्त्री ने जो वायदा हाउस में किया है, जो सारी घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं को क्रियान्वित किया जाये। बनास योजना को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मन्त्री जी।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय••

श्री अध्यक्ष कोई नई बात हो तो कह दें।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर की पानी की समस्या गम्भीर समस्या है। जयपुर के लिए विशेषकर बनास योजना बनी थी। लेकिन उसको स्थगित कर नलकूप योजना के बारे में सोचा गया है। इस बारे में सरकार ने 1992 वर्ष तक की 20 वर्ष की एक योजना पर विचार किया है। मैं निवेदन करूं कि जब यहां की जनसंख्या बढ़ जायेगी तो ट्यूबवैल की क्या स्थिति होगी। अध्यक्ष महोदय, जमवा रामगढ़ का बन्धा है। उसका पानी सिंचाई के लिए किसानों को नहीं दिया जाता है। बनास योजना से जयपुर में पानी लाया जाय तो किसानों को भी खेती के लिए बन्धे से पानी मिल सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि इस बनास योजना के बारे में थोड़ा ढिलमिल विचार न रखे और बनास योजना को ही रखा जाये। ट्यूबवैल वाली योजना सस्ती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने हर समय प्रयत्न किये हैं। यहां की योजना के प्रथम पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार ने लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना वर्ष 1955-56 में स्वीकृत की है। इस योजना द्वारा रामगढ़ बांध से जयपुर तक 27 इंच की बड़ी पाइप लाइन डाल कर एवं और अन्य बहुत से कार्य किये जाकर पेयजल की क्षमता को 70 लाख गैलन प्रतिदिन से बढ़ा कर वर्ष 1963 में 120 लाख गैलन प्रतिदिन तक पहुंचाया गया है। वर्ष 1966 व 67 में जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई और ई वर्षों तक उचित मात्रा

(श्री चन्दनमल वैद)
में वर्षा न होने के कारण रामगढ़ बन्धे में पानी की कमी महसूस हुई तो राज्य सरकार ने 6 लाख रुपये स्वीकृत कर 16 नये नलकूप निर्माण किये। नगर के अन्य सुधार कार्य हेतु भी विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 2 से 3 लाख रुपये तक पाईप लाईनें डालने अथवा ट्यूब-वैलों का सुधार करने हेतु व्यय किया जाता रहा है। वर्ष 1970-71 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 20 लाख रुपये की और स्वीकृति दी गई जिसके द्वारा 35 नये नलकूप चालू किये गये। उपरोक्त कार्यों द्वारा जयपुर में जल वितरण की क्षमता रामगढ़ बन्धा, अमानी शाह नले के नलकूपों तथा शहर के विभिन्न भागों के 120 नलकूपों द्वारा कुल मिलाकर 170 लाख गैलन प्रति दिन हो गई है। जयपुर में चारों ओर जो नई बस्तियां पिछले वर्षों में बसी हैं जैसे आदर्श नगर, तिलक नगर, गान्धी नगर, बजाज नगर, सिविल लाइन्स, बनीपार्क, नाहरी का नाका, जनता कालोनी, सी स्कीम, आदि उनकी विभाग द्वारा पृथक्-पृथक् एवं स्वतन्त्र जल वितरण व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जिनमें वहां के नलकूपों द्वारा स्थानीय टंकियों में पानी इकट्ठा किया जाकर वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरूप रामगढ़ बन्धे से प्रायः अधिकांश पानी पुराने शहर की विभिन्न चौकड़ियों में वितरित किया जा रहा है।

इसी प्रकार अमानीशाह के नले के नलकूपों का पानी भी, जो कि आज 24 लाख गैलन प्रतिदिन है, पुराने शहर को वितरित किया जा रहा है। शहर के समस्त भागों में रोज प्रातः काल एवं सायंकाल निश्चित समय के लिए पूर्ण दबाव के साथ पानी वितरण किया जा रहा है और कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

जयपुर की निरन्तर बढ़ती हुई जन-संख्या को मद्दे नजर रखते हुये जन-स्वास्थ्य विभाग ने योजना के द्वितीय पुनर्गठन हेतु 24 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना तैयार की है। इस योजना द्वारा जयपुर से लगभग 80 मील दूर स्थित बनास नदी से पानी लाने का सुझाव है। इस योजना में यह भी सुझाव है कि बनास नदी पर निर्माण किये जाने वाले बांध के द्वारा सिंचाई भी की जावे। इस योजना के दो अंग हैं। एक बनास नदी को बांध कर वहां से जयपुर तक पानी लाना तथा दूसरा जयपुर की वर्तमान पाईप व्यवस्था को बदलना तथा जगह जगह नये सर्विस रिजर्वेयर बनाना जिससे बढ़ी हुई आबादी को अधिक मात्रा में तथा अधिक प्रेसर के साथ बिना किसी रुकावट के पानी दिया जा सके। इस योजना के दूसरे अंग पर विभाग वर्ष 1971-72 में 17.70 लाख खर्च कर चुका है। अतः यह कहना सही नहीं प्रतीत होता कि दिसम्बर 1971 में इस योजना पर कार्य प्रारम्भ कराने का सदन में जो आश्वासन दिया गया था वह पूरा नहीं किया गया। उक्त राशि द्वारा पुराने शहर के अन्दर बहुत से स्थानों पर बड़ी पाईप लाईन डाली गई है। जिससे पानी के दबाव में बहुत सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त शहर के अन्य भागों में टंकियों का निर्माण एवं पाइप लाइनें आदि डालने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जल की मात्रा में वृद्धि करने की दृष्टि से 14 नए कूप बनाए गये हैं। चालू वर्ष 1972-73 में भी 48 लाख रुपये इस योजना के

(श्री चन्दनमल बैद)

कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृति 33.40 लाख पिछले वर्ष का ऋण भी इस वर्ष सितम्बर के माह तक प्राप्त हो चुकेगा और योजना के कार्यों में उपयोग में लिया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से करीब 31/32 लाख रुपया इस पुनर्गठित योजना पर खर्च करने का प्रावधान है। जहां तक इस योजना के पहले अंग का सवाल है, यह प्रश्न सरकार के अभी तक विचाराधीन है। यह भी विचार चल रहा है कि 21 करोड़ से अधिक व्यय होने वाली स्कीम को हाथ में न लिया जाकर जयपुर के आस पास ही किसी अन्यत्र भूगर्भीय स्रोत का पता लगाया जावे जहां से जयपुर को पानी उपलब्ध कराया जा सके। राजस्थान भू-जल मण्डल का मत है कि 21 करोड़ की इस योजना के अनुपात में काफी कम खर्च में ही भूगर्भीय स्रोतों द्वारा जयपुर को समय समय पर आवश्यकतानुसार जल वितरण में विस्तार किया जा सकता है। राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा जयपुर के आस पास के क्षेत्र में विस्तार से सर्वेक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया है।

इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर राज्य सरकार अंतिम रूप से निर्णय करेगी कि जयपुर पेयजल योजना को पानी बनास नदी से लाया जाय या भूगर्भीय स्रोतों के द्वारा।

जब तक किसी प्रकार का अंतिम निर्णय नहीं लिया जावे तो तब तक जयपुर के पेयजल की क्षमता बढाने हेतु राज्य सरकार नए नल कूपों का निर्माण करने का विचार रखती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आपने कहा कि 82 लाख रुपये खर्च करेंगे, यह ठीक है लेकिन शिकायत वाली बात यह है कि ब्रह्मपुरी, नाहरी का नाका जहां पर मण्डी से उठा कर लोगों को बसाया गया है, मैं समझता हूं, माननीय मंत्री जानते होंगे, वहां भी पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। ब्रह्मपुरी में न प्रातःकाल और न सांयकाल पानी मिलता है, सायंकाल छः बजे के बाद पानी थोडा मिलता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नाहरी के नाके का सर्वेक्षण मैं कर आया हूं। वहां पानी मिलता है। अलबत्ता जोबनेर बाग में पानी की सुविधा नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां पर यह शिकायत है। आप मेरे साथ में चलें मैं आपको दिखलाऊंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके साथ शिकायत पैदा हो जाय तो बात दूसरी है।

श्री चन्दनमल बैद : शिकायत आपके साथ जुड़ी हुई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शिकायत जुड़ी हुई नहीं है। शिकायत वास्तव में है।

आपने बनास योजना स्थगित नहीं की है—यह जान कर खुशी हुई। यह भी सही है भू जल मण्डल दो सौ नल कूप लगाने का स्थान बता देगा लेकिन इस कारण से जयपुर के आस पास के क्षेत्र

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में खेतिहरों के खेत हैं और उनमें जो कुए हैं उनका पानी सूख जायगा जैसे जोधपुर में रामपुरा बांध बनने के बाद में हुआ कि वहां कुए सूख गये। इसलिये आप बनास योजना पर विचार कर लें आप इस 82 लाख का सदुपयोग करना चाहते हैं तो इस बनास योजना को लागू करें वही इस जयपुर शहर के लिये उपयुक्त होगी जयपुर के साथ ही अजमेर का भी हित होगा। टोंक का भी होगा। और जयपुर जिले को खेती करने के लिये, सिंचाई के लिए भी पानी प्राप्त होगा आप बनास योजना पर विचार करके करें—यही प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार।

अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 88,70,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,10,28,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत की गई।

श्रम मंत्री जी ?

श्री ओंकारलाल (श्रममंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,05,07,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत की गई।

मांग संख्या 22, 24 व 40 पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 22

1. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय राजस्थान में औद्योगिक विकास के संदर्भ में नाथद्वारा क्षेत्र में लघु उद्योग धंधों को प्रश्रय देने संबन्धी प्रश्न पर चर्चा के लिये।

2. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में ऊन पर

(श्री भीमसेन)
आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

3. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भीमड़ा शहर, रामसर कुआं (रावतसर) में ऊन कताई केन्द्र स्थापित करने में उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

4. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में कुटीर (गृह) उद्योगों को पनपाने में उदासीनता पर चर्चा के लिए)

5. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बालोतरा नगर में औद्योगिक बस्ती की स्वीकृति देकर निर्माण न कराने पर चर्चा के लिए)

6. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (राज्य सरकार की बाड़मेर जिले में गृह उद्योगों को पनपाने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के खामियों का रंगाई, छपाई के धन्धे को विभाग द्वारा उचित प्रोत्साहन नहीं देने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

9. मांग संख्या 24, मुख्य, शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षितों की बेरोजगारी से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

10. श्री मोहन राज (पाली) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फालना उद्योग बस्ती के मजदूरों के रहने हेतु क्वार्टर्स (मजदूर-बस्ती) की आवश्यकता पर ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

11. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (उद्योग बस्ती फालना व रानी को पानी व बिजली आवश्यक मात्रा में उपलब्ध न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए)।

12. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा उद्योग के विकास

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
के बारे में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

13. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (जिला जालोर में उद्योगों के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

14. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

15. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में ग्रामोद्योगों के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

16. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में चटाई, हड्डी, चमड़ा, कपड़ा आदि कुटीर उद्योगों के विकास के बारे में चर्चा के लिए)।

17. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अन्वेषण की दृष्टि से जिला जालोर की सरकार द्वारा उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

18. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि श्रमिकों की बेकारी की समस्या के समाधान के बारे में नियोजन विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

19. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के दफ्तर की स्थापना न करने के बारे में चर्चा के लिए)।

20. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर के शिक्षित बेकारों की समस्या के समाधान नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

22. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक एवं विपणन समितियों को सशक्त बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

23. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सहकारी समितियों में विनियोजन में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

24. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना में राज्य सरकार द्वारा बर्ती गई उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

25. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित व श्रमिकों की बेरोजगारी समाप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

26. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट होटल निगम को दी जाने वाली सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सड़क परिवहन निगम को दी जाने वाली सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य भण्डागार निगम को दी जाने वाली सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

29. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से बड़े उद्योगों को राजस्थान में लाने में असफल रही है इस बारे में नीति का अननुमोदन)।

30. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार की उद्योगीकरण की प्रणाली राज्य के पिछड़ेपन का कारण रही है इस सम्बन्ध में नीति का अननुमोदन)।

31. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा एडवर्ड मिल, ब्यावर को चलाने के बारे में दुर्लक्षपूर्ण नीति बरतने के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री केसरी मल)

32. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा महालक्ष्मी मिल, ब्यावर की व्यवस्था न सुधार पाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

33. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के मजदूर विरोधी व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (श्री महालक्ष्मी मिल, ब्यावर के मजदूरों का महंगाई भत्ता, वेतन, बोनस आदि की अदायगी के सम्बन्ध में श्रम विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

35. श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की लघु और कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में दुर्लक्षपूर्ण नीति रही है इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई बड़ी योजना (Pilot Project) बनाकर उसे लागू कराने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 24

36. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा राजस्थान विद्युत् कर्मचारी यूनियन की आईटक (A.I.T.U.C.) से किये जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के श्रम विभाग की कार्यकुशलता पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार की श्रम नीति सदा मालिकों के पक्ष में रही है–पुलिस का दखल मालिक की ओर से पूर्णतः बन्द होना चाहिये तथा श्रम मजदूरों के विवाद के मामले बिना देर किये निबटाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

39. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन 85) रु. तय किया है माथुर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 100./· न्यूट्रेलाइजेशन होना चाहिये–जब कि राज्य सरकार ने केवल 50./· न्यूट्रेलाईजेशन किया है माथुर कमेटी के हिसाब से यह राशि 125) रु. बनती है इसके बारे में नीति का अननुमोदन)।

40 मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया ·म कर दिया जाय छठे डेजर्ट डिवीजन राजस्थान नहर परि-

Page No 56

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
योजना के 33 श्रमिक एवं 11 वें डेजर्ट डिवीजन के 2 श्रमिक 1-2-72 को तथा कुछ को बाद में नौकरी से निकाले जाने पर श्रम विभाग द्वारा पुनः नौकरी दिलाने में ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एम्पला-इज स्टेट इंशोरेन्स अधिनियम, 1948 की धारा 87 के दुरुपयोग की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

42. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की पब्लिक सेक्टर की दुर्लक्षपूर्ण नीति के विरोध में सरकार को पब्लिक सैक्टर का विकास करने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

43. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वीट रूट फैक्ट्री गंगानगर के निर्माण कार्य की मन्थर गति पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शुगर मिल्स में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 22

45. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार आज के बदलते हुए हालात में स्टेट इंडस्ट्रियल पालिसी में मौलिक परिवर्तन लाने में असमर्थ रही इस के बारे में नीति का अननुमोदन)

46. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर की शुगर मिल की चुकन्दर व शुगर प्लांट की कार्यक्षमता (Efficiency) को बढ़ाने व मशीनों के Renovation करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के विस्तार के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये राज्य सरकार उनको पूरा करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

48. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा गजेन्द्र गड़कर लेबर कमीशन की सिफारिशों के स्वीकार करने में बर्ती

Page No 57

(श्री केदारनाथ)
जा रही ढिलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार राज्य भर के पढ़े लिखे, बेकारों व अनपढ़ बेकारों के सही आंकड़े एकत्रित करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की श्रम विरोधी नीति के विरोध में मजदूरों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38– श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार सार्दूल कपड़ा मिल के श्रमिकों का मालिक द्वारा दिये गये ग्रेच्यूटी व महंगाई के लिखित समझौते को अमल में लाने के लिए असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अंतगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार आज तक भी मजदूर यूनियन की मान्यता के प्रश्न बैलट बाक्स द्वारा हल करवाने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार शुगर फैक्ट्री गंगानगर के मजदूरों को भूतपूर्व लोकसभा के सदस्य श्री रमेश व्यास द्वारा दिये एवार्ड को अमल में लाने के लिए असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार बेकारों की समस्या हल करने के बारे में Integrated approach अपनाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

55. श्रीमती गौरी पूनिया : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना मार्बल उद्योग को आज तक राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया गया है–इस पर चर्चा के लिये)।

56 श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में कुटीर (गृह) उद्योग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

57. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार आशार्थियों को राहत के लिये ग्रामीण नियोजन केन्द्रों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री नाथूराम)

59. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

59. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय व्यक्तियों को स्थानीय कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में नौकरियां दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन कार्यालयों के निरीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

61. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के औद्योगिक विकास को ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

62. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के प्रशिक्षण प्राप्त आई. टी. आई. युवकों को रोजगार न मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

63. श्री शाकरमल (फतेहपुर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में उद्योगों की स्थापना की ओर घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

64. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा श्रम के महत्व को कम आंकने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

65. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग म से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में उद्योग नीति जिस प्रकार की अपनाई जा रही है और जिससे प्रदेश में औद्योगीकरण नहीं हो रहा है उस पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय टोंक में राज्य सरकार द्वारा घोषणा करने के पश्चात् अभी तक चर्म उद्योग की स्थापना नहीं की गई है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

67. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में

(श्री राजेन्द्र सिंह)
बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का उचित समाधान नहं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

68. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के औद्योगीकरण के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये)।

69. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी तथा ग्राम उद्योगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

70. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों व डिप्लोमा होल्डरों की स्टाइपेन्ड योजना के अन्तर्गत हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

71. श्री देवीलाल (सराड़ा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के कार्य क्षेत्र पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

72. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में सोप स्टोन की खानों पर काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी वर्तमान महंगाई को देखते हुए कम है तथा श्रम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

73. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले को औद्योगिक जिला घोषित करने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में लघु उद्योग स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

76. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति के नागरिकों को समय पर नौकरियों में स्थान नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

77. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। जिला बूंदी के कस्बा लाखेरी के श्रम कल्याण केंद्र की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

78. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में भारत सरकार से लिये गये ऋण से उद्योग स्थापित करने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना नहीं की गई उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

80. श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर): मांग संख्या 22. मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगीकरण के नाम पर जोधपुर में बड़े उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा अनियमित तरीके से चुंगी कर माफ करने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर में पत्थर उद्योग के प्रति सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक लाइसेन्स प्रणाली में पक्षपात व भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

83. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर के फिटूसर पत्थर उद्योग के कर्मियों के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारवाहक मजदूर को 73 नये पैसे की दयनीय मजदूरी को श्रम विभाग द्वारा उचित ठहराये जाने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान श्रम विभाग की निष्क्रियता व असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

86. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एग्रो इंडस्ट्रियल कोरपोरेशन द्वारा अब तक ट्रेक्टर उत्पादन न करने पर चर्चा के लिये)।

Page No 61

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

87 मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेक्टर फैक्ट्री निर्माण करने की जोधपुर में घोषणा के पश्चात् भी स्थापित न करने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाने की घोषणा के पश्चात् योजना को अमल में नहीं लाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

89. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर जाय (सरकार की औद्योगिकरण की प्रणाली की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

90. **श्री निरंजननाथ आचार्य** : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 8 श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम नीति के कारण बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ने के विषय पर चर्चा करने हेतु)।

मांग संख्या 40

91. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोइंट सेक्टर में इण्डस्ट्रीज स्थापना पर चर्चा के लिये।

92. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (Backward districts में Industries को 10% outright grant or subsidy देने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय Sambher में Soda ash कारखाना लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में पब्लिक सेक्टर में कोई बड़ी इन्डस्ट्री लगाने के बारे में चर्चा के लिये)।

95. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करनपुर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

कटौती प्रस्तावों पर चर्चा की प्रक्रिया के बारे में अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत की गई।

अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक् से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायं वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जावेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जायें ऐसा मेरा निवेदन है।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिये मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को तीन घण्टे का समय दिया जायगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा। अन्य दलों के लिये समय निम्न प्रकार होगा :—

स्वतंत्र दल	चालीस मिनिट
जनसंघ दल	पैंतीस मिनिट
साम्यवादी दल	20 मिनिट
संसोपा दल	बीस मिनिट
संगठन कांग्रेस	दस मिनिट
निर्दलीय	पाच से दस मिनिट प्रति वक्ता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था दी है कि जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेंगे, वह प्रस्तुत किये हुए समझे जायेंगे। यह व्यवस्था हमेशा रही है, और ठीक है। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश नहीं करें और बोल नहीं सकें तो जैसी हमेशा प्रक्रिया रही है कि लिखित रूप में जवाब माननीय मंत्री को उन्हें भेज देना चाहिए। आपने आग्रह पर फरमाया, तो आग्रह कैसे होगा, वह बोलेंगे नहीं और इस कारण वह कटौती प्रस्ताव का लिखित में उत्तर प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के फर्माने पर ही भेजा जायगा ।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं इत्तिफाक करता हूं, जिन कटौती प्रस्तावों का जवाब न दिया जाय उनका उत्तर लिखित में भेज दिया जायगा ।

अनुदान की मांग

संख्या 22, 24 व 40 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है । राजस्थान में कुल सोलह जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किये गये हैं । बीकानेर जिला हालांकि उद्योग की दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए जिलों में से है, लेकिन उसको औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित नहीं किया है । मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से मुझे जवाब मिला, जोधपुर और उदयपुर जिले में लघु उद्योगों को जो पंजीकृत किया गया है, उद्योग द्वारा उनकी संख्या अधिक होते हुए...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक आवश्यक प्रश्न उठाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय जिसका सम्बन्ध......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न उठाने का सवाल नहीं है । पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाइन्ट आफ आर्डर समझ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : है तो समझ लूंगा, नहीं तो नहीं समझूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन विभागों की आप मांग ले रहे हैं, उनके सम्बन्ध में जो सरकार की रिपोर्ट है, वह हमें प्राप्त नहीं हो रही है और यदि हो रही है तो ऐन समय पर हो रही है । जैसे उद्योग विभाग की मांग है, इसकी रिपोर्ट सुबह ही प्राप्त हुई है । अब डिमाण्ड आ रही है तो इस मांग पर बिना समझे बोलना होगा ।

श्री अध्यक्ष : आज कट मोशन पर बोलना है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरकारी प्रगति की रिपोर्ट है, वह समय से पूर्व प्राप्त होनी चाहिए । केवल चार-पांच घण्टे का समय अभी मिल सकता है तो आप इस पर व्यवस्था कीजिये कि यह रिपोर्ट हमारे पास पहले पहुंच जाय ।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि यह रिपोर्ट आपके पास पहले पहुंचे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई रिपोर्ट समय पर नहीं पहुंच रही है ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट मिल रही है, यह साइक्लोस्टाइल्ड है और वह ऐसी है जो कोई नहीं पढ़ सकता है । क्या यह रिपोर्ट जान बूझकर ऐसी बनाई गई है ताकि इनको पढ़ने में दिक्कत हो, हम पढ़ नहीं सकें ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट पढ़ने में नहीं आती है । मैं

श्री भानुकुमार शास्त्री)
निवेदन करूंगा यह रिपोर्ट सदस्यों के पास भेजी जाती हैं वह ऐसी हो जो पढ़ने में आयें और एक आध दिन पहले भेजी जाय।

श्री अध्यक्ष : पढ़ने में साफ साफ रिपोर्ट आयें ताकि उनका उपयोग हो।

श्री भीमसेन : मैं निवेदन कर रहा था कि बीकानेर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होते हुए भी अभी पिछड़ा हुआ जिला घोषित नहीं होने के कारण...

श्री अध्यक्ष : आमतौर पर एक एक माननीय सदस्य 5–10 मिनटों के बीच तक ही अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलें।

श्री भीमसेन : उस जिले की औद्योगिक प्रगति रुकी हुई है। बीकानेर जिले में ऊन पर आधारित उद्योग और एग्रोवेस्ट इण्डस्ट्रीज बढ़ाने की सम्भावनाएं हैं लेकिन चूंकि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित न होने से उद्योग विभाग द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो उद्योगों को लगाने के सम्बन्ध में सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए, उनसे बीकानेर जिला वंचित रह रहा है। मैं सरकार से इस सम्बंध में निवेदन करना चाहता हूं, मेरी समझ में नहीं आता, हमारे 16 जिले उद्योग के सिलसिले में पिछड़े हुए घोषित हुए हैं उनमें जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर आदि भी जिले हैं जो औद्योगिक दृष्टि से बीकानेर से भी कहीं आगे बढ़े हुए हैं। लघु उद्योगों की संख्या के लिहाज से और मध्यम उद्योगों के लिहाज से वहां पर जितना इन्वेस्टमेन्ट हुआ है, उसके लिहाज से भी हर हालत में बीकानेर जिला उन जिलों की अपेक्षा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बातचीत करके औद्योगिक दृष्टि से बीकानेर को पिछड़ा हुआ घोषित कराने के प्रयत्न कराने की आवश्यकता है।

बीकानेर में अकाल पड़ते रहते हैं, वहां देहाती क्षेत्रों में लोगों को उद्योग के जरिये रोजगार देने की समस्यायें हैं। कुछ समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब कि वहां पर मिनरल वेस्ट उद्योग, वूल वेस्ट उद्योग लगें।

(12.53 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बीकानेर जिले में 110 ऊन वेस्ट उद्योग स्थापित किए गए हैं। उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के पास राज्य सरकार की ओर से इस बात का प्रयास किया गया कि जो मेरीनो ऊन विदेशों से आती है उनका कोटा जब तक न दिया जाए तब तक वूल वेस्ट उद्योग डेवेलप नहीं किए जा सकते और अमृतसर और लुधियाना के मुकाबले में बीकानेर के उद्योग पिछड़े रह सकते हैं और बाजार में काम्पीटीशन स्टेंड नहीं कर सकते, यह हकीकत है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है। वहां के लोग उद्योग लगा रहे हैं और क्योंकि वहां पर आल इण्डिया काम्पीटीशन में स्टेंड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे उद्योगों के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

Page No 65

(श्री भीमसेन)

बीकानेर में अकाल पड़ते रहते हैं। वहां पर अच्छी गायें दूध देने वाली हैं, डेयरी उद्योग वहां लगाए जा सकते हैं, लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है।

हमारा राजस्थान दूसरे प्रांतों के मुकाबले में उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। पिछले दो तीन वर्षों से राजस्थान औद्योगीकरण के सम्बन्ध में सरकार ने प्रयास किए हैं। कुछ उद्योगों की सुविधायें दी हैं जिसकी वजह से यहां उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आए हैं, उद्योग स्थापित हुए हैं और अधिक लोग आ रहे हैं लेकिन राज्य सरकार ने जो उद्योगों के लिए सुविधायें घोषित की हैं। उनको प्राप्त करने के लिए एक लम्बी प्रक्रिया है और उससे उद्योगपतियों को निराशा होती है। उनको कुछ वर्ष पहले चुंगी के बारे में सरकार ने एग्जेम्पशन दिया लेकिन उसके लिए सरकार ने जो नियम बनाए वे इतने कंबरसम हैं कि वास्तव में उनसे उद्योगों को राहत नहीं मिलती।

मैं इस तथ्य की पुष्टि में सरकार से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जबसे आपने चुंगी के एग्जेम्पशन के बारे में सुविधायें घोषित की हैं उसके बाद कितने उद्योगों को उससे लाभ हुआ है और वास्तव में इस तथ्य की जानकारी जब आएगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप घोषणा करते हैं उद्योगों को रियायतें देने की, वास्तव में वे रियायतें ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो उस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात सरकार प्राइस प्रिफरेंस के बारे में नीति निर्धारित कर रखी है। राजस्थान में जो उद्योग लगे हुए हैं उनको हम दूसरे बाहर के उद्योगों के मुकाबले में प्राइस प्रिफरेंस देते हैं लेकिन उपाध्यक्ष मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि हमारे यहां पर जो बोर्डस हैं कारपोरेशन्स हैं, वे प्राइस प्रिफरेंस की पोलिसी कतई नहीं मानते। सरकार के डाइरेक्शन्स होते हुए भी उन रियायतों की उपेक्षा होती है। जो रियायतें उद्योगों के लिए घोषित की हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाए तभी यहां के लोगों में विश्वास पैदा हो सकेगा कि राज्य सरकार वास्तव में जो रियायतें देने की घोषणा करती है वह देती भी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योगों पर मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं राज्य सरकार का ध्यान मकराना मार्बल इण्डस्ट्री की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। पिछले 20 वर्षों में राज्य सरकार ने इस उद्योग की ओर कतई ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके मारफत बताना चाहूंगी कि आज मकराना में मार्बल की 150 फैक्ट्रीज हैं और 500 खानें हैं। वहां पर रोजाना 15-16 हजार मजदूर काम करते हैं लेकिन राज्य सरकार की ओर से उनको किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। मैं तो यहां तक कहूंगी, यद्यपि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने बताया था कि इसे इंडस्ट्रियल

(श्रीमती गौरी पुनिया)
एरिया घोषित कर दिया है कि वह भी केवल नाम मात्र को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया है। आज भी वहां पर इतने मजदूरों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। आज भी वहां 2–4 दुर्घटनायें रोज होती हैं लेकिन उनको प्राथमिक चिकित्सा देने तक की व्यवस्था नहीं हैं। इतने बड़े कस्बे में एक छोटी सी डिस्पेन्सरी है। इस डिस्पेन्सरी और उस एरिया में दो मील का अन्तर है। वहां अगर किसी मजदूर को चोट लग जाती है तो उसी हालत मे डिस्पेन्सरी तक उसको ले जाया जाता है और वहां पहुंचने पर जवाब मिलता है कि यहां पर इलाज नहीं हो सकता और उसी अवस्था में वह मजदूर अजमेर या जयपुर ले जाया जाता है। कम से कम 15–20 मजदूरों में से 5–7 तो रास्ते में ही अपनी जान खो देते हैं। इसलिए मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस ओर राज्य सरकार का पूर्ण रूप से ध्यान नही गया है। मैं पिछले अनुभव से यही कहना चाहती हूं, और ऐसा कहने में मुझे कतई संकोच नहीं होता है, कि पिछले वर्षों में तो यह परम्परा सी रही है कि किसी एरिया का विकास कार्य करने के लिए क्राइटेरिया यह है कि वह किसी मंत्री महोदय का एरिया हो। यह एक कटु सत्य है, व सत्य सबको कड़वा लगता है लेकिन मुझे एक सच्ची बात कहने में संकोच नही है। पिछली बार राज्य में 40 मन्त्री रहे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया पूरा मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उपमंत्री उन्हीं के क्षेत्रों में काम हुए हैं, बाकी विधायकों के क्षेत्रों में विकास का काम शून्यसम हुआ है।

इस दफा यह एक संयोग की बात है कि इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट मुख्य मंत्रीजी के पास है और मुख्य मंत्री जी को मैं समाजवाद की प्रतीक मानती हूं। उनसे आशा ही नहीं किन्तु पूर्ण विश्वास रखती हूं कि विकास के मामले में जो भी क्राइटेरिया रखा जाय उसमें समाजवादी क्राइटेरिया को ही अपनाना चाहिये ताकि पिछले वर्षों में राजस्थान के जो भी क्षेत्र हैं विकास में पिछड़ गये हैं उन को न्यायिक दृष्टि से देखकर और उनको आगे लाया जा सके।

मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पानी की यदि समुचित व्यवस्था न हो तो पन्द्रह बीस हजार मजदूर यदि काम करें भी तो किस प्रकार? वहां छोटा सा एड पोस्ट भी होना चाहिये। किसी जमाने में थोड़ी बहुत सड़कें वहां हुई हैं। माइन्स और इन्डस्ट्री का आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। मजदूरों को इससे तकलीफ होती है इसलिये इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। मैं उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करती हूं कि मारबल इन्डस्ट्री के विकास हेतु ऐसा कोई कदम उठाया जायगा जिससे यह क्षेत्र समाजवाद की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगानी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यतया जो आज तक हमारी उद्योगों के बारे में नीति रही है मेरे खयाल में, पूरी की पूरी असफल रही है पहले तो नीति का निर्माण किया तो उसके अन्दर यह रखा गया था कि उद्योगपतियों के लिये जितनी सुविधायें देंगे उस हिसाब

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

से उद्योग पनपते रहेंगे। यह नीति पूरी की पूरी नाकामयाब रही है। जहां जहां सुविधायें दीं, वहां वहां फायदा नहीं हुआ। न रोजगार बढ़ा और लागत तो इन्डस्ट्री की होनी चाहिये वह भी बढ़ कर 16 लाख पहुंच चुकी है। औद्योगिक बस्तियों का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर जो सिद्धान्त होने चाहिये पानी, बिजली, जमीन, टेक्निकल नो हाऊ कैपिटल इनके साथ साथ मार्केट कहां तक नजदीक है यह भी होना चाहिये। कैपिटल, जो भी पूंजी चाहिये वह सुविधा से उपलब्ध हो सकती है या नहीं। आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां जहां उद्योग संस्थान आपने स्थापित किये हैं वे वहां न पनप कर दूसरी जगह पनप रहे हैं। उदाहरण के लिये अलवर में भीड़ लग रही है। क्योंकि दिल्ली नजदीक है। वहां माल चला जाता है जल्दी से बिकने के लिये मार्केट जल्दी मिल जाता है और सुविधायें भी हैं। इसलिये आपको औद्योगिक नीति में मूलभूत परिवर्तन करने को आवश्यकता है।

राजस्थान में कृषि में बड़ी प्रगति हुई है। उसके अनुरूप उद्योगों की भी प्रगति होनी चाहिये जो नहीं हो पायी है। रेगिस्तान में एग्रोइन्डस्ट्री को नहीं पनपायेंगे तब तक उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। न रोजगार के साधन ही उपलब्ध हो सकते हैं और न ही औद्योगिक सुविधायें उपलब्ध होते हुए भी उद्योग पनप सकते हैं।

फलौदी के लिये निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर नमक का उद्योग है। फलौदी तहसील में सरकार की ओर से जितना ध्यान देना चाहिये नहीं दिया गया है। न सड़कों की व्यवस्था है, न पानी का प्रबन्ध है। तीन हजार कुओं को बिजली चाहिये। बिजली की लाइन चम्बल से ओसियां तक पहुंच गयी है और यदि वह फलौदी तक पहुंच जाय तो तीन हजार कुए इनरजाईज हो सकते हैं। इससे कोस्ट आफ प्रोडक्शन घटेगी। इस उद्योग में तीस हजार आदमी लगे हुए हैं। पर उनको क़र्जा नहीं मिलता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि फलौदी नमक का प्रमुख उत्पादन केन्द्र है जहां पर सांभर से भी ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। इस ओर ध्यान देना चाहिये और सुविधायें देकर इस प्रमुख उद्योग को बढ़ाया जाना चाहिये।

तीसरा, कई उद्योगपति हैं, वेजिटेबल घी के तीन बड़े कारखाने खोले हैं। हमने उन्हें कहा था कि लोन इन्ट्रेस्ट फ्री सात साल तक जमा रहेगा लेकिन उद्योग विभाग ने उसके लिये कोई कदम नहीं उठाया। एक दूसरा प्रबन्ध और उनके लिये होना चाहिये वह है रा मैटिरियल, मूंगफली बाहर से मंगानी पड़ती है। यह नहीं सोचा कि उनको यह रा मैटिरियल कैसे प्रोवाइड करें। सारे के सारे एक्सपर्ट इस राय के हैं कि नहरी इलाके में मूंगफली पैदा हो सकती है यदि उनको उद्योग खोलने दिये गये तो उनको जो आश्वासन दिये गये वे लागू क्यों नहीं किये।

झोटवाड़ा का उद्योग क्षेत्र है। जो ज्ञापन मिला है। वहां भी पानी और सड़कों की व्यवस्था अब तक नही हो पायी है और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था नहीं हो पायी है। आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि झोटवाड़ा का औद्योगिक क्षेत्र काफी बढ़ रहा है उनको सहायता देनी चाहिए और छोटे उद्योगों की ओर ध्यान देने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर इन्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में आप जाते हैं, प्लानिंग कमीशन को भी फेस करना पड़ता है और जितनी भी पोलिसी मेकिंग बोडीज हैं, जहां पोलिसीज फ्रेम होती हैं वहां स्टेट के इन्ट्रेस्ट को लेकर चलते हैं। देश में जितने भी सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स खोले हैं कितनों में राजस्थान के लिये क्लेम किया है और कितने ले आये हैं और आयन्दा क्या प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। आपने फरटीलाइजर काम्प्लेक्स प्लान्ट खोलने की बात कही। यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का इन्डस्ट्रियल बेस बहुत बड़ा बनने वाला है। राजस्थान केनाल, भाखरा चम्बल, कोटा ऐसा इलाका है। आने वाला दस वर्षों में माइन्स मिनिरिल एक्स्प्लायटेशन आदि से राजस्थान को बना सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग लेकर, न्यू एप्रोच लेकर सेन्ट्रल प्लान्ट्स यहां पर खुलाइये। मेरे पास इकोनोमिक सर्वे रिपोर्ट है। 17-18 साल में ईक्वल डेवलपमेंन्ट प्लान के बाद भी मिक्स्ड इकोनोमी की बात कहें तो वह मेल नहीं खाती है। फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन के जरिये से या और जहां जहां से लोन आता है, स्टेट सेक्टर के पास है। पैसा उद्योगपति हमसे लेते हैं, प्रोफिट हमसे कमायें और ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, रेट आफ इन्वेस्टमेंट मिक्स्ड इकोनोमी में नहीं बढा, रेट आफ इन्वेस्टमेन्ट बढा नहीं। जब कि उनका प्रोफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ी। जो भी पैसा वे कमाते हैं यदि वे इन्डस्ट्री में इन्वेस्ट करें तो हमारे यहां इन्डस्ट्रियल बेस बन सकता है। इसके पीछे यह बैक ग्राउन्ड है।

मैं आप से पूछना चाहता हूं कि रेट आफ इन्वेस्टमेन्ट राजस्थान में क्यों नहीं बढा? हमारे पास रिपोर्टस् हैं कि काफी युनिट्स घाटे में हैं। उनमें शार्ट फाल हैं, टारगेटस् पूरे नहीं हो पाये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मैंने अर्ज की, अगर आप यह चाहते हैं कि जोइन्ट उद्योग खुलें। उनमें क्या आवेगा आपके पास? मेनेजमेन्ट उनके पास। जितना पैसा लोन के लिये लिया इन्ट्रेस्ट एश्योर्ड है। आयन्दा कितना पैसा आपको कमा कर देंगे यह एश्योर्ड नहीं है। पांच परसेन्ट 10 परसेन्ट आपको मिलता है। उन फार्म्स का आडिटिंग नेशनेलाइज नहीं कराते। मेनेजमेन्ट ब्रेक करके शेयर नहीं खरीदते, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में ज्यादा आपके मेम्बर्स नहीं होते हैं तब तक जोइन्ट वेंचर फिलासफी की बात मत करो। पब्लिक सेक्टर और कोओपरेटिव सेक्टर में आप काम करो। मोनोपोली कमीशन की रिपोर्ट, नेशनल कमीशन ओन लेबर की रिपोर्ट और अनेक कमेटियों की रिपोर्ट्स हमारे सामने है। मिक्स्ड इकोनोमी और

(श्री केदारनाथ) जोइंट उद्योग की बात हिन्दुस्तान में चल नहीं सकती। जब इण्डस्ट्रियल बेस की बात कही जाय तो यह फिलोसफी ग्रोफ एप्रोच ग्रापका गलत होगा।

एग्रीकल्चरल इन्टेंसिव कल्टीवेशन शुरू हो गया है ग्रौर उसके साथ जमीन पर प्रेसर बढ़ता जा रहा है यदि उस सरप्लस मैन लेबर को इण्डस्ट्रीज की तरफ नहीं मोड़ा, उसको कन्ज्यूम करने के लिये इण्डस्ट्री नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे? कलेक्टिव फार्मिंग कोग्रोपरेटिव की तरफ उत्साह नहीं पैदा कर रहे हैं। अगर ग्रापकी स्टेटेजिक पोलिसी है, हिन्दुस्तान में कलेक्टिव फार्मिंग करना है तो कह दीजिये। यदि कलेक्टिव फार्मिंग की फिलोसफी को पैदा करना चाहते हैं उद्योगों में तो उसके लिये कन्डीशन्स पैदा करनी होगी। पब्लिक सेक्टर फेल हो रहा है। इसलिये नहीं कि प्रिन्सिपल्स खराब हैं। वरकर्स को मैनेजमेन्ट में हिस्सा दीजिये। प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग लाइये। एक सेल इसके लिये क्रीयेट होना चाहिये जो समय-समय पर रिपोर्टस को एक्जामिन करके बराबर सरकार को गाइड करता रहे। यह ग्रापके पास ग्राज नहीं है। शुगर फैक्टरी व ऊन उद्योग फेल हो रहे हैं। बाकी पब्लिक सेक्टर फेल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि इम्प्लीमेन्टेशन की पोलिसी ग्रापके हाथ में नहीं है। ग्रापने घोषणा की कि मजदूरों को हिस्सा मिलेगा। नेशनल कमीशन ग्रोन लेबर की रिपोर्ट के बाद तीन साल हो गया। फैसला नहीं कर पाये। जब से मुख्यमंत्रीजी बने ग्रापने लेबर को इनिशियेटिव दिया। रोडवेज की हड़ताल हमारे सामने है, होटल कार्पोरेशन की हड़ताल हमारे सामने है। ग्रायन्दा के लिये मजदूर यूनियनें ग्रापमें लड़ती रहें यह एप्रोच नहीं होना चाहिये। चित्तौड़ भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, उदयपुर में इंटक ग्रौर ग्रांइटक ग्रापस में लड़ती रहे। इन्टक के एक हिस्से को लेकर गैंगस्टेरिज्म की स्थिति है। मालिक ग्रपने हाथ में ले लेते हैं गुंडागर्दी से दबाया जाता है। लेबर डिपार्टमेन्ट इन्टरवीन न करे सरकार चुपचाप बैठी रहे, गुण्डाइज्म यूनियन की ग्रोर से किया जाय, मैनेजमेन्ट की ग्रोर से किया जाय, गुण्डाइज्म बाहर बनाकर ग्रातंक बनाया जाय इन सबको ग्राप चेक कीजिये। किसी भी स्टेज पर हो इसको ग्रापको चेक करना चाहिये।

ग्रेचुटी की बात है। ग्राल इन्डिया बेसिस पर यूनियन्स हैं, उनके फैसले हो रहे हैं। उनको बारगेनिंग करने का ग्रधिकार क्यों नहीं देते हैं। पंचायतों को ग्रधिकार दे दिया। इण्डस्ट्रियल फील्ड में डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं? मुख्य मंत्रीजी ग्रापके प्रोग्रेसिव व्यूज हैं। नीतियों के माने में ग्राप ग्रौलड नहीं रहते हैं इसके लिये तो ग्राप धन्यवाद के पात्र हैं। ग्राप घोषणा कीजिये कि मजदूर यूनियन्स को मान्यता दी जावेगी जिनके पीछे 69 परसेन्ट मजदूरों की संख्या हो। 75 परसेन्ट डिस्प्यूट हमेशा के लिये समाप्त हो जावेंगे। यह बेसिक चीज है। शुगर फैक्टरी में चुनाव हुए, रोडवेज में हुए। इनको मानिये। ताकि मजदूरों को काम करने की क्षमता मालूम हो, सेन्स ग्राफ रेस्ट्रेन्ट मालूम हो। यह ग्रामी नीति है।

(श्री केदारनाथ)

पालियामेन्ट में बिल आया एडज्युडिकेशन बिल। अवार्ड दे दिया महंगाई और ग्रेचुएटी के सम्बन्ध में। मालिक लागू नहीं करते हैं। लेबर डिपार्टमेन्ट डिफंक्ट करता है। जयपुर स्पिनिंग मिल में हड़ताल है। लेबर डिपार्टमेन्ट ने लिख कर दे दिया है आप नहीं कर सकते। हड़ताल होगी नहीं तो क्या होगा। लेबर कमीशन की रिपोर्ट पर निर्णय लेने तक यही चलती रहेगी तो स्टेगनेशन होगा।

म्युनिसिपेलिटी में झगड़ा चलता है। राणावत वेतन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करते। जयपुर में हड़तालें हुई, कोटा में हो रही है और गगानगर और उदयपुर में भी होने जा रही है। इन प्रिन्सिपल्स आपने राणावत वेतन कमीशन की सिफारिशें मान ली हैं। जिन म्युनिसिपेलिटीज के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि लेबर को देने की इतने रिसोर्सेज हैं कि लेबर फो देने की ताकत है तो उनको तो देने के लिये इजाजत दे दीजिये। वरना ये एजीटेशन्स होंगे। लेबर के मामले में यह ऐलान कर दें कि सिवाय वायोलेंट केसेज के, मर्डर हो य ऐसे ही वायोलेन्स हो, ऐसी बातों के अलावा जहां मजदूरों ने हड़ताल भी हड़ताल का ऐलान किया उनको अधिकार है। मैरीटोरियम ओन स्ट्राइक्स की हमारे राष्ट्रपतिजी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपने आपको सुधारा। लेबर संगठित नहीं है। उनमें मिलिटेन्सी बढ़े इसके लिये कोशिश करें। लेबर संगठन 2 परसेन्ट भी राजस्थान में नहीं है। अनआर्गेनाइज्ड लेबर बहुत हैं। फीज्इस मैं होटल्स में घरों में काम करते हैं उनका कोई आर्गेनाइजेशन नहीं है, रात और दिन औरतें मर्द काम करते हैं लेकिन उनकी कोई यूनियन नहीं हैं। तीन रुपया रोज मिलता होगा। उनका पाच रुपया से कम वेतन नहीं होना चाहिए यह भी डेट तय कर देंगे कि फलां डेट तक इतना नेशनल लेबर होगा और उनमें मिनिमम यह स्टेन्डर्ड आफ वेजेज होगा। यह दोनों आप कर देंगे तो मैं स्वागत करूंगा तारीफ करूंगा। चाहे जिनिग हो, प्रेसिंग हो, होटल हो, कार्पोरेशन्स हो, मिल हो, उनमें इतना लागू होगा। सिक्योरिटी आफ सर्विस हो। चाहे दुकानों में काम करें। मुन्शी हैं, मुनीम हैं, चौकीदार हैं उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस करें। इस तरह की अन आर्गेनाइज्ड लेबर बहुत है।

ठेकेदारी की प्रथा समाप्त कर दें। ठीक है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चेलेन्ज किया है। पर आप रूल्स बना दें। कन्ट्राक्ट लेबर से काम होता है तो उसकी एक लिमिट तै कर दें। मजदूरों की सहकारी संस्थाएं बनाएं और माइन्स में हैं या और अलग अलग उद्योग धन्धों में इण्डस्ट्रीज में उनसे काम लें। इस तरह से उनको लेबर को इन्सेन्टिव मिलेगा। उनको मान्यता दीजिये पैसा जरूरत हो तो वह भी दीजिये। वे देश की इण्डस्ट्रियल ग्रोथ में दिल से भाग लेंगे और इससे काफी वृद्धि होगी। लाखों लोग कोआपरेटिव में काम करें। इस तरह से काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। शोषण भी रुकेगा और इण्डस्ट्री भी तरक्की करेगी।

मैंने राजस्थान की कुछ बातें कहीं। अब गंगानगर की बात कहना चाहूंगा। हमारा यह क्षेत्र एग्रो इण्डस्ट्रियल सेन्टर बन

(श्री केदारनाथ)

सकता है। वहां गंग और भाखरा कैनाल है, राजस्थान कैनाल भी बन रही है। सुगर फैक्टरियां और टैक्सटाइल मिल्स के और अधिक यूनिट खोले जा सकते हैं। चमड़े के उद्योग लग सकते हैं।

पशु धन के बारे में इण्डस्ट्री रन कर सकते हैं वहां। यह सब पोटेन्शियेलिटी वहां है। फिर जिलेवार आप सारे राजस्थान का इण्डस्ट्रियल सर्वे कराए। यह अभी पूरी तरह से हम नहीं कर पाये हैं। फिर उन के लिए प्रायरिटी फिक्स कर दीजिये कि इसकी पोटेन्शियेलिटी फलां जगह सबसे ज्यादा है तो वह इण्डस्ट्री वहां लगे और यह तै कर लीजिये फिर कि आने वाले पांच सालों में हम इतना काम पूरा कर लेंगे। एक फेज्ड प्रोग्राम बनाइये। और लिमिटेशन तैकर लीजिये कि इतने काम प्राइवेट सेक्टर करे, इतने पब्लिक सैक्टर में काम हों, और इतने कोआपरेटिव सेक्टर के लिए सुरक्षित रख लीजिये। सेन्ट्रल प्रोजेक्ट के लिये भी एलोकेशन तै कर दीजिये।

इन सबको आप वर्क आउट करिये इतना रिटर्न आयेगा, इतनी लेबर ओरियन्टेड स्कीम हैं। तो इस तरह से सारे राजस्थान की इण्डस्ट्रीज का एक नक्शा दिमाग में होना चाहिये।

प्लानिंग कमीशन बनावेंगे। आप और भी कर सकते हैं यूनीवर्सिटीज में एक सैल क्रीएट करिये। वहां लड़के स्टेडी करें, रिसर्च करें, पी.एच.डी. करें कि राजस्थान में उद्योगीकरण किस तरह से कहां क्या क्या किस किस तरह से कितने कितने अंशों में किया जा सकता है। कहां क्या क्या पोटेन्शियेलिटी है उस बारे में वे एक्सपर्ट ओपीनियन के तौर पर ओपीनियन दें सरकार उसको वेट दे। हम एम एल एज केवल बातें करते हैं। हमें फुर्सत नहीं मिल सकती एक्सपर्ट की तरह खोज कर सकें। यहां बोलने चलने के बाद और बाद में लोगों से घिरे रहने के कारण पढ़ने लिखने का हमें समय नहीं मिल पाता। राजनीति से निकल कर हम अध्ययनशील नहीं बन सकते इसलिये हम जहां हैं आज वहीं हैं। हमें कहीं से कन्सीडर्ड ओपीनियन आसानी से नहीं मिल पाती। इस व्यवस्था से हमें उनकी स्टडीज का लाभ मिलता रहेगा, उनकी रिपोर्टें मिलती रहेंगी। उनके साथ हमारी मीटिंगें भी होती रहें। प्लानर्स से मिलते रहे तो हमें फायदा होगा। यह कोआर्डिनेशन हमारा होगा तो इसका लाभ स्टेट को मिलेगा, इण्डस्ट्री को मिलेगा। हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।

आज तो हम आगे नहीं बढ़ सकते तहसीलदार के पटवारी के तबादलों से और लोगों के ट्रान्सफर की पोलीटिक्स से हमें फुर्सत नहीं है। चारों तरफ का वातावरण हमारा आज इस तरह से दूषित हो गया है और इसलिये हमारे सोचने के तरीके भी गलत हो गये हैं।

मैं मुख्य मन्त्रीजी से इन बातों की तरफ ध्यान देने के लिये निवेदन करूंगा। उनके पास यह विभाग है। आज इण्डस्ट्रियल प्रोग्रेस के बारे में जोइन्ट वेन्चर के बारे में जो फिलासफी देश में चल

(श्री केदारनाथ)

रही है, स्ट्राइक के बारे में लेबर यूनियन के बारे में और राजस्थान में क्या पालिसी वे एडाप्ट करने जा रहे हैं उस सब के बारे में वे सदन में घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराजजी जैन।

श्री मोहनराज जैन (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्तावों में जिन चीजों का उल्लेख किया है उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जो उद्योग बस्तियां राजस्थान में स्थापित की हैं और खास कर पाली जिले में फालना, राणी, सुमेरपुर में जो उद्योग बस्तियां निर्माण की हैं उनकी हालत आज ठीक नहीं है। ये लगाई तो इस उद्देश्य से गई थीं कि छोटे छोटे गांवों के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और इण्डस्ट्रीज का विकेन्द्रीकरण भी होगा, राजस्थान के सभी हिस्से समान रूप से आगे बढ़ सकेंगे। इसी पवित्र उद्देश्य से प्रेरित और प्रभावित होकर कुछ एन्टरप्रेन्योर यहां आये। उन्होंने अपना श्रम और पूंजी और व्यापार कौशल यहां दिखाया लेकिन आज मुझे यह कहते दुख होता है कि वे उद्योग जो आज से पांच या सात वर्ष पूर्व अथवा दस वर्ष पूर्व लगाये गये थे धीरे धीरे उजड़ते जा रहे हैं। वह पौधा सूखता जा रहा है।

आज उनको रा मैटीरियल नहीं मिलता, सरकार से सहूलियतें और संरक्षण नहीं मिलता। सहूलियतों और संरक्षण तो दूर रहा बेसिक चीजें बिजली और पानी नहीं मिलते। परिणाम यह हो रहा है कि जिन उद्योगों को लाभ की दृष्टि से लगाया था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये लगाया था काफी पूंजी जिसमें लोगों ने लगाई थी, आज घाटे में हो गये हैं और इसी कारण वहां से हटाने को मजबूर हो रहे हैं। मेरा खयाल है फालना में चार पांच इस तरह के उद्योग बन्द हो गये और वे लोग वापिस बम्बई चले गये हैं। सुमेरपुर और राणी का भी यही हाल है।

मैं उद्योग विभाग और इस विभाग के मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि वह मालूम करें कि ये उद्योग जो वहां पर लगाये गये थे जिनमें हमारा इतना श्रम और पूंजी और सारी की सारी मेहनत लगी वे इन सबको छोड़कर वापिस क्यों चले गये

इनमें (1) इन दिनेश मैटल वर्क्स, फालना,

(2) स्टील आर्टस, सुमेरपुर

(3) साइको इण्डस्ट्रीज, रानी

(4) सुराना मेटल्स, फालना (Surana Metals Falna).

(5) गोल्डन प्लास्टिक, फालना --

ये पांच ऐसे उद्योग थे जो राजस्थान के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे वो अपना करोबार बन्द करने की तैयारी में हैं

1. नगर इस्पात उद्योग, सुमेरपुर।
2. सम्पत इण्डस्ट्रीज, रानी।
3. स्वस्तिक इन्डस्ट्रीज, रानी।
4. सुपर इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, फालना।
5. स्वास्तिक सीमेंट पाइप फैक्ट्री, फालना

(श्री मोहनराज)

इनमें एक इण्डस्ट्री तो वह प्लास्टिक इण्डस्ट्री थी जिसे खास तौर से स्वर्गीय हरिश्चन्द्रजी माथुर ने, जब वे लोक सभा के सदस्य थे, सरकार से कह सुनकर और एक विशेष लाइसेन्स दिलाकर इसकी मशीनरी को बाहर से इम्पोर्ट करवाया था। इस खयाल से कि यह भारत की एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण इन्डस्ट्री बनेगी। इसका उत्पादन भारत भर में जाता था और इस उद्योग की सारी फेसीलिटी देने का राजस्थान सरकार ने भी वादा किया था लेकिन आज दो वर्षों से जिन लोगों ने यह उद्योग यहां लगाया था, वे लोग इसे बम्बई ले गये क्योंकि उनको यहां बिजली नहीं मिल रही थी, बार बार ब्रेक डाउन हो जाती थी। सप्लाई बराबर नहीं थी, इससे रॉ मैटेरियल उनका बिगड़ जाता था, टूट फूट हो जाती थी, और मशीनें भी खराब हो रही थी। इससे घाटे में आने लगा यह उद्योग और मजबूर होकर उनको इस उद्योग को यहां से हटाना पड़ा।

पर आज भी इन तीन स्थानों पर जो उद्योग धन्धे बाकी बचे हैं उनको भी निकट भविष्य में अगर बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई और रॉ मैटेरियल की सहूलियत का आश्वासन नहीं मिला और सरकार ने उनकी इन कठिनाइयों को दूर नहीं किया तो वे भी वहां से लुप्त हो जावेंगे। वे भी बाहर जाने पर मजबूर होंगे।

मैं अभी एक दिन के लिये सुमेरपुर, फालना और राणी गया था वहां के उद्योग विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई उद्योगपतियों से भी मैं मिला। उन्होंने अपनी दिक्कतें विस्तार से बताईं और कहा कि हमारे उद्योग प्रायः बन्द हो चुके हैं। हम जिस आशा से यहां आये थे और इन छोटे छोटे नगरों में अपनी पूंजी इस आशा से उद्योगों में लगाई थी कि हमारे राज्य की प्रगति होगी, यहां के हमारे भाइयों को रोजगार, मिलेगा, हमारी जन्मभूमि प्रगति करेगी वह आशा आज धूमिल हो गई है। हमें न बराबर बिजली मिल रही है, न पानी की व्यवस्था है, न बैंकिंग फेसीलिटीज हैं न वित्त निगम से हमें कोई आशा है, न कच्चा माल प्रचुरता से मिल रहा है, सरकार का सहयोग नगण्य है, विभाग तरह तरह के रोड़े अलग अटकाता है। ऐसी अवस्था में वे मजबूर हैं वहां से लौट जाने के लिए।

ऐसी स्थिति में मेरी राज्य सरकार से प्रार्थना है कि वह प्रान्त के हित में इन उद्योगों को वहां से जाने के लिए मजबूर न करें। उनको जितनी सहायता चाहिए, दें। बिजली दें, पानी दें, बैंकिंग फेसीलिटी के लिए बैंकों को प्रेरणा दें, रॉ मैटेरियल मिलता रहे, इसकी व्यवस्था करें।

मुझे कहते हुए दुख होता है कि पाली जैसे जिले में जहां बहुत ज्यादा पोटेन्शियेलिटी है पर उनको एक्सप्लोइट करने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन एन्टरप्रेन्योर्स को नहीं मिल रहा है। सरकार की मशीनरी आलस्य में पड़ी है, निष्क्रिय है। प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। वहां गुंजाइश है पर फिर भी इसको बैकवर्ड इण्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से भी नहीं माना गया और जो सुविधाएं उस केटेगरी में लेने के बाद.

(श्री मोहनराज)

उन गांवों में लगे इन उद्योगों को मिल सकती थी वैसी कोई सहूलियत उनको मुहैय्या नहीं हो रही हैं। मैं सोचता हूँ अगर राजस्थान सरकार को पाली जिले को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित करने में दिक्कत है या अगर कोई समय लग सकता हो तो वह बतायें लेकिन इन छोटी छोटी बस्तियों में जहां एक एक हजार दो दो हजार लोग रहते हैं–ऐसे क्षेत्र सुमेरपुर, रानी और फालना जहां लगे छोटे छोटे उद्योगों को हर प्रकार से प्रोत्साहन देने की कार्यवाही तो करें। उन लोगों की दिक्कतों को देखें। मैं सोचता हूं आज इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर फेसिलिटीज मुहैया की गई तो प्रगति जल्दी से जल्दी हो जायगा। फालना ऐसा क्षेत्र है, जहां बाहर से मजदूर आते हैं। आज वहां सस्ते किराये के मकान उपलब्ध नहीं हैं। पहले इन्डस्ट्रियल बस्ती बसाई गई थी तो यह तय किया गया था कि इन मजदूरों को बसाने के लिये एक कोलोनी तैयार की जायगी। मैं सोचता हूं राजस्थान सरकार आवश्यक धन का प्रावधान करेगी ताकि मजदूरों के रहने के लिए सस्ते मकान मिल सकें। मैंने सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा प्रसारित एक प्रगति विवरण को देखा है। मैंने उसमें देखा उद्योग विभाग 71-72 के वर्ष को औद्योगिक विकास में बहुत ही समयानुकूल और ठीक बताया है। वास्तव में जो फैक्ट्स है वह हमारे सामने हैं और वह उसके विपरीत जाते हैं। इन्होंने राजस्थान स्टेट वूलन मिल, बीकानेर के कार्य को निरन्तर प्रगति पर बताया है। उपाध्यक्ष महोदय अभी तीन रोज पहले मंत्री महोदय ने यह कहा इस मिल का कारोबार बन्द करना पड़ा और लाखों रुपयों का घाटा बताया गया। जिस मील को चलाने में लाखों रुपयों का घाटा हो, उसकी हम निरन्तर प्रगति माने तो मैं सोचता हूँ यह रिपोर्ट किन आधारों पर लिखी गई है। दूसरी बात सन् 71 में बैंकों द्वारा लगभग 7 हजार उद्योगों को 25 लाख रुपया रुपया तो आप हिसाब लगाइये। एक एक उद्योग को करीब 300-300, 350-350 रुपया आता है और मान लीजिये किसी को 500) रु. दिया गया तो उद्योग विभाग ने इसमें कौनसी बहादुरी दिखाई है। मेरे ख्याल से वे इस पर पुनः विचार करेंगे

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

मैं सोचता हूं हमारे यहां औद्योगिकरण की बहुत सम्भावनायें हैं और आशा है, उद्योग विभाग सतर्क होकर इन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सतर्कता बरतेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष जो जालोर जिला औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है परन्तु मैं आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन पिछड़े जिलों में उद्योग विभाग ने कोई कार्य नहीं किया। यहां तक कि जो औद्योगिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है उसी रूप में भी इस जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण की लिस्ट में मैंने इसका नाम नहीं देखा। जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि के नाम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
हैं लेकिन जालोर का कोई नाम नहीं है। उस तरफ इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। वहां पर दूसरे उद्योगों की भी सम्भावनायें हैं या नहीं यह पता नहीं परन्तु जालोर जिला हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है। वहां पर अकाल के अभाव की स्थिति निरन्तर बनी रहती है। मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं–इस जिले में औद्योगिक सर्वेक्षण कराया जाय। रानीवाड़ा, बड़गांव, सांचोर में अच्छी नस्ल की गायें हैं वहां दुग्ध की इन्डस्ट्री कायम की जा सकती है। रानीवाड़ा में टमाटर पाये जाते हैं और ट्रेन में भर भर कर बाहर भेजे जाते हैं तो वहां पर टमाटर सास की इन्डस्ट्री खोली जा सकती है बकरी, ऊंट आदि वहां बहुतायत से पाये जाते हैं तो वहां पर जूट और बोरे वगैरहा की इन्डस्ट्री लगाई जा सकती है विशेष तौर से जालोर के खेसले अच्छे बनते हैं उस रूप में राज्य सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है–राज्य सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिये। 4-5 और भी इन्डस्ट्रीज हैं, मेटल इन्डस्ट्री, आइरन-इन्डस्ट्री और आइरन इण्डस्ट्री का लाईसेन्स तो लिया है परन्तु विशेष रूप से सरकार की ओर से कोटा नहीं मिलने से खतम हो गई। अब केवल वहां बोर्ड लगा हुआ है। विशेष रूप से राज्य सरकार को जालोर जिले के लिये भविष्य में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। जो छोटी छोटी इन्डस्ट्री हैं, जो जिले का स्कोप है उसमें भविष्य में कार्यवाही कर उद्योग लगाने की कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय दूसरा जालोर जिले में श्रम कार्यालय है। जालोर और सिरोही जिले का इन्ट्रीग्रेशन करके वहां का वह दफ्तर सिरोही में खोल दिया गया है। जालोर जिला सिरोही से करीब दुगना है परन्तु सिरोही का एक्सचेन्ज होने की वजह से वहां के लड़के पढ़े लिखे हैं उनके लिये बड़ी दिक्कत होती है। बहुत से लड़के जो वहां पंजीकृत नहीं किये गये। जालोर जिला जनसंख्या के हिसाब से और न्याय के हिसाब से यह कार्यालय जालोर में ही खोला जाना चाहिए। मेरे प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने यह सूचना दी थी कि यह मामला विचाराधीन है। परन्तु अभी तक इस रूप में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये गये हैं और कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही से यह दफ्तर जालोर में लाया जाय और एक क्लर्क सिरोही में रखें और न्याय की दृष्टि से यह एक्सचेन्ज आफिस जालोर में ही रखा जाय और इसके लिये राज्य सरकार आज ही घोषणा करे। उपाध्यक्षजी दूसरे जालोर जिले में कापरेटिव सेक्टर में भूमि विकास बैंक, पहले भूमि विकास बैंक की स्थापना की थी परन्तु राज्य सरकार के द्वारा विशेष अनुदान और ग्रान्ट न देने से, विशेष रूप से शेयर न खरीदने के कारण इसका काम ठप्प पड़ा है। उपाध्यक्ष जी यहां स्कोप बहुत ज्यादा है। वहां पर पम्पिग सेट ज्यादा लगे हुये हैं परन्तु मैं आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि अब जो बैंक है वह निष्क्रिय हो चुका है। पम्पिग सेट और ट्रेक्टर लोन देना बन्द कर दिया है जबकि बैंक के जरिये लोन दिलाने की राज्य सरकार की नीति है। भूमि विकास बैंक और दूसरी कापरेटिव सोसायटीज, मार्केटिंग सोसायटीज गवर्नमेंट का कोई सहयोग न होने से और इस जिले में बराबर

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

अकाल पड़ते रहने से निष्क्रिय हो गये हैं। थोड़ा बहुत बीकानेर बैंक काम करता है। एक भूमि विकास बैंक जो सारे जिले में ऋण देने का काम करता है परन्तु उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो ऋण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये वह बिल्कुल बन्द कर दी। कोई लोन अब मिलता नहीं है, सारी सुविधायें समाप्त हो चुकी हैं। इसलिये उपाध्यक्ष जी, जो मांग रखी गई है इस जिले में विशेष रूप से जो मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक 96 भूमि विकास बैंक और मार्केटिंग बैंक है उनको विशेष रूप से अनुदान दें, विशेष रूप से शेयर खरीदें और जो बैंक निष्क्रिय हो चुकी हैं उनकी तरफ राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ताकि जिले में जो ऋण देने की सुविधा है यह काम भविष्य में बैंक कर सकें और सारे के सारे मूवमेन्ट, मार्केटिंग मूवमेंट और कोआपरेटिव मूवमेन्ट जो ठप्प सा हो गया है इसकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि जालोर के पिछड़ेपन को देखते हुए इन बैंकों को कार्यशील करने के लिए विशेष रूप से शेयर और अनुदान वगैरह दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत वर्ष में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सोने से लेकर मिट्टी तक पैदा होती है। सोना भी होता है, अभ्रक भी होता है और ताम्बा भी पैदा होता है। जंगलात हैं जिसमें तरह तरह के पेड़ और पौधे और मेवे वगैरह पैदा होते हैं। यहां पर बिड़ला और डालमियां जैसे सेठ भी पैदा होते हैं और भिखारी भी पैदा होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनी बात निवेदन करूंगा कि प्रश्न केवल सन्तुलन का है। राजस्थान में चरम सीमा की गरीबी है और चरम सीमा की अमीरी है।

जहां तक उद्योगों का सवाल है बड़े उद्योगों के बारे में सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। करों में उनको छूट मिलती है, बिजली उनको बहुत कम रेट पर मिलती है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है साहू जैन उद्योगों को, बिड़ला के उद्योगों को बिजली जो दी जाती हैं उसकी रेट इकानामिकल रेट है, दो-चार पैसे की रेट है। इसके अलावा जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं उपाध्यक्ष महोदय, उनको जो बिजली दी जाती है या काश्तकारों को जो बिजली दी जाती है उसकी रेट बिड़ला के उद्योगों की रेट से चार गुना या पांच गुना होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं इस सरकार पर कि इस सरकार की सांठ-गांठ बड़े उद्योगपतियों से है, बड़े उद्योगपतियों को यह छूट देती है, उनको लाभ देती है और छोटे उद्योगों के साथ इनकी भेदभावपूर्ण नीति है। छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों से बिजली की कीमत अधिक ली जाती है, उनको कोई छूट नहीं दी जाती और उनके ऊपर चुंगी लगाई जाती है। छोटे उद्योगों पर अनापशनाप सेल्स टैक्स लगाया जाता है। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। भरतपुर में बिड़ला की फैक्ट्री है जिसको कि सिमको कहते हैं। भरतपुर इस फैक्टरी के मैनेजमेन्ट के लोग नगरपालिका में मतदान करते हैं और चुनावों में खुलकर भाग

(श्री मनोहरलाल)
लेते हैं और वहां की नगरपालिका के जो कांग्रेसी चेयरमैन हैं वे उनका चुनाव खर्चा चलाते हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : यह आपका कटौती प्रस्ताव है क्या ?

श्री मनोहरलाल : सारी राजनीति का संचालन बिड़ला साहब करते हैं लेकिन बिड़ला साहब नगरपालिका की चुंगी को बचा जाते हैं और इसलिए बचा जाते हैं कि वे बड़े आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं और छोटे उद्योगपति या छोटे उद्योगों वाले, कुटीर उद्योगों वाले लोग चुंगी भी देते हैं और सेल्स टैक्स भी देते हैं ..

श्री सुरेन्द्र व्यास : म्युनिसिपल एरिया से बाहर होंगे।

श्री मनोहरलाल : एक बहाना है। बहाने बहुत होते हैं। हर चीज का जवाब होता है। ऐसी चीज कोई नहीं है जिसका बहाना नहीं हो।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे भरतपुर जिले में उद्योगों के लिए बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी या विद्युत् मंत्री जी का भाषण पढ़ा था उसमें कहा गया था कि कुछ जिले उद्योगों के हिसाब से पिछड़े हुए हैं। उस हिसाब से भरतपुर जिला भी पिछड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "राजस्थान में दो ही ऐसे जिले हैं एक तो भरतपुर और दूसरा अलवर कि जहां आज भी सबसे अधिक सरसों पैदा होती है लेकिन सरसों का तेल निकालने की मिलें सिर्फ सेठों के हाथों में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि जब चुनाव हुए थे तो उन सेठों से एफ.सी.आई. ने तेल खरीदा और एक क्विंटल के ऊपर 100 रुपये ज्यादा देकर उनसे वह तेल खरीदा गया। एफ. सी. आई. ने जो तेल खरीदा वह 100) रुपये क्विन्टल पर ज्यादा के हिसाब से खरीदा और ++

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य नियमों से परिचित नहीं हैं कि जो व्यक्ति यहां नहीं हैं उनके खिलाफ कोई आरोप लगाये जायें तो ऐसे एलीगेशन लगाने के पहले आसन को कहें ?

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, "मैं कह रहा हूं कि बड़े उद्योगपति कितनी मौज उड़ाते हैं। श्री हरिचरणलाल और श्री संतोषीलाल ये दो सेठ हैं कि जिनसे सारा तेल खरीदा गया और इनको सारे लाभ दिये जाते हैं। मगर कुटीर उद्योग को या छोटे उद्योगों को तेल की मिल लगाने के लिए, सरसों का तेल की मिल लगाने के लिए सरकार पैसा नहीं देती है और इसलिए नहीं देती है कि हरिचरण लाल जो को लाभ कम हो जायेगा, संतोषी-लाल जी को लाभ कम हो जायेगा और उसका नतीजा यह हुआ कि 100 रुपये के ऊंचे भाव पर तेल बेचा गया और ++

++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंश कार्य विवरण से निकाला गया।

Page No 78

श्री राजेन्द्र भारतीया : मैं कहूंगा कि बिना आधार के यहां पर चार्ज लगाना बहुत ही गम्भीर बात है।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप पहले व्यवस्था सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र भारतीया : पाइंट ऑफ आर्डर सर, बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे बिना आधार के आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री मनोहरलाल : वह तेल एफ.सी.आई. ने 100 रुपये ज्यादा भाव पर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले व्यवस्था सुन लीजिए।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने नियम 273 से परिचित हैं और नियम में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति मानहानिकारक आरोप लगाने से पूर्व आसन को सूचना दें जिससे कि आपको इस बारे में सुना जा सके। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है और मैं आपसे आशा करूंगा कि भविष्य में ऐसे निराधार आरोप उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से जो कि सदन में उपस्थित नहीं हैं आप नहीं लगा सकेंगे और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह जो आपका आरोप है इसको भी एक्सपन्ज करने के मैं आदेश देता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कटमोशन का मतलब यही है कि जो स्पेसिफिक पाइन्ट है उसी पर बोला जाये।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यही है कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, उनको लोन नहीं दिया जाता, बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको छूट दी जाती है, उनको अनुचित लाभ दिये जाते हैं। मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि भरतपुर जिले की मिल जो बड़ी है और जिनके बारे में मैंने अभी कहा उनको कोई पैसा नहीं दिया और छोटी-छोटी मिलें अलवर और भरतपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जायें।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले और अलवर की चार तहसीलें हैं कामां, नगर, डीग और रामगढ़-इन चारों तहसीलों में छोटे-छोटे पहाड़ हैं वहां गिट्टियां तोड़ी जाती हैं और सारी गिट्टियां उत्तर प्रदेश को जाती हैं। उत्तर प्रदेश में चार पांच जिलों में सड़कें बनाई जाती हैं, मकान बनाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्थरों के लिए पहाड़ नहीं हैं। गिट्टियों के लिए पहाड़ नहीं हैं इसलिए सारी गिट्टियां, सारे पत्थर भरतपुर और अलवर जिले से जाते हैं वहां लोगों को क्रशर लगाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया जाता है, प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। कितने ही लोगों के, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, नाम बता दूंगा, सूची पेश कर दूंगा कि कितने व्यक्तियों ने दरख्वास्तें दीं, कितनी संस्थाओं ने दरख्वास्तें दीं लेकिन उनके लिए वित्त निगम की तरफ से गिट्टियां तोड़ने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, मशीन लगाने के लिए कर्जा नहीं दिया गया जब कि वहां पर निजी क्षेत्र

(श्री मनोहर लाल)

में दूसरे पैसे वाले लोगों ने वहां पर गिट्टी तोड़ने के कारखाने लगा रखे हैं और वे मजदूरों का शोषण करते हैं। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में खास तौर से शोरे का उत्पादन जिले के अन्दर ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में सबसे अधिक होता है। वहां पर पैसे वाले लोग शोरे को निकालने का काम और शोरे को राजस्थान से बाहर ले जाने का काम करते हैं। उत्तरप्रदेश के मथुरा जिले के एक सेठ श्री रमणलालजी हैं उनके पुत्र इस शोरे का व्यापार करते हैं। करोड़ों रुपया कमाते हैं और मुनाफा कमाते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं। पुलिस से लोगों को पिटवाते हैं, पुलिस लोगों के खिलाफ मुकदमें बनाती है। शोरे का काम ऐसा काम है, ऐसा उद्योग है जिससे लाखों रुपये साल की आमदनी सरकार को हो सकती है लेकिन सरकार तो आंखें बन्द किए हुए है, पता नहीं क्यों? एक ही व्यक्ति को हर साल ठेका दे दिया जाता है, एक ही व्यक्ति सारे जिले का शोरा निकालता है जबकि होना यह चाहिए कि हर एक व्यक्ति को शोरा निकालने का ठेका दिया जाय। जब हर पहाड़ का ठेका अलग-अलग होता है तो शोरा निकालने का ठेका भी अलग-अलग क्यों नहीं होता। सारे जिले का ठेका एक ही व्यक्ति को देना अनुचित है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार शोरे के उद्योग को अपने हाथ में ले और शोरा निकालने की फैक्ट्री भरतपुर जिले में सरकार स्वयं लगाए। एक ही व्यक्ति को मुनाफा नहीं लेने देना चाहिए। वहां ट्रेंड लेबर मिल सकती है। वहां पर ही इसका मैनेजमेन्ट करने वाले हो सकते हैं।

इसी के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैंने भरतपुर जिले की उद्योगों की बात कही, उसी के साथ-साथ मैं वहां की बेरोजगारी की बात भी अर्ज कर देना चाहता हूं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगायें, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग लगायें तो बेरोजगारी मिट सकती है। अभी एक माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर हरियाणा में मिलने की मांग की बात कही थी, ब्रजप्रदेश में मिलने की बात कही थी। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक हफ्ताह पहले भी निवेदन किया था भरतपुर जिले के साथ, अलवर जिले के साथ और सवाई माधोपुर जिले के साथ, पूर्वी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और रेगिस्तान के नाम पर, अकाल के नाम पर हमारे साथ शोषण किया जाता है। हम सबसे ज्यादा रैवेन्यू देते हैं, हम सब से ज्यादा पैदावार देते हैं, इसके बावजूद भी विकास के नाम पर हमें कुछ नहीं मिलता। हमारा शोषण होता है। उसीका नतीजा यह होता है कि दूसरे प्रदेश में मिलने की बात की जाती है। बगल में हमारे उत्तर प्रदेश है, गुड़गांवा जिला है। जहां पर गांव-गांव में सड़क है, जहां गांव गांव में बिजली है, गांव गांव में उद्योग धन्धे खुल रहे हैं तो लोग वहां से भाग कर हरियाणा में जाना चाहते हैं। मैंने उस दिन निवेदन किया था कि हमारे यहां मजदूरी न मिलने के कारण, बेरोजगारी होने के कारण, उद्योग न होने की वजह से और

(श्री मनोहरलाल)

बेरोजगारी की वजह से, उद्योगों में सहायता न मिलने की वजह से आज हरियाणा में मिलने की बात करते हैं। मै इसका समर्थन नहीं करता लेकिन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और इस प्रकार राजस्थान से अलग होने की बात करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक आप छोटे छोटे उद्योग शुरू नहीं करते लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। आपने क्रेश प्रोग्राम शुरू किया और उसमें लोगों को 3 रुपये 31 पैसे या 3 रुपये 15 पैसे रोज देना चाहते हैं। इस 3 रुपये 15 पैसे में तो एक घोड़े का भी पेट नहीं भर सकता, एक आदमी का भी पेट नहीं भर सकता। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम वेतन, मजदूरी 6 रुपये 67 पैसे रखी जाय। हम कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को कम से कम एक महीने में दो सौ रुपया मिले और दो सौ रुपये के हिसाब से एक दिन में 6 रुपये 67 पैसे मिलने चाहिए जब कि आपने मिनिमम वेतन चाहिए 3 रु. 15 पैसे या 3 रु. 31 पैसा दिया है। आप आदमी को आधा भूखा रखना चाहते हैं। आप एक आदमी को आधा नंगा रखना चाहते हैं। इस तरह से बेरोजगारी नहीं मिटने वाली है। इस तरह से भूखमरी नहीं मिटने वाली है। मैं बेरोजगारी मिटाने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव रखना चाहता हूं। जहां आप पूंजी की सीलिंग करना चाहते हैं, आप सम्पत्ति की सीलिंग करना चाहते हैं वहां आप आयु की सीलिंग भी करें। एक चर्चा चल रही है कि 25 साल बाद नौकरी से हटा दिया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां आप बड़े लोगों की पूंजी की सीलिंग करना चाहते हैं, जहां आप बड़े-बड़े सम्पत्ति वालों की सीलिंग करना चाहते है जहां आप भूमि की सीलिंग करना चाहते हैं वहां आप बड़े अधिकारियों की आयु की सीलिंग भी कर दें। 25 साल वाला नियम केवल प्रथम श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों पर लागू किया जाय। 55 साल का नियम बदस्तूर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू रहे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आयु सीमा साठ साल कर दी जाय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की आयु 55 साल रखी जाय लेकिन जो बड़े अफसर हैं, ए-क्लास ऑफिसर्स हैं, आई.ए.एस., आर.जे.एस., आर.ए.एस., आर. पी. एस. के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी आयु सीमा केवल 25 साल कर दी जाय। इसमें सरकार को विवेक से काम लेना चाहिए। यह विवेकहीनता है कि सारे कर्मचारियों को एक साथ 25 साल में हटा दिया जाय। छोटे कर्मचारियों को तो आपको राहत देनी चाहिए। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए तो आपको पुराना नियम रखना पड़ेगा। जिस प्रकार छोटे-छोटे काश्तकारों के साथ आपका पुराना कानून लागू रहता है उसी प्रकार से आपको इन छोटे-छोटे काश्तकारों के लिए भी वही पुराना कानून लागू रखना चाहिए लेकिन जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनके लिए आयु की सीलिंग करदें। बड़े अधिकारियों की आयु सीमा घटा दी जाय। उनको 25 साल की जगह 18 साल में 12 साल में भी आप हटा दें तो हमें कुछ भी आपत्ति नहीं होगी। बड़े-बड़े

(श्री मनोहर लाल)

अधिकारियों को तनख्वाह भी खूब मिलती है और घूंस भी मिलती है। घूंस का पैसा भी इनके हाथ में आता है इसलिए इन्हें दस साल में भी हटा दें तो क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अधिकतर या तो अध्यापक हैं, या जमादार हैं, या चपरासी हैं या क्लर्क हैं, उनकी आयु सीमा नहीं घटाई जाय। उनकी तो वही 30 साल रखी जाय। वही 55 साल रहे और यही मेरी सरकार से मांग है कि आयु की सीलिंग भी लागू की जाय। आयु की सीलिंग कर देते हैं तो बेरोजगारी मिटेगी जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो इंजीनियर बेकार घूमते हैं, जो डॉक्टर बेकार घूमते हैं वे लोग क्लर्क तो होंगे नहीं, अध्यापक होंगे नहीं। वे तो छोटे छोटे बेचारे जमादार होंगे, चपरासी होंगे और सिपाही होंगे जिनको आप हटाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन बड़े-बड़े अधिकारियों को तुरन्त निकाल दें। इनके ऊपर सीलिंग लागू कर दें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी मिटाने का नुस्खा अर्ज कर रहा हूं कि जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको तो बदस्तूर बनाए रखें लेकिन जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनको तुरन्त सेवामुक्त कर दें।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि एक तरफ तो सरकार यह बात करती है कि हम ब्रेन एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, पढ़े-लिखे लोगों को विदेशों में नहीं जाने देंगे लेकिन आज पी. एच.डी. पास और इंजीनियरों की क्या हालत है, डॉक्टर लोगों की क्या हालत है? आज इंजीनियर और डॉक्टर आपकी बेगार बजा रहे हैं। एक आदमी अपनी पढ़ाई में तीन सौ रुपये प्रति महीना खर्च करता है और अपनी पढ़ाई पूरी करता है, और पढ़ाई पूरी करने के बाद आज डेढ़ सौ रुपये महीने में सरकार की बेगार बजा रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनका शोषण कर रही है और शोषण हो रहा है सरकार के द्वारा इन पढ़े-लिखे लोगों का मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था आज से तीन दिन पहले सिंचाई विभाग के 125 कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनको भरतपुर जिले में निकाल दिया गया है। आप कहते हैं कि रोजगार देना चाहते हैं। एक तरफ तो आप रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। दो दिन पहले ही 125 कर्मचारियों को बिना नोटिस के निकाल दिया गया है। इसके साथ ही साथ 75 कर्मचारियों के केसेज पेंडिंग हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो देते हैं और दूसरी तरफ से ले लेते हैं। आप कहते हैं कि लोगों को नौकरियों पर लगायेंगे तो आपने सिंचाई विभाग से इन लोगों को हटाया क्यों? यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या आरोप था उन पर? वे छः-छः साल से और चार-चार साल से सिंचाई विभाग में काम कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी मिटाने का इस सरकार के पास कोई नुस्खा नहीं है। आप आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा जो कि योजना आपने बनाई है उसके अनुसार तो कम से कम 60 साल में जाकर यह बेरोजगारी दूर होगी। 60–65 साल

(श्री मनोहर लाल)

तक यह सरकार चलने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जहां आप सम्पत्ति की सीलिंग कर रहे हैं, जहां आप पूंजी की सीलिंग कर रहे हैं, लैंड की सीलिंग कर रहे हैं वहां आप इन्कम की भी सीलिंग करें ..

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य...

श्री मनोहरलाल : माननीय सदस्य आप चुप रहिये। आपको बीमारी है, मैं आपकी दवा लेकर आया हूं। आप मेरे बीच में न बोलें।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

आप बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आपकी बात को सुनने नहीं दूंगा। आप बैठ जाइये। मैं कसम लेता हूं आपको कभी बोलने नहीं दूंगा जब भी आप बोलेंगे। आप मेरे भाषण में बाधा न डालें आपको कोई बात कहनी हो तो सीधी आसन से कहें। आप मेरी जुबान पर ताला नहीं लगा सकते ? आपको तो यह बीमारी हो गई है। मैं इसकी दवा लेकर आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मनोहरलाल : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हमें पेशे की सीलिंग, रोजगार की सीलिंग लागू करनी चाहिये। एक व्यक्ति एक रोजगार-यह सीलिंग होना चाहिये। आज एक व्यक्ति वकील भी है, वह जमीन भी रखता है, वह बस भी चलाता है, वह मिल का मालिक भी है, वह दुकानदार भी है और इन सारे कामों से उसकी आमदनी अनाप-शनाप हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो समाजवाद नहीं आ पायेगा। समाजवाद लाने के लिए एक ही तरीका है, एक व्यक्ति एक रोजगार और उसकी भी आमदनी दो हजार रुपये से ज्यादा न हो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरा एक निवेदन है, जिन लोगों के पास जमीन है, जिन लोगों के पास दुकानें हैं, वे अपने दो पेशों में से एक पेशे को छोड़ दें। आप वकालत करते हैं तो वकालत करें, खेती करना छोड़ दें...

श्री उपाध्यक्ष : सभी इसी तरह से टाइम लेंगे तो कैसे कार्यवाही पूरी होगी माननीय सदस्य समय का ध्यान रखेंगे।

श्री मनोहरलाल : समाप्त कर रहा हूं। एक व्यक्ति दो हजार रुपये से अधिक न कमाये। वह दो पेशे नहीं कर सकता है। वह अधिक से अधिक एक पेशा करे। जो बस चलाता है वह बस चलावे और खेती करना छोड़ दे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। आज ठेकेदारी प्रथा है। तो हमारे यहां पर यह ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिये। ठेकेदार अधिकारियों से मिलकर मजदूरों का शोषण करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं होगी देश में से बेरोजगारी की प्रथा समाप्त नहीं होगी। जब तक एक व्यक्ति एक पेशा ही करता है बेरोजगारी नहीं मिट पायेगी। दो हजार रुपये

(श्री मनोहर लाल)
से ज्यादा किसी की आमदनी नहीं हो। ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त किया जाये और सहकारी समितियां ही विभागीय काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री करणसिंह : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि वे कितने पेशे करते हैं।

श्री मनोहरलाल : मेरे पास तो एक ही पेशा है, आपकी तरह 6 पेशे नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनावश्यक उत्तर की आवश्यकता नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मनोहरलाल : मुझे इसका ध्यान नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहस चल रही है उद्योग के बाबत। इसमें मुझे निवेदन करना है कि हमारी राज्य सरकार की नीति हमारे इस प्रान्त में केन्द्रीय सरकार से बड़े उद्योगों को लाने में असफल रही है। हमारे इस प्रान्त में काफी उद्योग, बड़े उद्योग लगाये जा सकते हैं, उनके लिये इस प्रान्त में काफी गुजाइंश है परन्तु न मालूम क्यों हम इस कार्य में असफल रहे हैं, और हम केन्द्रीय सरकार से ये उद्योग नहीं ला सके। हम यह जानते हैं, हमारे इस प्रान्त में, मेरे खयाल से खनिज सम्पदा अधिक है और अन्य प्रान्तों से इसकी स्थिति बेहतर है। आज भी है और जो सूचनाएं आपकी रिपोर्ट से मिलती हैं उनसे यह जानकारी होती है, उनसे यह पता चलता है कि यह प्रान्त खनिजों में सबसे ज्यादा आगे है, और खनिज सम्पदा में शीघ्र ही आगे निकल जाने वाला है। मैंने एक अखबार में पढ़ा था, एक छोटा सा देश है उसका नाम मैं भूल गया हूं। जहां पर एक खनिज सम्पदा निकलती है, और उसके सिवाय कोई और धन्धा नहीं है। उनके अपने देश में पानी नहीं है खाने के लिये अनाज नहीं है और दैनिक जरूरतों की चीजें भी नहीं है। वे पानी तथा अनाज तथा अन्य दैनिक जरूरत की चीजें बाहर से मंगाते हैं और खनिज सम्पदा के आधार पर वे मालदार बने हुए हैं। मैं यह उम्मीद लेकर चलता हूं कि हमारा प्रान्त भी इसी तरह से खनिज सम्पदा के आधार पर तरक्की करेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उस मुल्क में 17 परिवार हैं और उसकी लम्बाई भी डेढ़ मील है।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में बड़े उद्योग लग सकते हैं, परन्तु इसके लिये प्रयास नहीं किया गया हैं। इस ओर प्रयत्न किया जाना चाहिये। हमारे यहां पर सोडाएश का कारखाना लग सकता है सोडियम सल्फेट का कारखाना लगाया जा सकता है, सीमेन्ट का कारखाना लग सकता है। मिट्टी के बरतन, चीनी के बरतन के कारखाने लगाये जा सकते हैं। रॉक फास्फेट का कारखाना लगाया जा सकता है, संगमरमर हमारे यहां पर पैदा होता है, इस दिशा में हम

(श्री केशरीमल)

काफी आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैक्टर और स्कूटर के कारखाने राजस्थान में लग सकते हैं खाद का कारखाना लगाया जा सकता है। यहां पर इनकी गुंजाइश है, लेकिन इस पर प्रगति जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं रही है।

हमारे प्रान्त में ऐसे कारखाने लगाये जाने चाहिये और उनसे प्रोडक्शन करके उनके जरिये और कारखाने लगाये जाने चाहिये परन्तु ऐसी स्थिति हमारे सरकार के कारखानों से नहीं होती है। अभी तक हमारी नीति कारखानों के लगाने में पूंजीपतियों को मदद करने की रही है। यह एक प्रकार की निश्चित नीति रही है कि कारखाने लगाने के लिये राज्य सरकार पैसे वालों को पैसा देती है, पैसा हमारा होता है और वे उससे मुनाफा लेकर जाते हैं और उन पैसे का ब्याज ले पाये तो ठीक है वरना वह भी कई मर्तबा चला जाता है। तो यह हमारी नीति रही है, और यह—हमारे प्रान्त में अधिक उद्योगों को बढ़ाने में कमजोर साबित हुई है। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। जब हम किसी कारखाने को लगाने के लिए हमारे प्रान्त से, अपने बैंकों से या दूसरे सोर्सेज से, केन्द्रीय सरकार के सहयोग को लेकर पूंजी उनको दे दें और फिर वे कारखाने लगायें, मानों एक तरह से हम उनके लिए पूंजी को जुटायें, इसके बजाय यह बेहतर होगा कि हम अपने खुद के कारखाने को-ऑपरेटिव के आधार पर कारखाने खोलने की व्यवस्था करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर इन कारखानों से राज्य की जनता को काफी फायदा होगा। हमारी राज्य की आय बढ़ेगी और अन्ततोगत्वा जनता को ही इसका लाभ मिलेगा, और इन कारखानों के जरिये से और कारखाने खुलेंगे। लेकिन आज हम पूंजीपतियों को, जो अपना पैसा नहीं लगाते हैं सब तरह की मदद, मशीनरी की, बैंकों से पूंजी दिलाने की कर रहे हैं। उनको हमारी ओर से मदद मिल जायेगी, सब प्रकार की मदद मिल जायेगी और उसके बाद वे उसके मालिक हो जायेंगे, जबकि पैसा हमारा होगा, जनता का होगा। तो हमें इस नीति को बदलना होगा। कोई पूंजीपति कारखाना लगावे, इससे हम इन्कार नहीं करना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि पूंजीपति कारखाने नहीं लगावें। यह हमारी नीति नहीं होनी चाहिए। यह हो सकता है कि कोई पैसा वाला कारखाना लगावे तो वह जरूर लगावे, उसको इसके लिये जितनी पूंजी चाहिए वह अपनी ओर से लगावे, तब हो उसको इजाजत मिलनी चाहिए या फिर कारखाने कोऑपरेटिव के क्षेत्र में या फिर सार्वजनिक आधार पर होने चाहिए। इस तरह तो हमारे प्रान्त में बहुत अच्छी परम्परा पड़ सकती है, और इससे हमारी सरकार को बल मिल सकता है, उद्योग भी बढ़ सकते हैं और काम हो सकता है।

पब्लिक सेक्टर में जितने कारखाने हैं, उनमें मैं यह पढ़ता हूं कि नुक्सान ही नुक्सान होता है। इसका क्या कारण है? उनके अन्दर नुक्सान क्यों है? मेरे सामने इसका एक खास कारण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पब्लिक सेक्टर में जो कारखाने हैं चाहे वह केन्द्रीय सरकार के उद्योग हों, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे शुगर फैक्टरी हो, इस प्रकार के उद्योगों में जिनमें कि हमारी पूंजी लगी हुई है उन उद्योगों के अन्दर उन उद्योगों की जानकारी

(केशरीमल)

रखने वाले को नहीं बिठाया गया है। उनको उस उद्योग के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। उस उद्योग के बारे में वे किसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी नहीं रखते हैं और वहां पर आई. ए. एस. आर. ए. एस. ऑफिसर्स को बिठाया जाता है और ये ऑफिसर रैडटेपिज्म व गुट्टबाजी के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, और इन उद्योगों को घाटा पहुँचाते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं।

ऐसे ही जब एक बस के चलाने वाला मालिक है, प्राइवेट बस चलाने वाला मालिक है वह हजारों रुपये माहवार कमाता है। जब कि हमारी सैंकड़ों बसें चलती हैं इसमें कमाई नहीं है। ब्यावर में प्राइवेट बिजली घर चलाने वाला मालिक है वह छोटे से पावर हाउस से जब इतना पैसा कमाता है तब राजस्थान भर के पावर हाउसेज हम चलाते हैं तो उनसे उनको फायदा क्यों नहीं? शुगर फैक्ट्रियां और दूसरे कारखाने और उद्योगों में फायदा क्यों नहीं होता है जब कि उन लोगों को फायदा हो सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसे अधिकारियों को बिठाया जाता है जो न तो इस काम के जानकार होते हैं और न उस काम में उनकी दिलचस्पी होती है। जानकार नहीं होने से कुछ लोग ऐसे फंस जाते हैं बीच में जो कि उनको मुगालता देकर उनसे पैसा कमाते हैं। कारखानों पर ऐसे लोग बैठाये जायं जिनको उसकी जानकारी हो। यह जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े अधिकारी हों। ऐसे जानकार लोगों को चाहे दूसरे प्रान्तों से बुलाना पड़े या इस बात की शिक्षा लेकर पास किये हुए बैठे हों उनको लगाना पड़े या प्रेक्टिकल ज्ञान वाले हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बात करेंगे तब तो इन कारखानों से फायदा होगा, अन्यथा फायदा होने की सम्भावना कम है।

हम देखते हैं कि आप ही लोग कारखाने चला रहे हैं। हमारे सामने प्रमाण है। जब बार-बार आप इस नीति की घोषणा करते हैं कि उद्योग-धन्धे के संचालक मण्डल में मजदूरों के प्रतिनिधि लिये जाने चाहिए। यह बात बराबर आती है, लेकिन इम्प्लीमेन्ट नहीं किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कारखानों में खास तौर से जो सार्वजनिक कारखाने हैं, जो ऐसे धन्धे हैं जो कि राज्य की तरफ से चल रहे हैं उन उद्योग-धन्धों में कारखानों में और ऐसे तमाम उद्योग धन्धों में मजदूरों के चुने हुए प्रतिनिधि संचालक बोर्ड के अन्दर लिये जायं, ताकि वे काम की देखभाल कर सकें, और जो खामियां हैं उनकी देखभाल कर सकें, अपने विचार दे सकें और कुछ कहना और सुनना है वह कर सकें और काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए अपनी जिम्मेवारी निभा सकें। उसके लिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों को लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को लेने का आधार भी होगा, और उनको कमियों को निकालने की भी कोशिश करेंगे।

मुझे यह निवेदन करना है कि हमारी इस औद्योगिक नीति के दुष्परिणाम कैसे भुगतने को मिले हैं। एडवर्ड मिल 26-9-69 से बन्द है। वह एडवर्ड मिल ऐसी मिल है जिसके किसी प्रकार के घाटे में जाने की सम्भावना नहीं थी और न है। उस मिल के बन्द होने का कारण ज्यादा-

(श्री केशरीमल)
तर दोनों सेठों के बीच में दो नम्बर के पैसे का बंटवारा था। उनकी कम्पनी में वह पैसा बंटा नहीं और एक ही सेठ खा गया तो इसकी वजह से उनके बीच में तनाजा हुआ और कार्यकारी पूंजी देना बन्द कर दिया, और वह उद्योग बन्द हो गया तो सरकार के सामने बात रखनी पड़ी और इस उद्योग को सरकार ले और चालू करे। तीन साल होने आये। 26-9-69 से यह कारखाना बन्द पड़ा है। मुझे खुशी है कि बरकत साहब के आने के बाद इस मामले को जो कि बहुत अरसे से पड़ा हुआ है गौर किया जा रहा है। इसके लिए कहा जा रहा है कि इसमें विवाद चल रहा है और हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी समस्याओं का जल्दी ही हल किया जाय। एक मालिक के जरिये कुछ अड़चनें डाली जा रही हैं, और कोर्ट के जैसे पुराने तौर तरीके हैं वह अभी तक हैं और सोचने का जो जैसा नजरिया हैं वह अभी तक वैसा ही है कि जब तक उस आदमी को पैसा नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं ले सकते हैं चाहे कारखाना बन्द रह जाय। यह अदालत ठीक तरह से नहीं सोचती है, जमाने के अनुकूल नहीं सोचती है। उनको चाहे पैसा दिलाने की और व्यवस्था की जाय, लेकिन कारखाने को बन्द नहीं रखा जाय ताकि 1300 मजदूर काम करें और प्रोडक्शन हो तो देश का फायदा हो सकता है। कोर्ट के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन सरकार के तौर-तरीकों के बारे में मेरा निवेदन है कि अगर इस कारखाने को चलाने में सक्षम हैं तो इस करखाने को चलाने के लिए जो पैसे वाला मालिक है और जो गड़बड़ करता है और जिसने माथा मांड रखा है उसको दे दें और इस कारखाने को चलायें। इस कारखाने की नुकसान होने की सम्भावना नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, मुझे यह निवेदन करना है महालक्ष्मी मिल ब्यावर के बारे में कि आज 5 साल से सरकार के कर्मचारी उस मिल को चला रहे हैं। यह सरकारी उद्योगों का दिग्दर्शन है। 5 साल से यह मिल सरकार की मातहती में चल रही है और 5 साल से सरकार की मातहती में चलने वाले कारखाने के मजदूरों को 40 रु. माहवार कम दिया जा रहा है, एक बात। इस कारखाने में लगातार घाटा है, यह दूसरी बात। यह समझ में नहीं आता है कि 5 साल से सरकार के अधिकारी इस कारखाने को चला रहे हैं। उसमें बराबर घाटा है, लेकिन उसको रूई देने वाला जो आदमी है वह 5 साल में ही 15-20 लाख का आदमी हो गया, और जो दूसरे सामान देने वाला व्यक्ति है वह भी 5-7 लाख कमाकर बैठा है। जो कारखाना हमारे सामने लिया जाय वह नुकसान में जाय इसका क्या कारण है? इसका एक कारण तो मैंने पहले निवेदन किया कि जैसे अधिकारी जाते हैं—पहले वाले अधिकारी की शिकायतें निकल चुकी हैं और बहुत सी बातें आ चुकी हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसी तरह से अभी जो अधिकारी बैठे हैं वे हैं। अधिकारी सब बेईमान होते हैं यह तो मैं नहीं कहता, लेकिन अधिकारी खुद उस चीज को जानने वाला नहीं होगा तो उसे पता नहीं लग जाता है और जो जानता है उसको पता लगाता है। ईमानदार आदमी होते हुए भी उस काम

(श्री केशरीमल)

को जानने वाला आदमी नहीं है तो काम नहीं चल सकता है। इसलिए महालक्ष्मी मिल जो नुकसान में चल रही है उसका मुख्य कारण यह है कि जो आदमी बैठाये गये हैं वे उस काम के जानकार नहीं हैं। कभी-कभी यह भी होता है कि जब ऐसे कारखाने सरकार के हाथ में आ जाते हैं तो गोशाला बना दिये जाते हैं जिनमें वे गायें जो लूली लंगड़ी होती हैं और दूध नहीं देती हैं उनको यहां भेज दिया जाता है। जिनको और कहीं पर नहीं रखा जाता है उनको ऐसे कारखानों में लगाया जाता है और उनको 300, 400 की पगार देते हैं ताकि वहां पर चरें और बैठे रहें। काम नहीं जानने वाले अधिकारियों को बैठाने से नुकसान होता है। दूसरा यदि ऐसे कारखानों में पैसा नहीं लगाया जायगा और उनकी मशीनों का नवीनीकरण नहीं किया जायगा तो ये कारखानें नहीं चलेंगे। सरकार इस बात को जानती है और इस बात को काफी बार-बार एक विषय के रूप में सामने लाया जाता है लेकिन आज 5 साल से कोई नवीनीकरण नहीं किया गया है जिसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान हो गया है। मजदूर काम कर सकता है वह मशीनरी भी लगा सकता है, मेटेरियल को मजदूर नहीं ला सकता है, और वे काम ले रहे हैं तो उनके, तौर तरीकों से नुकसान पहुंच रहा है और जान बूझकर यह किया जा रहा है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि ऐसे कारखानों में मजदूरों के प्रतिनिधियों को संचालक बोर्डों में लें तो ऐसी बातों को साफ करेंगे और उसको ठीक करने की ओर बराबर ध्यान दिलायेंगे।

इस प्रकार से मिल को ठीक चलायेंगे और मिल को चलाने के साथ-साथ मेरा एक निवेदन है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न रखा था, लेकिन उसका जवाब नहीं आ सका। समय से पहले जैसा प्रश्न आ जाना चाहिये था आया नहीं इसलिए समय पूरा होता तो उत्तर आयेगा। मेरा यह सवाल है कि इस मिल में रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट लागू होता है। यह रिलीफ अण्डर टेकिंग एक्ट राजस्थान में अलग तरह का एक्ट है। इस एक्ट को बनाने वाली राजस्थान सरकार ने इस कानून को किसलिए बनाया? क्या मंशा थी, और किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी मंशा यह है कि रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट जिस कारखाने में लागू किया जायगा तो वहां पर मजदूरों को पूरी तनख्वाह पाने का हक नहीं होगा, उसका कोई नुकसान कर दिया जायगा तो उसको उसके लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा, उसमें मजदूर को चाहे उसके कमाये हुए पैसे को हजम कर जाओ तो उसको भङ्ग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि समाजवादी भावना रखने वाले रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट को लागू करके समाजवाद को पनपाने की बात कर रहे हैं। रिलीफ अन्डरटेकिंग एक्ट पूंजीपतियों के दकियानूसी कानून कायदे और उनकी मन्शा से लगाया था। यह बहुत शर्मनाक कानून है। इस एक्ट के मातहत इस मिल के ऊपर जो पहले की पैसा मांगने वाली पार्टियां और जो दूसरी चीजों का पैसा मांगने वाली पार्टियां हैं वे पार्टियां उस पैसे को वसूल करने के लिए वहां नहीं आ सकें वहां तक

Page No 88

(श्री केशरीमल)

इसको रखा जाय, नई मांग न करें वहां तक इसको रखा जाय। मैं मजदूरों का प्रतिनिधि होने के नाते यह कहने को तैयार हूं कि ये लोग इस को कतई मानने को तैयार नहीं हैं। यह सिद्धान्त: बिल्कुल प्रतिक्रियावादी कानून है। मजदूर को अगर उनकी कमाई हुई तनख्वाह नहीं मिले तो पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट के तहत वह दावा करें तो सभी दावों को रोक दिया गया है। उनको अधिकार नहीं है। वे नहीं कर सकते हैं। अगर अपनी कमाई हुई तनख्वाह को लेने के लिए 10·15 दिन बाद में आये तो पैसा नहीं दिया जायगा वह पैसा हमको नहीं मिलेगा। जहां पर यह कहे कि मेरे को निकाल दिया गया है गैर कानूनी तरीके से और वापिस रखने के लिए वह कहे और चाहे कि उसे न्याय मिले तो अदालत में जाने का उसको अधिकार नहीं है। यह कौन सा कानून हुआ कि जिससे कि उनके जो वैधानिक अधिकार हैं उनको छीन लिया जाय। यह जंगली कानून है, यह 18वीं शताब्दी का कानून है। उसको पलटना होगा, लेकिन न मालूम क्यों राज्य सरकार उसको अपनी छाती से चिपकाए हुए है।

मैं यह कहने को तैयार हूं कि राजस्थान सरकार के अधिकारी जो श्रम विभाग से ताल्लुक रखते हैं वे ऐसे लोग हैं कि जिनको बारबार लिख रहे हैं कि हमको कृपया यह तो बतायें कि यह एक्ट 5 साल के लिए था वह खत्म हो गये हैं और 5 साल के बाद यह कानून लागू नहीं होता है तो क्या और किसी एमेन्डमेन्ट के जरिये या और किसी तरीके से लागू किया गया है या उसकी मियाद बढ़ा दी गई है, लेकिन श्रम विभाग चुप है। यह खुशी की बात है कि वे कागज की बचत करने वाले हैं, स्याही की बचत करने वाले हैं, टाइप की बचत करने वाले हैं और अपनी महनत की बचत कर रहे हैं। बड़ा फायदा सरकार का कर रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस विभाग के अधिकारी हमारे किसी भी पत्र का जवाब देने को तैयार नहीं हैं। अंग्रेज अच्छे थे। छपा छपाया कागज रहता था। हमारे भी झगड़े होते थे। जब भी कोई उनको पत्र लिखते थे तो फौरन उनका छपा हुआ पत्र आता था। उसमें लिखा होता था कि आपका पत्र हमको मिला। नियम के अनुसार उस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार सोचती है कि हमारा फालतू कागज क्यों घिसे। पेन क्यों घिसे। स्याही क्यों खराब हो। क्या राजस्थान सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि रिलीफ अण्डरटेकिंग···

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा हमारे लिए वैसे ही निश्चित है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के लिए सिर्फ 20 मिनट है।

श्री केशरीमल : आखिर में कोशिश करता हूं।

तो मैं यह बताने की कोशिश करूं कि रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट लागू किया गया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह बताता हूं कि राजस्थान सरकार की कितनी मजदूर विरोधी नीति रही है। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की केवल यही नीति है

(श्री केशरीमल)

कि मजदूरों को किस प्रकार से परेशान किया जा सके। उनका विरोध किस प्रकार से किया जा सके। वह हमेशा इस बात की कोशिश में रहता है कि मालिकों को किस प्रकार से फायदा पहुँचे। कंसीलेशन का कार्य उठायें तो वर्षों तक पूरा नहीं हुआ। हमारे ब्यावर में एक आदमी कंसीलेशन का काम करता था। उसका तबादला कर दिया तो फिर कोई दूसरा आया नहीं। वह जब कोई कार्य करते हैं। वहां जाते हैं तो रुक्का पकड़ायेंगे कि हमने रैफर कर दिया। क्या आपका यही काम है कि आप रैफर कर दें। जहां किसी जगह पर मजदूर संगठनों की ताकत है, वहां पर फौरन कर देंगे। जहां मजदूरों की ताकत नहीं है, वहां लम्बे समय तक लटकायेंगे। कार्यवाहियों को लटकाने की श्रम विभाग की आदत है। कृष्णा मिल को बन्द कराने का सारा श्रेय इस श्रम विभाग को है। वहां उन्होंने अगर नोटिस दिया वर्कलोड बनाने के लिए तो हमारे यहां से फैसला हो जाता है। इसलिए कुछ बात नहीं कर सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन मुद्दे रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय बिल्कुल निश्चित है। डिमाण्ड्स का टाइम बिल्कुल फिक्स है।

श्री केशरीमल : मैं बिल्कुल मुद्दे रखता हूं। कृष्णा मिल को बन्द कराने में लेबर डिपार्टमेण्ट का हाथ है। राणावत कमीशन पर हड़ताल कराने का मुख्य हाथ श्रम विभाग का है। क्या कारण है कि वेजेज बोर्ड के लिए लोगों को हड़ताल करनी पड़ती है। पुलिस वाले मजदूरों के खिलाफ मुकदमे बनाकर पेश करते हैं। चितौड़गढ़, उदयपुर, ब्यावर इसके उदाहरण ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस की डिमाण्ड के समय यह विवेचन कर सकते हैं। आज श्रम और उद्योग विभाग है।

श्री केशरीमल के बोलते रहने पर–

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। कई और जिले भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन झुंझुनूं जिला बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि पिछले 10 साल से वहां कोई काम नहीं हुआ है। झुंझुनूं जिले के लोग मजदूरी के लिए अहमदाबाद आदि जगहों पर दूर दूर तक जाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोले जायें जिससे लोगों को काम मिले। झुंझुनूं जिले में पहले बुनकरों को काम मिलता था। वह अब बन्द हो गया है। राजस्थान सरकार की ओर से उनको या तो ऋण नहीं मिला, यदि मिला तो समय पर नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार झुंझुनूं जिले के मजदूरों को उदारता पूर्वक काम दे। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने झुंझुनूं शहर के अन्दर औद्योगिक बस्ती कायम करने का ऐलान किया था। बड़े अफसोस

Page No 90

(श्री रामनारायण चौधरी)
के साथ कहना पड़ता है कि औद्योगिक बस्ती के लिए जो जमीन रोकी गई थी, उस पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। अब जो बस्ती बनाना चाहते हैं, उसमें कठिनाई पैदा हो गई है। मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले को औद्योगिक दृष्टि से आगे लाने के लिये झुंझुनूं और नवलगढ़ में औद्योगिक बस्तियां कायम की जायें। जो लोग आई.टी.आई से प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनको श्रम विभाग में स्थान दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिवीजन और जोधपुर नगर बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर डिवीजन और जोधपुर नगर के साथ में बिल्कुल सौतेली मां का व्यवहार किया गया है। राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन ने जो धनराशि उद्योगों को कर्ज दी है–वह इस प्रकार है :—

जयपुर डिवीजन 62%

कोटा डिवीजन 14%

उदयपुर डिवीजन 14%

जोधपुर डिवीजन 4½%

सार्वजनिक क्षेत्र में अजमेर को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री दी है। उदयपुर में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, कोटा में इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., प्रसिजन इन्स्ट्रूमेण्ट्स, बीकानेर में स्टेट सेक्टर में वूलन फैक्ट्री लगाई गई थी। जोधपुर में कोई नहीं लगाई गई है। (विराम) राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की नीति भेदभाव पूर्ण रही है। उन्होंने जोधपुर में नाम-मात्र को छोटा सा गोदाम खोल रखा है उसने किसी को हायर परचेज पर मशीन तक नहीं दी है। जो कारीगर वहां पर काम कर रहे हैं, उनको सामान देने का, मशीनें देने का कोई भी काम नहीं किया गया है। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम ने 1971 में 5 एकड़ भूमि का विकास किया है। वैसे दूसरी तरफ काफी तरक्की की है। दूसरे उद्योग जयपुर में खोले गये हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय में इन्जीनियरिंग संकाय है। वहां रिसर्च भी होता है। जोधपुर पोलेटेक्निक में 250 विद्यार्थियों की क्षमता है। वहां पर इन्जीनियरों के लिए कोई रोजगार की संस्था नहीं खोली गई है। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट के भी 3, 4 मैनेजमेंट कोर्स जयपुर में हुए हैं परन्तु जोधपुर में एक भी नहीं हुआ है। जोधपुर में ट्रक और स्कूटर की फैक्टरी लगाने के बारे में सुनते 2 कान बहरे हो गये हैं। अब स्कूटर फैक्ट्री अलवर ले जायी गयी। ट्रैक्टर फैक्ट्री पहले फ्रेंच और अब वेस्ट जर्मनी के कालोबरेशन से बनेगी। अब सुनते हैं कि शायद नहीं लगेगी। हमको भुलावा दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 24.21 करोड़ की लागत के 6 उद्योगों की स्थापना की घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट्स ग्लास बोल्ट्स, स्कूटर सोडा ऐश थ्री व्हीलर्स, क्रायोलाइटस तथा कैलशियम

(श्री अमृतलाल गहलोत)

कारबोनेट का उत्पादन करेंगे। इनमें पता नहीं जोधपुर में कौन सा लगेगा। यह भी मैंने सुना है कि 4 उद्योग का लेटर आफ इन्टेंट भारत सरकार से मिल गया है। वह कौन से हैं। मैंने सुना है जे. के. सेन्थेटिक को रबर उद्योग लगाने का लाइसेंस मिल गया है जहां शायद टायर और ट्यूब भी बनेंगे। जोधपुर में पत्थर का ही सबसे बड़ा काम है जिसमें 25 हजार मजदूर काम करते हैं। लेकिन वहां पर श्रम विभाग और खनिज विभाग की ओर से फर्स्ट एड का बक्स तक नहीं है। 10 लाख की रायल्टी और 10 लाख का सेलटैक्स तो सरकार ले लेती है। परन्तु उनके लिये कुछ भी इन्तजाम नहीं करती है। हमारी सरकार तो उसको उद्योग भी नहीं मानती है। यह कितना बड़ा भेदभाव है। बस यही कह कर मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार उद्योग खोलने के लिये बड़ी बड़ी बातें करती है। आश्वासन देती है हर तरह से। किसी भी पेपर को उठाकर देख लें उसमें यही मिलेगा कि राजस्थान सरकार उद्योग खोलने के लिये बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रही हैं। लेकिन ये सारी सुविधायें कागजों तक ही सीमित हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि यदि कोई उद्योग स्थापित करना चाहे तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, नये उद्योग स्थापित करने के लिये राजस्थानी भाई जो अन्य राज्यों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किये बैठे हैं, उन्होंने राजस्थान सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है। उसके आधार पर कुछ लोगों को उद्योग लगाने भेजा, उन्होंने लाख दो लाख रुपये जो उनके पास थे, वह लगाये भी। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो कर्जा देने का आश्वासन दिया था, वह पूरा नहीं किया। दो दो साल तक सरकार ने पूरा नहीं किया। आखिर वह अपने पास की पूंजी लगाकर दिवाला निकाल कर चले गये। इसका परिणाम यह हुआ कि जो आने को थे वह रुक गये। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सुविधायें उद्योगपतियों को देने की हैं, उसकी प्रक्रिया को बहुत ही सरल और शीघ्रता करने वाली बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जो औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान सरकार ने बनाये हैं, वह बड़े बड़े शहरों में ही हैं। उनको बड़े बड़े शहरों में ही सीमित किया जा रहा है। कस्बों और गांवों में औद्योगिक विकास क्यों नहीं किया जा रहा है। जयपुर शहर में बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां हैं और दिनों दिन बनाई जा रही हैं। उनको छोटे कस्बों और छोटे शहरों में किया जाये। बहुत से जो ग्रामीण बेरोजगार हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको भी काम मिलेगा और उद्योगों का बाहर भी फैलाव होगा। उससे सबको लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों को बिजली की सुविधा दी जाती है, मैं आपको सवाई माधोपुर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर बिजली दिन में 10 बार से 20 बार बन्द हो जाती है। एक दो मिनट चलेगी फिर बन्द हो जायेगी। मान लीजिये कहीं पर मशीन जाम हो गई, मशीनों से कैसे काम लें। बिजली दी भी जाती है तो इस प्रकार से उपयोग होता है।

(श्री मीठालाल)

जो छोटा उद्योग होता है, उनको कह दिया जाता है कि आपको रात में देंगे । उनको दिन में अपना धन्धा बन्द रखना होता है । रात में चालू रखना होता है । उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से बिजली के कनेक्शन छोटे उद्योगों को मिल हा नहीं रहे हैं । मांग रखे हैं। साल साल से पेंडिंग मामले चल रहे हैं । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में ध्यान देकर सरकार को शीघ्र बिजली की सुविधा दे देनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश उद्योग ऐसे हैं, जिनमें लाइसेंस प्रणाली होती है । बिना लाइसेंस के वह उद्योग स्थापित नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को कई साल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं । दफ्तरों में भेंट पूजा करनी होगी । उसके पश्चात् लाइसेंस मिलेगा । जो उद्योग लगाना चाहता है तो उसको भूमि नहीं मिलेगी । अगर उसको भूमि मिल गई तो वह कन्वर्ट नहीं होगी । इसी बीच में दो तीन साल का समय लग जाता है । तो, जो उद्योग लगाना चाहता है, उसकी परिस्थिति क्या रहती है क्या नहीं रहती है । उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर और अन्य शहरों में नये उद्योग जा रहे है लेकिन छोटे कस्बों में वह नहीं लगाये जा रहे हैं। जयपुर में कोई नया उद्योग स्थापित करेगा तो उसको चुंगी कर में भी रियायत मिलेगी और सेल्सटैक्स की भी रियायत मिलेगी और कई रियायतें मिलेंगी । लेकिन छोटे कस्बों और शहरों ने क्या गुनाह किया है कि उनको इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है ? आप बड़े बड़े उद्योगों को सहायता देना चाहते हैं लेकिन छोटे छोटे उद्योगों को बिल्कुल नहीं दी जा रही है । यह जो भेदभाव की नीति है इससे छोटे कस्बों और शहरों में उद्योग स्थापित होने में दिक्कत होती है ।

सरकार की नीति छोटे उद्योगों को पनपाने की है या नहीं ? चावल किनकी व चावल से बनी हुई चीजों को बाहर भेजने पर सरकार ने रोक लगा रखी है । राजस्थान में चावल से पोहा मुरमुरा बनाने की मशीन हैं । राजस्थान से इसको बाहर भेजने पर पाबन्दी लगा रखी है लेकिन बाहर वाले व्यापारी राजस्थान में लाकर बेच सकते हैं । बाहर वाले व्यापारी यहां सस्ती दर पर लाकर बेचते हैं और यहां का छोटा उद्योग उनकी काम्पटीशन में नहीं खड़ा हो पाता है । तो या तो बाहर से आने वाले पोहा मुरमुरा की निश्चित रूप से दर बांध दी जाए कि इसके नीचे नहीं बेचें अन्यथा बाहर के व्यापारियों द्वारा यहां लाने पर पाबन्दी लगा दी जावे ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि उद्योगपतियों को आगे कर्जा ही नहीं दिया जाए बल्कि उद्योग भी स्थापित न करने दिया जावे, उनकी नीयत यह थी, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाने हैं, मैं समझता हूं, एक दो के अतिरिक्त सारे के सारे नुकसान में चल रहे हैं और राज्य सरकार का शायद ही कोई कारखाना मुनाफा देता हो । राज्य सरकार ने जो निर्णय किया है कि राज्य में 6 चावल की मिलें खोली जायेंगी सहकारिता के आधार पर । लेकिन एक भी ऐसा सहकारिता के आधार पर चलने वाला कारखाना है जिसने मुनाफा दिया हो ?

(श्री मीठालाल)

केशवराय पाटन में आपने मिल खोली उसका नतीजा देखा? आप जितनी भी सहकारिता के आधार पर चलने वाली सोसाइटीज देखें गंगापुर सिटी की तेल मिल है और दूसरे व्यापारियों की भी तेल की मिलें हैं वह सारी अगर 5 हजार मुनाफा देती हैं तो सहकारिता वाली मिल साल में 10 हजार नुकसान देती है। मैं सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन इस क्षेत्र में सुधार तो करें। कम से कम एक दो उदाहरण तो दें जो कारखाने मुनाफा दे रहे हैं? हर कारखाना नुकसान में जाता है, तो सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में 6 चावल को मिलें खोलने की क्या आवश्यकता थी?

राजस्थान में चावल की मिलें आवश्यकता से अधिक भी हैं और उतनी पैदावार नहीं हो पाती है, जिनके फलस्वरूप चावल मिलों को इतना कच्चा माल नहीं मिलता है कि वे साल भर में कच्चा माल प्राप्त करके चल सकें। मंत्री महोदय चाहें तो आंकड़े मंगा सकते हैं। कोई चावल का मिल औसतन साल से 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चलता तो फिर सहकारिता के आधार पर चलने वाली 6 मिलों की क्या आवश्यकता पड़ गई? जो पहले की चावल की मिलें हैं उनको सुधारने के लिए आज तक आप लोगों ने कर्जा लेने की इजाजत नहीं दी है जिससे कर्जा लेकर विकास कर सकें या उनमें कोई टेक्नीकल सुधार करने के बारे में आज तक कोई किसी तरह की सुविधा चावल के मिल मालिकों को नहीं दी।

जो उद्योगों का और फर्मों का पंजीकरण कार्यालय है, जो जयपुर में है, मैं मुख्यमन्त्री का इस ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में पंजीकरण कार्यालय केवल एक ही है। व्यापारी कोई अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराना चाहे तो प्रार्थना-पत्र के साथ फीस के 5 रुपये भेजने पड़ते हैं और मान लीजिए यदि व्यापारी ने भूल की और दो या तीन रुपये भेज दिए तो फर्म रजिस्टर नहीं होगी और उसके बाद में कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता फर्म समझेगी कि हम रजिस्टर्ड हो चुके लेकिन वास्तव में वह रजिस्टर नहीं होगी तथा उसको दुबारा कार्यालय की ओर से जवाब भी नहीं मिलेगा।

इस तरह रजिस्ट्रेशन फीस 5 रु. है लेकिन नकल ले तो 9), दूसरी नकल ले तो 18) और तीसरी नकल ले तो 27) रु.। जवाब देने का इसमें जो विशेष कानून आप लोगों ने बना रखा है कि नहीं दिया जायेगा, इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि पंजीकरण कार्यालय प्रत्येक जिलों में स्थापित किया जाए क्योंकि कोई व्यापारी, कोई भी उद्योग जो नकल लेता है उसको यह जवाब मिलता है कि हमारे पास 40 हजार फाइलें हैं, समय नहीं है। इससे आपकी आमदनी में विशेष फायदा होगा और जनता को भी राहत मिलेगी।

राज्य में बड़े उद्योगों के स्थापित होने से बेरोजगारी दूर होने में काफी समस्या हल हो सकती है। मैं समझता हूँ, राज्य सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल हुई

(श्री मीठालाल)

है। आज स्थिति यह है कि कई राज्य केन्द्र सरकार से राजी बेराजी मनवाकर राज्य में बड़े बड़े उद्योग लगवाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और राजस्थान सरकार राजस्थान में आज तक कोई भी बड़ा उद्योग केन्द्र से अनुरोध करके स्थापित नहीं करा सकी। जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है अपने राज्यों में बड़ी बड़ी योजनायें करा लीं लेकिन राजस्थान में कोई बड़ी योजना राजस्थान सरकार नहीं बनवा सकी। अभी जैसे तेल शोध कारखाना है वह सवाई माधोपुर में होना चाहिए जिसके लिए सबसे ज्यादा सवाईमाधोपुर उपयुक्त है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि बार-बार हम अनुरोध करते हैं लेकिन मैं समझता हूँ विशेष जोर मुख्य मंत्री नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्रीजी ने अभी भी यह स्पष्ट घोषणा नहीं की है कि यह कारखाना सवाई माधोपुर में स्थापित होना चाहिए या किसी अन्य स्थान पर। केन्द्रीय सरकार ने टालने की कोशिश की है, क्योंकि राज्य सरकार अभी तक धारणा नहीं बना सकी कि यह कारखाना सवाई माधोपुर में स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषणा की कि खाद का कारखाना राजस्थान में स्थापित किया जायेगा सार्वजनिक क्षेत्र में, जोधपुर में घोषणा की कि स्कूटर का कारखाना खुलेगा अब अलवर के लिए घोषणा हो रही है। इस तरह से घोषणायें तो होती जा रही हैं लेकिन कोई कारखाना स्थापित होकर उसका काम निश्चित रूप से एक सही तरीके से चले तो उससे बेरोजगारों को भी फायदा मिलेगा। राज्य सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र में बदनामी हो रही है उसकी भी साख जमेगी और बेरोजगार इंजीनियरों को भी काम मिलेगा।

शहरों के बनिस्बत गांवों में कुटीर धंधे हैं, उनके विकास के लिए राज्य सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है। छोटे गांव जहां पहाड़ी इलाका हो, खनिज सम्पदा निकलती हो, वहां कुटीर उद्योग स्थापित किये जायं या संबद्ध खनिज के आधार पर उद्योग स्थापित किये जाएं जिससे गांवों का औद्योगिक विकास भी होगा और शहरों और गांवों के बीच जो भेदभाव की नीति है, वह भी दूर होगी। लेकिन यहां तो गांवों से कच्चा माल चाहे वे सड़कों के पास न हों लेकिन जयपुर में लाया जाएगा, जयपुर में कारखाना स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह की नीति को दूर करके गांवों में उद्योग धंधे स्थापित करने के बारे में विचार करें। जो कुटीर उद्योग हैं जिनको आपने प्रगति रिपोर्ट के अनुसार किसी को 100 किसी को 500) रु. दिए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब बड़े बड़े शहरों में उद्योग स्थापित करने के लिए आप 20–20 30–30 लाख लोन देते हैं तो छोटा धंधा करने वालों ने क्या गुनाह किया है कि उनको केवल सौ दो सौ कर्जा देते हैं। जो बड़े उद्योगों को आप कर्जा देते हैं उनमें 50–60 प्रतिशत आपका कर्जा डूबा है। 50–60 प्रतिशत ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा लिया है लेकिन उद्योग स्थापित नहीं किए हैं। बीच में अपनी पूंजी ले गए और सरकार की पूंजी हड़प कर गए।

मैं कुटीर उद्योगों को सुविधा देने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लालसोट

(श्री मीठालाल)

का दे रहा हूं। वहां पर हरिजनों को बैंक की तरफ से लोन दिया गया हजार हजार रुपया जिससे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित किये जा सकें। उन्होंने उद्योग स्थापित किए और काम किया। जो कर्जा था पूरा वापस लौटा दिया। लेकिन अब सरकार ने आर्डर दिया कि दुबारा कर्जा नहीं दिया जाय। जब कि पहले का कर्ज चुका दिया है तो फिर क्या कारण है कि कर्ज नहीं दिया जा रहा है जब कि शहरों में इस तरह के कर्जों की दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी की जा रही है और गांवों में कटौती की जा रही है कोई धन्धा करना चाहें तो राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार की सुविधा नहीं है अतः दी जावे।

उद्योगों के लिये सुझाव एक यह भी है जो सरकार को पसन्द आये या नहीं। देश में अरबों रुपयों की पूंजी, जो काला-धन कहलाता है पड़ा हुआ है। अगर राजस्थान सरकार अपने राज्य में राजस्थान का ही काला धन उद्योगों में लगाने की छूट देने की बात करे, पहले केन्द्र सरकार ने कुछ प्रतिशत लेकर छूट दी थी, उस काले धन को यदि केवल उद्योग धन्धों में लगाया जाय और सरकार को हिसाब दे दें और राज्य सरकार घोषणा करदे कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। यह स्पष्ट घोषणा होने पर छोटे 2 और बड़े 2 उद्योगों में वह पूंजी लग सकती है। उद्योगों के लिये काले धन को निकलवाने में केन्द्र व राज्य सरकार की नीति बिलकुल फेल रही है और वह काला धन दिनों दिन बढ़ रहा है। यदि उद्योगों में लगाने के लिये छूट दे दी जाय तो नम्बर 2 की पूंजी निकलेगी और उसमें उद्योगों का व राजस्थान का विकास होगा। मिनिस्टर लोग जो सामने बैठे हैं उनके पास इस प्रकार की पूंजी अधिक है। बहुत से माननीय सदस्य सोचते होंगे कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के पास नम्बर 2 की पूंजी होती है। लेकिन जितनी नम्बर दो की पूंजी मिनिस्टरों के पास है किसी दूसरे के पास नहीं होती। अभी तो जितनी भी इस प्रकार की पूंजी है वह उद्योगों में लगायी जावेगी तो लग जायगी अन्यथा बाद में नहीं। इससे राज्य का भी विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इन सुझावों के ऊपर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में कटौती प्रस्तावों पर वाद-विवाद चल रहा है। मेरा भी इस पर कटौती प्रस्ताव है।

सबसे पहले मैं बूंदी जिले को औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किये जाने के विषय में निवेदन करूंगा। चूंकि राजस्थान में बूंदी जिला ही 26 जिलों में से ऐसा जिला है जहां कि सीमेन्ट का पत्थर प्राप्त होता है और 1913 से लेकर आज तक लाखेरी में सीमेन्ट पैदा हो रहा है

(श्री नंदलाल बैरवा)

और उस पत्थर से लाखों रुपये का सीमेंट प्रतिवर्ष बाहर जाता है। कुछ ही दिन पूर्व वहीं पर पिछले वर्ष सीमेन्ट का कारखाना लगाने के लिये बूंदी से 7 मील दूर सर्वे किया गया था। उसमें यह भी पाया गया था कि यहां का पत्थर सीमेन्ट बनाने लायक है। 6.7 लाख रुपया प्राइवेट सैक्टर की ओर से खर्च भी किया गया लेकिन राजस्थान सरकार ने बूंदी जिले को पिछड़ा रखा और उद्योगों के माने में इसकी भारी उपेक्षा की गयी। खास तौर से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बूंदी जिले की सीमेन्ट फैक्ट्री के लिये सर्वे किया गया, किसी भी स्थान पर फैक्टरी की स्थापना होनी चाहिये।

दूसरी बात, बूंदी के अन्दर ऐसा पत्थर प्राप्त होता है जहां छोटे 2 उद्योग चल सकते हैं। लोग पत्थर के उद्योग चलाना चाहते हैं सरकार की ओर से नहीं खोले गये और इस प्रकार इस जिले की भारी उपेक्षा की गयी।

कोटा डिविजन में और खास तौर से कोटा शहर में बड़े बड़े उद्योग धन्धे राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से लगाये गये हैं लेकिन प्रायः देखा गया है कि कोटा शहर और डिविजन के लोगों को छोड़ कर, बड़े और छोटे अधिकारी मजदूर, फीटर, कारपेन्टर आदि सब दूसरे प्रान्तों के अधिकतर पाये जाते हैं। राजस्थान के कई इन्जीनियर्स, पोलिटेक्निकल्स आई.टी.आई. के लोगों को राजस्थान से बाहर नौकरी के लिये जाना पड़ता है और उनको राजस्थान में नौकरी नहीं मिलती इसलिए निवेदन करूंगा कि कोटा में कई बड़े उद्योग चलाये जा रहे हैं, कारखाने चलाये जा रहे हैं उनके अन्दर हमारे कोटा के लोगों को प्रायोरिटी देने के बजाय राजस्थान के अन्य लोगों को जगह देनी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे लड़के आई.टी.आई. पास करके आते हैं वे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पाती है।

बेरोजगारों की समस्या राजस्थान में उद्योग होते हुए भी भारी है चाहे सीमेन्ट उद्योग हो या और कोई कारखाना हो वहां पर ठेकेदारी प्रथा चलायी जा रही है। जो काम करना चाहते हैं उनको एड नहीं मिल पाती है। सीमेन्ट फैक्टरी में हजारों की तादाद में मजदूर काम करते थे, ठेके के द्वारा काम करते थे। हजारों मजदूरों से कम्पनी द्वारा ठेके पर काम लिया जाता है। राजस्थान सरकार ने बहुत वर्षों पहले यह घोषणा की थी कि कोई कारखाने में ठेकेदारी का काम नहीं लेगा। आज इस प्रकार का कार्य लिया जाता है। इसलिये राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी को समाप्त करना है और राजस्थान सरकार और मजदूरों की स्थिति को सम्हालना है तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करनी पड़ेगी।

श्रम नियोजन कार्यालय की बात है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग नौकरी करना चाहते हैं, बिना नियोजन के उनको नौकरी देंगे लेकिन आज तक पालन नहीं किया है। नियोजन विभाग के अन्दर नाम दर्ज कराने के बाद

(श्री नंदलाल बैरवा)
भी नहीं आता है। जहां-जहां खाली स्थान होते हैं तो जिस डिपार्टमेन्ट में काम करने वाले लोग हैं वे अपनी समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देकर उनको नौकरी दे देते हैं जिससे हालत यह होती है कि पैसा खर्च करके पढ़ाई की और मेहनत की लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। जिस कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं वे अपने ही समुदाय और परिवार के लोगों को नौकरी दिला देते हैं।

जिन क्षेत्रों में लोन दिया गया है और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यय किया जा रहा है, उसमें बिजली, पानी और जमीन की काफी रियायतें दी हैं उनको देखते हुए छोटे-छोटे उद्योग धन्धे चलाये जायं. जिससे राजस्थान को काफी लाभ मिल सकता है। छोटे 2 कस्बों और गांवों में उद्योग चलेंगे और बेरोजगारी दूर होगी।

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत बेकारी दूर करने की बात कही गयी है। श्रम मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि तीन डिपार्टमेंट को काम देना ही सफलता नहीं है। पंचायत समिति, निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग की लिस्ट चली जाती है जिला परिषद् को, उसने भेजी सम्बन्धित डिपार्टमेण्ट को लेकिन समय पर बांध का काम या सड़क पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिये एक ही डिपार्टमेण्ट से सम्बन्ध रखा जाय। इससे ग्रामीणों को अधिक रोजगार मिल पायेगा और ज्यादा विकास के काम हो सकेंगे।

साथ ही साथ बूंदी जिले की सीमेन्ट फैक्टरी के लिये मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सीमेण्ट फैक्टरी इन्हीं कारणों से नहीं लग पायी है। विधान सभा में घोषणा करें कि बूंदी जिले में सीमेण्ट फैक्टरी की बहुत आवश्यकता है। लाखों रुपया खर्च हो चुका है। इससे बूंदी जिले और राजस्थान का विकास होगा। इतना कहते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि अलवर में नयी इण्डस्ट्री लगाने के लिये लाइसेन्स दिये गये उस सम्बन्ध में क्या प्रोग्रेस है। उसके लिये लोकल आफिसर्स की कमेटी बना कर बताना चाहिये जिससे उनकी प्रोग्रेस में कमी आवे तो बतायी जा सके। जैसी प्रोग्रेस होनी चाहिये वैसी नहीं है। यह बात तो मैंने अलवर इण्डस्ट्री के बारे में कही है।

एक सुझाव मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मुल्क के अन्दर बेकारी और बेरोजगारी की समस्या है और काफी लोगों की बेकारी बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आखिर कहीं ऐसा कोई डिफेक्ट है कि 25 वर्ष से लगातार प्रयास करते हुए भी हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सके। बेरोजगारी को दूर करने का मतलब है औद्योगीकरण करना। देश में ही सही तौर पर औद्योगीकरण किया जावेगा तो बेकारी दूर होगी। अब तक की जो हमारी स्थिति है चाहे स्टेट सैक्टर हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे पब्लिक सेक्टर हो हम कामयाब नहीं हो पाये हैं।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हम अपने प्लानिंग के दृष्टिकोण को सही रूप से नहीं बदलेंगे तब तक बेकारी और बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे वह दृष्टिकोण यह है। हमारे मीन्स आफ प्रोडक्शन। हर एक आदमी यूज करना चाहता है उसको उपलब्ध होने चाहिए। जो कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी खपत होनी चाहिये। ऐसा माल पैदा करें जिसकी खपत न हो तो उससे हमें लाभ नहीं होता है। जब तक हम अपने गांवों को इन्डस्ट्री को मोडर्न तरीके से, साइन्स का जो लाभ हमको मिलता है उसका उपयोग लेकर, डैवलप नहीं करेंगे तब तक बेकारी और बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकेंगे।

अलवर जिले की मिसाल पेश करूं। हमारी आबादी 11 लाख है। कपड़ा जो हम पहिनते हैं, इकोनोमिस्ट्स के हिसाब से 30 रुपया पर हैड कन्जम्प्शन है। 350 लाख रुपये का कपड़ा हम हर साल अलवर जिले में काम में लेते हैं। 350 लाख रुपये का कपड़े का हमारे जिले में कोई प्रोडक्शन नहीं है। हमारे जिले की 350 लाख की प्रोड्यूस हम बाहर के प्रदेशों को भेजते हैं। इसी कारण हमारा जिला गरीब है। मीन्स ग्रोफ प्रोडक्शन नहीं है, बेकारी और बेरोजगारी है। गांव-गांव में बिजली पहुंचने वाली है। हैंडलूम और स्पिन्डल्स के जरिये जहां जहां बिजली मोजूद है अकेले यदि कपड़े के प्रोडक्शन का इन्तजाम कर सकें अलवर जिले में 350 लाख रुपये सालाना की बचत होगी। आप ही अन्दाज लगाइये, उपाध्यक्ष महोदय, यदि एक लाख रुपये रोजाना का कपड़ा एक जिले में डेली कन्ज्यूम करते हैं, एक लाख का डेली प्रोड्यूस करेंगे एक जिले में। 30 लाख रुपये की उसमें रुई है तो 70 हजार पर डे लेबर उसमें लगती है। लेबर के 5 रुपये रोजना के लगायें तब भी 14 हजार लेबर इसमें लग सकती है। यही बात गांधीजी ने कही है। इसके सिवा और कोई इकोनोमी हो नहीं सकती। इतने करोड़ लोग बेकार हैं जिनको एम्प्लोयमेन्ट नहीं दे सकते हैं।

इसी तरह से हमारे गांवों में अर्ध बेकार आदमी हैं। साल में उनको 6 महीने काम नहीं मिलता है। सिवाय इसके कि उसको विलेज इन्डस्ट्री में प्रोवाइड करे उसके सिवाय और कोई एल्टरनेटिव नही है। खेतों पर बैठें हैं छोटे होल्डिंग्स हैं जिनको आफ सीजन में कुछ काम नहीं, उनको इस धन्धे से काम मिलता है। इसलिए तकली की बात मैंने कही है, चरखा भी आप ले सकते हैं। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से डवलप करिये। हैंडलूम तो चल ही रहा है। इस तरह से पावर लूम और बिजली के करघे मिलाकर विलेज इण्डस्ट्रीज लगेंगी तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और इस तरह से बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं।

मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आज कल के अर्थशास्त्री इकोनोमिस्ट इस ग्राम्य इण्डस्ट्री से सहमत नहीं होंगे। बड़ी-बड़ी मिलों का असर उनके मानस पर है। पर यह इकोनोमी खादी की इकोनोमी है गांधी जी की इकोनोमी है जो गांव को केन्द्र मानकर चलती है। इनका अपना स्वतन्त्र अर्थशास्त्र

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
है। इस देश की आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज से यहां की बेरोजगारी को हल नहीं किया जा सकेगा, देश में फैली भयंकर बेरोजगारी का मात्र हल गांधीजी की इकोनोमी पर आधारित ग्राम उद्योग ही हो सकते हैं। इसी से देश की सम्पूर्ण बेरोजगारी का हल आप कर पावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में उद्योग धन्धों की स्थिति बड़ी दयनीय और शोचनीय है।

बड़े और मध्यम श्रेणी के 933 आवेदनपत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं जिनमें से 57 ऐसे हैं कि जिनको दो वर्ष से भी अधिक का समय हो गया पर स्वीकृति नहीं मिल पाई है। जब कि नियमानुसार तीन महीनों में इन पर निर्णय हो जाना चाहिये। यह नौकरशाही इस देश की इकोनोमी को आगे नहीं बढ़ने देगी। इस नौकरशाही पर आपको अंकुश लगाना है और क्रियाशील बनाना है।

दो आवेदन पत्र तीन साल से पड़े हैं। 6 दो वर्ष से अधिक अवधि से पड़े हैं। 49 एक वर्ष से अधिक समय से पड़े हैं, और 76 एक वर्ष से पड़े हैं। यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। उद्यमशील लोग तत्पर हैं, पर यह सरकार स्वयं इसमें रोड़ा बनकर खड़ी है। इस सरकार के दफ्तर और अधिकारी वर्ग अंग्रेजी शासन की देन हैं। हमको, दुर्भाग्य है हमारा कि इतने अरसे के बाद भी हम अपने अनुकूल नहीं ढाल पाये हैं।

राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है। अभी तक हमें इन सबमें से केवल 33 आवेदन पत्रों पर लेटर आफ इन्टेन्ट अर्थात् काम प्रारम्भ करने के आज्ञापत्र प्राप्त हुए हैं। 1969 तक तो राज्य सरकार ने 83 पर सिफारिश की जिनमें से केवल 41 पर आशयपत्र प्राप्त हुए।

सन् 70 में 92 आवेदन पत्रों में से केवल 12 को अनुमति-पत्र प्राप्त हुए सन् 71 में 88 में से केवल 19 और इस तरह से गत तीन वर्षों में 215 आवेदन पत्र दिये गये जिनमें से 30 को अनुमति पत्र प्राप्त हुए, 133 विचाराधीन हैं, और 44 अस्वीकृत हो गये। यह सरकार की भारी भरकम मशीनरी, जिस पर जनता अपनी गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया खर्च करती है, 133 विचाराधीन मामलों पर विचार नहीं कर पाई। यह इस देश के उज्जवल भविष्य के लिये राहू के समान है।

अब जिन 289 उद्योगों की स्थापना की बात है जिनके बारे में अगर राज्य सरकार अपनी सुस्ती छोड़ कर तत्परता और लगन से कार्यवाही करे, उनको हर सम्भव सहायता दे तो आज भी 36 हजार के लगभग श्रमिकों को इन सारे उद्योगों के आधार पर रोजगार मिल सकता है।

पर गत दो वर्षों में एक भी लाइसेन्स नहीं मिला। इसके कारण उद्योगों की गति अत्यन्त मन्द है, और उद्यमशीलों में भयङ्कर निराशा व्याप्त है। जो आशय-पत्र

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जारी किये गये हैं उनमें पांच सार्वजनिक क्षेत्र में है और बाकी निजी क्षेत्र में हैं। 6 वनस्पति उद्योगों के लिए हैं। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में चमड़ा, कांच की बोतलें स्कूटर, स्लेट आदि हैं। बाकी 14 आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं केन्द्र में।

तारों का कारखाना लगाना भी विचाराधीन है। टेलीफोन टेलीवीजन आदि उद्योगों के लिए भी आवेदन पत्र दिये हैं। पर अनुमति अभी नहीं मिली है।

चौथी योजना में भारत सरकार ने 3150 करोड़ रुपया उद्योगों में लगाया है जिसमें से राजस्थान के हिस्से में केवल 114 करोड़ रुपया आया है। इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार राजस्थान के साथ सौतेला बरताव कर रही है जो क्षेत्र भर में सबसे पिछड़ा हुआ है औद्योगीकरण आदि की दृष्टि से उसको सबके समान स्तर पर लाने के लिए होना तो यह चाहिए था कि सबसे अधिक उद्योग भारत सरकार यहां लगाती पर इसके विपरीत केवल 114 करोड़ रुपयों के धन्धे यहां लगाये हैं। सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना लगाने की बात थी। पर वह भी टाल दी गई। राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने इस तरफ जितना प्रयत्न करना चाहिये था नहीं किया। जब कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट हमारे अनुकूल थी। अलवर के लोगों ने आवेदन पत्र दिया तो आपने कहा अलवर में यह तेल कारखाना...

श्री बरकतुल्ला खां : अलवर के लिए मैंने नहीं कहा। राजस्थान में कहीं भी हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : धौलपुर में इस प्रकार की घोषणा कर दी। मैं यह आरोप लगाने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको इस प्रकार की अनिश्चितता की घोषणा करने के कारण दूसरे लोगों ने लाभ उठाया।

इसी प्रकार लघु उद्योगों का हाल है। 9949 रजिस्टर्ड आवेदन पत्र आये जिनमें से केवल 2500 को इजाजत मिली है। इतनी धीमी गति से हम कैसे प्रगति कर पावेंगे और दूसरों के समकक्ष कब पहुंच पावेंगे इसकी चिन्ता है। मेरी प्रार्थना यह है कि राजस्थान में लघु और बृहत् दोनों प्रकार के उद्योग धन्धे तेजी से कायम हों। उनमें तीव्र गति आवे। उनको हर सम्भव उचित सहायता दी जाय। सरकारी मशीनरी को एक्टिव किया जाय। सस्ती बिजली और पानी उनको दिया जाय। जमीन दी जाय।

सम्पूर्ण भारत में सेन्ट्रल प्रोजेक्ट में 3150 करोड़ रुपया लगा है जिसमें से राजस्थान का अलोकेशन केवल 114 करोड़ है। कुल का तीन परसेन्ट भी नहीं है। इसमें राजस्थान का हिस्सा बहुत कम है। यह शोचनीय स्थिति है।

राजस्थान में राक फास्फेट है। सरकार ने कहा है पुरा में सावेरी में और झामर कोटडा में काफी पानी भी उपलब्ध है। तब इस क्षेत्र में फर्टीलाइजर का कारखाना स्थापित किया जा सकता है।

मैंने ये सारी बातें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त की हैं इसके बाद सुनी भी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है कि राजस्थान सरकार फर्टीलाइजर का कारखाना चलाना चाहती है पर फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया इससे सहमत नहीं है।

सरकार को इस मुद्दे पर चुप नहीं रहना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार सवाई माधोपुर में तेल का कारखाना नहीं लग पाया, उसी तरह से यह फरटीलाइजर का कारखाना भी नहीं लग पावेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर, कानपुर, तूतीकोरन, बेलारी आदि में ऐसे कारखाने स्थापित होने जा रहे हैं। फिर क्या कारण है कि राजस्थान में नहीं खोला जा सकता। पर मुझे भय है कि राजस्थान सरकार की सुस्ती के कारण हम पीछे न रह जावें।

हिन्दुस्तान जिप्सम की क्षमता विशाखापतनम् से कहीं अधिक है पर इस पर आधारित उद्योग मद्रास में लगने जा रहा है। राजस्थान में नहीं। केन्द्र के मिनिस्टर में क्षेत्रीयता की भावना काम कर रही है, कुमारमंगलन् इसके लिए भारत सरकार पर प्रभाव डाल रहे हैं। राजस्थान सरकार को चाहिए कि इस मामले में वह पूरी तरह से जागरूक रहे और अपने अधिकार को लेकर रहे।

पलाना का मामला है। कुए में से कोयला निकालने की प्रथा को बन्द कर दिया गया जब कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि इसके एक्सपर्ट लोग कहते हैं। ओपन कास्ट भी अगर सरकार करना चाहती है तो करे। पर यह कहां की बात है कि इसे पूरा ही बन्द कर दिया गया। इस पर आधारित थर्मल पावर स्टेशन लगाया जाना चाहिये था। इससे श्रमिकों को और वहां के आसपास के सभी प्रकार के लोगों को रोजगार मिलता। तो इस पर राज्य सरकार को पुर्नविचार करना चाहिये।

इसी प्रकार हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी है। इसमें हमारे चालीस प्रतिशत शेयर हैं। 60 प्रतिशत भारत सरकार के हैं। जयपुर स्टेट के वक्त में नमक ववेरी सिस्टम से निकालने की व्यवस्था थी। जोधपुर राज्य के हिस्से में भी यही व्यवस्था थी। पर इसके बाद यह अधिकार भी इसी साल्ट कम्पनी को दे दिया गया।

इसके बाद वहां एक सोडा ऐश का कारखाना लगाने के लिये एक्सपर्टो ने सिफारिश की जिसकी 55 हजार टन की क्षमता थी। इ के साथ और भी इसके बाई प्रोडक्ट थे। कार्यक्रम के अनुसार 72 तक यह कारखाना सोडा ऐश का लग जाना चाहिये था पर राजस्थान सरकार की भूल के कारण वह नहीं लगाया जा रहा है। सांभर साल्ट कम्पनी जिसका इसकी व्यवस्था में कोई लेना देना नहीं, यहां तक कि सांभर क्षेत्र में बाढ़ आ जावे तो साल्ट कम्पनी कोई सहयोग और सहायता करने के लिये कभी आगे नहीं आती। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से सुझाव है कि इस साल्ट कम्पनी के हाथ से प्रबन्ध लेकर राज्य सरकार पहले की तरह फिर इसका प्रोडक्शन अपने हाथ में ले। साल्ट कम्पनी केवल पहले की तरह वितरण का काम ही करे।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसी तरह मैं निवेदन करूं कि पहले जयपुर में 46 कारखाने गलीचा बनाने के थे। पर सरकार की गलत नीति के कारण आज केवल चार कारखाने रह गये हैं, जब कि मांग इन गलीचों की बाजार में आज पहले से बहुत अधिक बढ़ी हुई है। ये एक्सपोर्ट भी होते हैं जिससे अच्छी फौरिन करेन्सी कमाई जा सकती है। इसका कारण क्या है? सेल्स टैक्स का अधिक होना। यू. पी. में इस पर तीन पर्सेन्ट टैक्स है; मद्रास में कुछ नहीं है, राजस्थान में 12 पर्सेन्ट है। यदि राजस्थान सरकार ने ये जो चार गलीचे के कारखाने हैं, इनके लिये भी कुछ नहीं किया तो ये भी समाप्त हो जायेंगे। इसी प्रकार राजस्थान का पांच करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इस पांच करोड़ में से केवल हमें तीन प्रतिशत का लाभ होता है और हमारे जो अधिक उद्योग धन्धे हैं वे घाटे में जा रहे हैं। धौलपुर में जो कांच का कारखाना चल रहा है उसमें लाखों रुपया लगा दिया लेकिन उत्पादन क्षमता बढ़ी नही और राजस्थान सरकार का भयंकर नुकसान हो रहा है। राजस्थान की सरकार को इस उद्योग में 13 लाख का घाटा हो चुका है। इसी प्रकार गंगानगर शूगर फैक्ट्री है, इसमें चीनी में भयंकर नुकसान हो रहा है। यदि कोई लाभ हो रहा है तो वह केवल शराब की आय पर लाभ हो रहा है। 4 रु. प्रति लिटर के हिसाब से शराब उत्पादन का खर्चा आता है और 18) रु. प्रति लीटर के हिसाब से बेची जाती है। शराब अगर न बनायें और बेचें तो चीनी उद्योग में भयंकर नुकसान होने वाला है। लाखों रुपयों का प्लांट मंगा लिया चुकन्दर से चीनी बनाने का लेकिन आज दिन तक राजस्थान में चुकन्दर से खेती होती नहीं बिना सामान के लाखों रुपयों का प्लान्ट मंगा लिया। मेरा निवेदन है इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिये जो इसकी जांच करे कि बिना सामान और काम के यह प्लान्ट क्यों मंगाया गया। इस मशीन का आज कोई काम भी नहीं लिया जा रहा है।

इसी प्रकार जयपुर में हाथी दांत के खिलौने, मीनाकारी, छपाई, रंगाई, मूर्तिकला चूड़ियां आदि के बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं। इनकी तरफ राजस्थान की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज इन उद्योग धन्धों में काम करने वाले कारीगर भूखों मर रहे हैं और आज अच्छे अच्छे हाथ के कारीगर रिक्शा चला रहे हैं। यदि इनको बैंक से लोन नहीं दिया गया तो ये कारीगर काम बन्द कर देंगे और या फिर राजस्थान छोड़ कर बाहर चले जायेंगे। आज इन कारीगरों की यह हालत तो हो गई कि अपना काम छोड़ कर रिक्शे पर तो आ गये। इसलिये मेरा निवेदन है एक समिति का गठन करें जो इन उद्योगों का बाजार बनाये। जयपुर के इन छोटे छोटे उद्योग धन्धों के लिये गन्दे नाले पर मार्केट बनाना चाहिये। गन्दे नाले पर आप उन लोगों के लिये मार्केट का निर्माण कीजिये। आज जो आतिश का मार्केट है जिसको आप महाराजा साहब की सम्पत्ति बताते हैं। कोवनेन्ट के समझौते के आधार पर यह बात तय हुई थी कि जो घुड़साला है और आतिश मार्केट है वह राजस्थान सरकार को प्राप्त होगा। आप क्यों नहीं उस घुड़साला को और आतिश मार्केट को लेते हैं? आज क्यों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
महाराज साहब इन पर कब्जा किये हुए बैठे हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं राजस्थान सरकार से इनके कब्जे से ये मार्केट ले लीजिये और गन्दे नाले पर भी मार्केट बनाइये जिसका नाम आप सरदार पटेल बाजार रखने जा रहे हैं

इसी प्रकार जो छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं उनको कर्जा देकर यहां बाजार बनाया जाना चाहिये। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं उद्योग धन्धों के जो राजस्थान के कारखाने हैं वे भी आज बाहर खुल रहे हैं और हमारे कारीगर भी बाहर जा रहे हैं। वे सामान भी बाहर जाकर बेचते हैं। हमको बिक्री कर भी नहीं मिलता है और हमारे कारीगर भी बाहर जा रहे हैं इससे राजस्थान की संस्कृति और परम्परा को भी क्षति पहुंच रही है। आखिरकार यह क्यों और दूसरी बात राजस्थान के काम करने वालों को एम्पलायमेंट नहीं मिलता है, बाहर के लोगों को काम पर लगाते हैं लेकिन राजस्थान सरकार चुप है। डी. सी. एम. की फैक्ट्री, जे. के. सिन्थेटिक की फैक्ट्री, स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल की फैक्ट्री, यों तो आज तेजी से चल रही है क्योंकि राजस्थान की सरकार को चन्दा देती है और चन्दा इनके देने से नुकसान भोगना पड़ रहा है राजस्थान के लोगों को बिक्री-कर नहीं मिलता बल्कि फाइनेन्स कार्पोरेशन मदद करता है। राजस्थान सरकार बैंक से लोन दिलाने का काम करेगी इन बड़े-बड़े कारखानों को। छोटे उद्योगों की तरफ राजस्थान सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जिन उद्योगों में सरकार का कर्जा है उसमें शेयर होल्डर के रूप में आगे आना चाहिये। मैनेजमेंट में दखल होना चाहिये। इन्डस्ट्रीज के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका एक पूल बनाया जाना चाहिये, अपने आदमियों को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में नियुक्त करें। इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने बड़ी बड़ी कम्पनियों को पैसे दिला रखे हैं और गारन्टर के रूप में राजस्थान की सरकार खड़ी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसे दिला रखे हैं और उनसे ब्याज नहीं लेते हैं। पूंजीपतियों को पनपाने के लिये ब्याज नहीं लेते हैं। इस प्रकार के भयंकर आरोप राजस्थान की सरकार पर हैं। राजनैतिक लोगों को लघु उद्योगों के नाम पर नमक बनाने के कारखाने के लिये जमीन दी है, जो हमारे सदन के सम्मानीय सदस्य हैं जो नमक के व्यवसाय के बारे में भली प्रकार समझते तक नहीं हैं लेकिन उनको ओबलाइज करने के नाते, उनको नमक के धन्धे के नाम पर मुफ्त जमीन दे दी है और जब सदन में इस प्रकार की बात आयेगी तो उसके लिये नियम होगा कि पहले सदन को सूचना दी जाय। ऐसे, ऐसे सम्माननीय सदस्य गलत काम करते हैं और राजनैतिक आधारों पर किये जाते हैं।

इसी प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय स्कूटर के कारखाने की बात चली। पहले यह स्कूटर का कारखाना खोलने की बात धौलपुर के लिये तय हुई उसके बाद जोधपुर के लिए घोषणा की गई और फिर अलवर में हो गई और आज भ्रान्ति पैदा हो गई कि स्कूटर का कारखाना खुलेगा कहां। राक फास्फेट का कारखाना है झामर कोटरा में उसका

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राष्ट्रीयकरण किया जाय तो चार करोड़ प्रति वर्ष मिल सकता है। मैं समझता हूँ फिर आपको टैक्सेज लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चार करोड़ के टैक्सेज आपने हलवाइयों पर, आटो रिक्शा चालकों पर, पूड़ी और कचोरी बेचने वाले लोगों पर लगाया है, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों पर लगाया है, उन पर टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आज सांठ-गांठ के कारण राक फास्फेट का कारखाना जो झामर कोटरा में है उसको दूसरों को दे दिया गया है। अगर सरकार इसको अपने हाथ में ले तो बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसी प्रकार होटल कारपोरेशन, टूरिस्ट होटल और आपके सर्किट हाउसेज इन तीनों को एक कर दिया जायगा ऐसा सुखाड़िया साहब ने कहा था। मेरा निवेदन है इनके बारे में जांच समिति बैठाई जाय। उस समय के अनुमान के हिसाब से इन तीनों को एक करने से 70 हजार का लाभ होगा। एस्टब्लिशमेंट पर कम खर्च होगा लेकिन राज्य सरकार नहीं मानी। अब भी यह टूरिस्ट होटल को एक कर देना चाहिये। इससे प्रशासनिक व्यय कम होगा और आय बढ़ेगी लेकिन होटल कारपोरेशन के अध्यक्ष को बनाना है वह हैं मेरे भाई श्री रामजी लाल काक। बड़े व एक्सपर्ट हैं। पंजाब नेशनल बैंक के डाइरेक्टर हैं, कोटा इन्स्ट्रूमेन्टेशन के चेयरमेन, होटल कोरपोरेशन के जनरल मैनेजर, टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य, रेल्वे एम्पलाइज समिति के वाइस चेयरमैन, गंगानगर शूगर फैक्टरी के डायरेक्टर और आल इंडिया होटल कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन—आखिर ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं बनाये। फिर जो ऐसोसियेशन बनी है चार आदमियों की चमचागिरी करने वालों की उसके भी चेयरमैन हैं इसलिये इनको बनाये रखना है। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति श्री राम जी काक को ऐसोसियेशन के अध्यक्ष बनाये रखना है। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां जिन्होंने घोषणा की कि भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, गरीबी मिटा कर रहूँगा, गरीबी और अमीरी के अन्तर को मिटा दूंगा लेकिन इंदिरा गान्धी काक साहब के घर चली गई

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री राजेन्द्र भारतीया : माननीय सदस्य इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सदन में बहुत आपत्तिजनक बात है।

श्री दिनेशराय डांगी : ··(अश्रव्य)··

(श्री डांगी व श्री भार्गव साथ-साथ बोलते रहे)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय मैं केवल एक मिनट का समय और लेना चाहता हूँ ···

श्री दिनेशराय डांगी : प्रधान मंत्री के लिये ऐसे शब्द वापिस करें ···

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : भण्डार निगम के बारे में ···

(मा. सदस्यों के साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य भण्डार निगम ने लाभ तो किया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है केवल आधे मिनट का समय चाहिए।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य भण्डार निगम को लाभ हो रहा है लेकिन भारत सरकार भी अपने भण्डार निगम उनके साथ ही कायम करना चाहती है। इस बारे में मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां जहां हमारे भण्डार निगम हैं वहां यदि भारत सरकार ने अपने भण्डार निगम कायम कर दिये तो आज जो लाभ हमको राज्य के भण्डार निगम में है उसमें हमको भयंकर नुकसान होगा।

अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करता हुआ कि राजस्थान सरकार मेरी सब बातों पर विचार करे और जो मैंने बातें रखी हैं वे सारी बातें राजस्थान के हित में कहीं हैं, राजस्थान की जनता के हित में कही हैं, यहां की गरीब जनता के हित में कही हैं जिस राजस्थान की जनता के ऊपर वित्त मंत्री जो ने भयंकर टैक्स लगा दिये हैं यदि आप मेरे सुझावों को मानेंगे तो इससे राज्य सरकार की आमदनी बढ़ेगी और जो वित्त मंत्रीजी ने जनता के ऊपर भयंकर टैक्स लगाये हैं और जिस जनता को उन्होंने चकनाचूर करके रख दिया है, एक टैक्स बाकी था जो कि पंडित जवाहर लाल जी नेहरू के वक्त में मृत्युकर था तो मृत्यु टैक्स भी लगा दिया तो फिर आज किस पर टैक्स बाकी रह गया? केवल हवा खाने पर टैक्स रह गया है तो आप यह भी लगा दो कि रामनिवास बाग में जो भी जायेगा उसको 2 रुपये प्रति घन्टे के हिसाब से हवा कर देना पड़ेगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि जो भी सुझाव मैंने दिये हैं उन सारे सुझावों पर विचार किया जायेगा और जो वित्त मंत्रीजी ने जनता पर भयंकर टैक्स लगाये हैं उनको वापिस लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक मिनट का समय ज्यादा लिया उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगीकरण की बात के लिए राज्य में उद्योगों की क्या स्थिति है इस संबंध में बहस चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं और कल भी जैसा मैंने निवेदन किया था कि वास्तव में हमारी सरकार जैसे जगह जगह पर बीड़ी वाले घूमते हैं कि बीड़ी नम्बर 6 ले लो वैसे ही हमारी सरकार कहती है कि आइये और राजस्थान में उद्योग खोलिये। इसके लिए हमारी सरकार रियायतें देने की घोषणायें करती है कि जमीन में रियायत देंगे, कर्जे देंगे, बिजली में रियायत देंगे, ब्याज में रियायत देंगे, टैक्सेज में रियायत देंगे और आप आश्चर्य करेंगे कि उद्योग लगाने वाले राजस्थान के हैं और वे राजस्थान के बाहर बैठे हैं। उद्योग लगाने के लिए जो मैटीरियल चाहिए, उद्योग लगाने के लिए जो कच्चा

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

माल चाहिए वह राजस्थान में है फिर भी उद्योगपति राजस्थान में उद्योग की स्थापना के लिये नहीं आ रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि इतनी रियायतें देने के उपरान्त भी उद्योगपति राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिर इसमें राज क्या है ? जब हम इसको देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसमें राज यह है कि सरकार की घोषणाओं के बारे में उद्योगपति जानते हैं। शुरू शुरू में तो सरकार की घोषणाओं के धोखे में कुछ उद्योगपति आये और जब उन्होंने देखा कि राजस्थान की सरकार केवल घोषणायें करती है और उन घोषणाओं पर अमल नहीं करती है तो आने का विचार छोड बैठे हैं। उद्योगपति चाहते हैं कि वे राजस्थान में उद्योग लगायें पर सरकार के अधिकारी-वर्ग उनके साथ सहयोग नहीं करते और जब अधिकारीवर्ग सहयोग नहीं करते तो उनको सफलता नहीं मिलती और जो उद्योगपति शुरू में धोखे में आये वह तो आ गये लेकिन अब वे धोखे में नहीं आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि यदि आप राजस्थान का उद्योगीकरण करना चाहते हैं तो आप अपने अधिकारियों का दृष्टिकोण बदलिये। अधिकारियों का दृष्टिकोण बदल जायेगा तो उद्योग अपने आप राज्यों में पनपेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैसा कल भी निवेदन कर रहा था कि उद्योगों की स्थिति यह है कि उद्योग स्थापित करने के बारे में राजनैतिक दृष्टिकोण रखा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे इलाके कोटपूतली में एक सर्वे हुआ और सर्वे इस बात का हुआ कि वहां पर लाइम स्टोन काफी तादाद में मिलता है। वहां पर लाइम स्टोन के डिपोजिट्स काफी हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इस सर्वे के बाद यह भी तय हो गया था कि यहां पर सीमेन्ट फैक्टरी स्थापित हो सकती है और उपाध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय ने इसी सदन में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की कि कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्टरी स्थापित होगी लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि आज तक उस सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना नहीं हुई और यहां तक ही नहीं हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुखाडिया जी ने कोटपूतली में सन् 65 में पंच और सरपंच सम्मेलन में घोषणा की कि यहां पर शीघ्र ही सीमेन्ट फैक्टरी स्थापित की जा रही है और इसके लिए लाइसेन्स दिया जा रहा है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा आखिर सरकार की घोषणा है और सरकार की घोषणा की हालत यह है कि सात साल तक भी सीमेन्ट फैक्टरी का पता नहीं। क्या कारण है इसका ? इसका कारण मैंने जानने का प्रयास किया। एक तरफ सरकार कहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, हम राजस्थान के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और दूसरी तरफ लाइम स्टोन होते हुए, फैसेलटीज होते हुए, बिजली होते हुए, पानी होते हुए नेशनल हाइवे पर होते हुए भी उद्योग क्यों नहीं लग रहा है। इसका भी उपाध्यक्ष महोदय राज है। राज उसका यह है कि लीज दी हुई है। और वह लीज एक नेता को दी हुई है और वह भी सत्तारूढ दल के नेता को और वे अपने प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय वहां पर

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

चाहे विकास न हो, चाहे जनता को न पाला जाय लेकिन एक आदमी पलना चाहिए, जनता चाहे दुःख उठा ले, जनता चाहे परेशानी उठा ले लेकिन उसकी खुशहाली होनी चाहिए। सरकार उसके पालने का काम करती है, एक व्यक्ति को पालने का काम करती है और जनता को पालने का काम नहीं करती है।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे उद्योग धंधों के बारे में कहूंगा। लाइम स्टोन जहां काफी है, अच्छी क्वालिटी का है वहां पर चाइना क्ले भी मिलती है; यदि सरकार सर्वे कराये, हालांकि इस बारे में सर्वे नहीं हुआ है लेकिन अगर सरकार सर्वे कराये तो पाटरीज का उद्योग लगाया जा सकता है, इनसुलेटर्स का उद्योग लगाया जा सकता है जिसकी कि आजकल बहुत तादाद में मांग है। वहां पर इन्सुलेटर्स बनवा सकते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की तरफ से शीघ्र ही सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि वहां पर जो चीज मिलती है उसका उपयोग किया जा सके और उद्योग भी पनपे, लोगों को रोजगार भी मिले।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, जो उद्योग धंधे सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि जो उद्योग धंधे सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं उनमें काफी नुकसान है और वे बड़े नुकसान में चल रहे हैं। ये उद्योग धंधे जो नुकसान में चल रहे हैं उसका क्या कारण है?

मैं आशा करता था कि हमारे वित्त मंत्री जी बजट के समय में बतायेंगे कि जो सरकार द्वारा उद्योग धंधे चलाये जा रहे हैं उनमें कौन कौन से उद्योग धंधे ऐसे हैं कि जिनमें नुकसान हो रहा है। और कौन से ऐसे उद्योग धंधे हैं कि जिनमें फायदा हो रहा है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया और नहीं बताने का कारण है। यदि यह बताया जाता तो इसमें सरकार की तस्वीर सामने आने वाली थी। जितने भी उद्योग धन्धे ले लें उनमें अधिकतर में सरकार को घाटा है और जो निजी तौर से उद्योग धन्धे चल रहे हैं वे फायदे में चल रहे हैं। आप यह देखें कि जो आपके उद्योग चल रहे हैं उनमें टैक्स की कितनी आमदनी है और जो निजी धन्धे चल रहे हैं उनमें टैक्स की आमदनी कितनी है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा और चुनौती के साथ कहना चाहूंगा कि जो निजी उद्योग हैं उनसे आपके टैक्स की आमदनी अधिक है। आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, बिजली आपके पास है, जमीन आप अच्छी से अच्छी ले सकते हैं, आपके पास अच्छे से अच्छे काम करने वाले हैं, सारी सुविधायें होते हुए भी घाटा क्यों? आपने रोडवेज को अपने हाथ में लिया और रोडवेज घाटे में चल रही है। कम्पीटीशन में यदि आये तो आप प्राइवेट ओनर्स की पोजीशन देखिये वे कितना कमाते हैं और आपकी बसों की हालत यह है कि जयपुर से चलीं और आमेर भी पहुंच जाये तो गनीमत है। तो यह आपकी हालत है और बस के खराब होने पर जो वहां पर चर्चा होती है तो लोग सरकार को कोसते हैं वह बात सिविल लाइन्स तक तो नहीं पहुंचती। हां, चांदी की टकसाल तक तो पहुंचती है।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में उद्योग धंधे स्थापित हों तो जो हम सहूलियतें देने की घोषणा करते हैं वे सहूलियतें उनको जरूर दें। मैं तो कल भी कह रहा था कि आप केवल घोषणायें करते हैं केवल नारे देते हैं तो इन घोषणाओं और नारों से काम चलने वाला नहीं है। आपके अधिकारी लोग जो आप नीतियां बनाते हैं जो आप घोषणायें करते हैं उनको अमली जामा नहीं पहनाते हैं और जब अमली जामा नहीं पहनाया जाता तो जनता को राहत नहीं पहुंचती। तो जो आप घोषणायें करते हैं उन घोषणाओं का क्रियान्वयन भी ठीक तरह से होना चाहिए। रूल्स की कम्पलायेन्स होनी चाहिए और आपके आफिसर्स को उसी दृष्टिकोण से काम करना चाहिए और उनका पूरा सहयोग होना चाहिए। आपके अधिकारी उद्योगपतियों को सुविधायें दे सकें इस प्रकार का उनका दृष्टिकोण होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कारपोरेशन के बारे में कह रहा था कि आप जो कारपोरेशन से लोन देते हैं वह प्रभावशाली लोग लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन उन्होंने उद्योग धन्धे शुरू ही नहीं किये। तो इस सारी स्थिति पर आप गौर करें तो मैं समझता हूं कि उद्योगों के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। वैसे उद्योगों के सम्बन्ध में हमारे राज्य में जितनी चीजें होनी चाहिए वे सब हमारे राज्य में मौजूद हैं, बिजली हमारे यहां पर है उसकी भी समस्या नहीं है, कच्चा माल भी हमारे राज्य में बहुत मिलता है, पानी भी है फिर हमारे यहां कारखाने स्थापित नहीं हों और इतनी सहूलियतें देने की घोषणा करते हैं और सहयोग देना चाहते हैं और सरकार की मन्शा भी बताते हैं कि वह उद्योगों को सहूलियत देना चाहती है और राजस्थान के लोग उद्योग में माने जाते हैं कि जहां जहां भी उद्योग धन्धे पनप रहे हैं उसमें सब हमारे राजस्थानी लोग हैं और उसके बावजूद हमारे ही राज्य के लोग दूसरी जगह उद्योग खोलकर बैठे हुए हैं और कमा रहे हैं और फिर हमारे राज्य में उद्योग धन्धे स्थापित नहीं हों यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी इसकी गहराई में जाते और इसकी जांच कराते कि क्या कारण है कि हम उद्योगपतियों को निमंत्रण दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको दावतें खिला रहे हैं फिर भी वे नहीं आना चाहते हैं? आखिर इसका कारण क्या है? कारण तो अवश्य होना चाहिए और कारण यही है कि इसमें कुछ कमी है और कमी हमारे प्रशासन में है, कमी हमारे प्रोसीजर में है, कमी है कि जो हिदायतें दी जाती हैं उनका पालन नहीं होता।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया। मैं यह नहीं चाहता कि आप मुझे बैठाने की कोशिश करें। मैं स्वयं ही बैठना चाहूंगा। धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

अब सरकार की तरफ से उत्तर होगा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लीजिए।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राज्य में बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बेरोजगारी दूर की जाय और हमारे राज्य के नियोजन विभाग की ऐसी अवस्था है कि वह बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकती। मैं राज्य की जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। जनवरी 71 से दिसम्बर 71 तक राजस्थान के विभिन्न नियोजन कार्यालयों को नाम लिखाने वालों की कुल संख्या 1,70,692 है और रिक्त स्थानों की संख्या 25,706 बताई गई है और उसमें से 17,663 को नियुक्त किया गया है। 1,39,826 को रोजगार नहीं मिला। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सौ में से 10 काम पर लगे और 90 व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिला। यह तो है कुल मिला कर आंकड़ों की संख्या। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अप्रेल 71 मे भारत सरकार ने यह निर्देश दिया था कि गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों के केन्द्रों की व्यवस्था की जावे, इस प्रकार के आदेश दिए थे लेकिन राज्य की तरफ से व्यवस्था नहीं हुई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अव्यवस्था रहती है कि जिला नियोजन कार्यालयों से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को समय पर सूचना नहीं मिलती है और आने जाने का खर्चा भी उन्हें करना पड़ता है। समय पर इण्टरव्यू में भी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि समय पर सूचना नहीं मिलती जिससे वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने यह आदेश दिया था कि हर पंचायत समिति के अन्दर ग्रामीण नियोजन केन्द्र की व्यवस्था की जावे ताकि देहातों में रहने वाले व्यक्ति हैं, बेरोजगार हैं उनको धन्धा मिल सके। इसमें सरकार का यह नियम था कि हर पंचायत समिति पर एक ग्रामीण केन्द्र खोला जाएगा। उसमें लगभग आठ हजार का खर्चा आता है। अगर यह व्यवस्था हो जाती तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार हैं उन्हें कुछ धन्धा मिल जाता। लेकिन नियोजन विभाग की तरफ से व्यवस्था नहीं हुई। मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां होता क्या है कि जो निरीक्षण अधिकारी हैं वे भी कम रखे हैं इससे 26 जिलों में निरीक्षण नहीं होता है। मैं उदाहरण के तौर पर, आपके द्वारा सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि गत वर्ष बांसवाड़ा के एक आदिवासी लड़के का, जो पहले से स्कूल में पार्ट-टाइम लगा हुआ था, दो साल से काम कर रहा था, नाम वहां से भेजा तो नियोजन अधिकारी ने मनमानी करके जो पीछे वाले थे उनके नाम को इण्टरव्यू के लिए भेज दिया और इस लड़के, जिसका नाम नानालाल है, को नहीं बुलाया गया। इसकी शिकायत मैंने डायरेक्टर साहब को दी। डायरेक्टर साहब ने 26 जिलों में एक आदेश निकाला लेकिन इस आदेश की भी पालना नहीं हो रही है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री नाथूराम)

द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अव्यवस्था चल रही है उसकी सरकार द्वारा ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन, बेरोजगार हैं उनकी समस्या कभी हल नहीं होगी।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, समय पर निरीक्षण नहीं होता। मैं आपके द्वारा सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि भरतपुर नियोजन कार्यालय की जो विगत फरवरी में जांच हुई भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की और उसको रिपोर्ट भी सरकार को दे दी लेकिन रिपोर्ट को कोई पालना अभी तक नहीं हुई।

राज्य में चालू रजिस्टर की जो स्थिति है उसके बारे में भी सरकार को बता देना चाहता हूं कि राज्य के नियोजन कार्यालय में चालू रजिस्टर में 1 लाख 14 हजार प्रार्थीगणों के नाम दर्ज हैं। मैट्रिक के ऊपर के 65 हजार, ग्रामीण क्षेत्रों के 60 हजार, भूतपूर्व सैनिक दो हजार, अनुसूचित जाति के 18 हजार और अनुसूचित जन जाति के पांच हजार। इसी प्रकार गत तीन वर्षों में कोई पांच लाख नाम लिखवाये हैं जिसमें से 45 हजार को काम मिला है एक लाख 40 हजार काम की प्रतीक्षा में थे। इस प्रकार तीन वर्षों में 3 लाख 18 हजार निराश हुए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही हालत रहती है तो दिन-ब-दिन यह बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाएगी। एक तरफ तो यह भी कहा जाता है कि पढ़े लिखे आदमी नहीं मिलते। आज सैकडों लड़के मैट्रिक, हायर सेकेण्ड्री, बी. ए. पास घूम रहे हैं। मैं आपको इनकी संख्या भी बता देता हूं।

मैट्रिक 65 हजार हैं, हायर सेकन्ड्री 53 हजार हैं, बी. ए. दस हजार, एम. ए. ढाई हजार। इस तरह से हजारों पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। दो महीने बाद में लगभग डेढ़ लाख हमारी स्कूलों से और कालेजों से निकलेंगे। इस तरह से लगभग दो लाख के करीब पठित बेरोजगारों की संख्या और बढ़ जाएगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि नियोजन और प्रशिक्षण को मिला कर एक विभाग बना कर पुनर्गठन करने का 70 में निर्णय लिया था लेकिन अभी तक उस आर्डर का पालन नहीं किया गया। आज राजस्थान सरकार, भारत सरकार आदेश देती है उसकी पालना नहीं होती है। इस तरह से हमारी बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार जो आदेश देती है उसकी पालना करवाई जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं कुछ उद्योगों के बारे में भी निवेदन कर देना चाहता हूं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लाखों की तादाद में गरीब, आदिवासी रहते हैं लेकिन वहां कोई छोटा मोटा धन्धा नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें कुटीर उद्योग की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को धन्धा मिल सके और बेरोजगारी दूर हो सके। डूंगरपुर जिले में मांडल को पास में फ्लोराइट

(श्री नाथूराम)

की एक खदान है। उस खदान पर कार्य तो शुरू कर दिया गया लेकिन वहां प्लाण्ट नहीं लगने से लोगों को काम नहीं मिल सका। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांडल की पाल में फ्लोराइट की खदान है, उस पर प्लाण्ट लगाना चाहिए ताकि वहां हजारों लोगों को काम पर लगाया जा सके। दो वर्षों में जहां तीन हजार मजदूर काम करते थे वहां आज सिर्फ दो हजार मजदूर हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वहां पर व्यवस्था ठीक हो जाय तो हजारों लोगों को काम मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। इसी तरह से और भी कोई छोटे मोटे उद्योग हैं लेकिन सरकार की तरफ से समय पर उनको धन्धा नहीं मिलता है। बांसवाड़ा में इण्डस्ट्रियल एरिया तो घोषित कर दिया है लेकिन सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं उनको सहायता दे और इन हजारों बेरोजगार लोगों को धन्धा देने की कोशिश करे। यही मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रम मंत्रीजी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो मिनिट निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम आपके दल की ओर से नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने इनसे (मुख्य सचेतक से) पूछ लिया है।

श्री भंवरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया है तो मुझे सूचना दीजिए।

श्री भंवरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री श्रीराम गोटेवाला की ओर मुखापेक्ष) आपको चीफ व्हिप महोदय ने कह दिया है तो आप मुझे नाम की सूचना दीजिए, प्रोसीजर को सिम्प्लीफाई कीजिए।

श्री देवीलाल : हमारा कटौती प्रस्ताव है तो हमें बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अधिकार तो है लेकिन आपका नाम तो मेरे पास नहीं है।

श्री भंवरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बोल लें।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर उद्योगों पर चर्चा हो रही है तो मैं भी झुंझुनू जिले के बारे में कहना चाहता हूं। झुंझुनू जिले में पिछले बीस वर्षों में किसी प्रकार की इण्डस्ट्रीज या छोटे मोटे उद्योग लगाने के लिए गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। तो झुंझुनू जिले के लिये गवर्नमेन्ट को हर क्षेत्र के अन्दर, योजनाओं के अन्दर प्राथमिकता देनी चाहिये। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि झुंझुनू जिला सैनिकों की दृष्टि से राजस्थान में अग्रसर है परन्तु

(श्री भंवरसिंह)
वहां पर सैनिकों की विधवाएं काफी गरीब हैं। उनकी आजीविका के लिये किसी प्रकार की कोई इण्डस्ट्रीज, घरेलू उद्योग धन्धे स्थापित किये जायें जिनसे कि उनको रोजगार मिल सकें और वे अपनी आजीविका कमा सकें। नवलगढ़ में सैनिकों के निर्भरण के लिए एक कम्बल बनाने का कारखाना लगाया गया था। वह आज बन्द पड़ा है। गवर्नमेन्ट का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। इसमें गवर्नमेन्ट का लाखों रुपया लगा हुआ है। आज तक गवर्नमेन्ट ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऊन वर्गीकरण का सेन्टर वहां पर स्थापित किया जाना चाहिये, यह वहां पर स्थापित किया भी गया था, वह बन्द हो गया है सरक किसी तरह से इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार नवलगढ़ में कम्बल का कारखाना जल्दी से जल्दी वापिस शुरू करवाएं और आशा है ऊन ट्रेनिंग सेन्टर को चालू करेगी और नवलगढ़ की इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाये ताकि वहां का जनता को राहत मिल सके। वहां पर इन्डस्ट्रीज स्थापित की जानी चाहिये। वहां की जनता पावरलूम के धंधे को चलाना चाहती है। इसके लिये लाइसेन्स जारी किये जाने चाहिये और नवलगढ़ को इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाना चाहिये। धन्यवाद।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री श्रीराम गोटेवाला !

श्री श्रीराम **गोटेवाला** (किशनपोल बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान में जो उद्योगों की स्थिति है, तथा उद्योगों के अन्दर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान में उद्योगों का जिस ढंग से विस्तार होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है। कानून कायदे इस प्रकार के हैं कि आज कोई आदमी कहीं से आकर यहां पर उद्योग स्थापि। करने की बात सोचता है वह परेशान होकर वापिस गांव चला जाता है या फिर जिस प्रदेश से आता है वहां पर वापिस चला जाता है। उसके लिये उसको बार बार परेशान होना पड़ता है। मेरा यह निवेदन है कि जिस समय राजस्थान के विकास का काम चल रहा है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि यहां के उद्योग धन्धों का विस्तार किया जाये, इस तरह की योजनाएं और उद्योग धन्धे स्थापित किये जायें ताकि लोगों को रोजगार मिले। 10 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से हमारे यहां पर पिछड़ा घोषित किया गया है। ये जिले उद्योगों के सम्बन्ध में पिछड़े हुए हैं। इनमें जोधपुर और अलवर के बारे में कहा गया है कि वहां पर जो पूंजी लगायेंगे उनको दस प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर और जोधपुर को जो ये सहूलियतें दी गई हैं, यही सहूलियतें राजस्थान के अन्य जिलों के लिये, बाकी के जो 8 जिले हैं उनको भी दी जानी चाहिये। मेरा यह निश्चित मत है कि आज जो अलवर में स्कूटर का

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कारखाने का लाइसेन्स हमें मिला है वह 69-70 के अन्दर मिल गया था और आज तक वहां पर इस दिशा में कार्यवाही नहीं हुई है। यही बात जोधपुर की है। वहां पर ट्रैक्टर का कारखाना खोलने की बात कही गई है परन्तु वह अभी चालू नहीं हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको बदला जाये। आज ये लाइसेन्स हमको काफी दिक्कतों के बाद प्राप्त हुए हैं। इनके बारे में इस प्रकार की उपेक्षा का वातावरण नहीं रखना चाहिये। यहां की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये, हमारे नवयुवकों को उद्योग धन्धों में खपाने के लिये हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिये। वरना बेरोजगारी की समस्या किस तरह से हल होगी। यहां पर कई प्रकार की काटेज इण्डस्ट्रीज हैं, कई छोटे-मोटे उद्योग धन्धे हैं वे बिना किसी प्रकार की सहायता के अभाव में समाप्त होती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकारी प्रक्रिया इस किस्म की बनी हुई है कि उससे आदमी परेशान हो जाता है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन के लिये उद्योग विभाग में जाते हैं तो वहां के कर्मचारी उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस ढंग के साथ उनके कागजों को निकालते हैं, उससे मैं यह नहीं मानता हूं कि कोई आदमी राजस्थान में उद्योग स्थापित करने की दिशा में अग्रसर होगा। अभी उद्योगों को कर्जा मिलने या अन्य प्रकार की सहायता मिलने की बात तो दूर रही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में एक इस तरह का वातावरण बना हुआ है, एक ऐसी ऐजेन्सी बनी हुई है, जिनके मार्फत यदि सरकार को एप्रोच किया जाये तो उनको ही इजाजत मिल पाती है। औरों को किसी प्रकार का अवसर नहीं मिलता है। मैं सरकार से उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इन सारी चीजों को देखें कि कितनी दर्ख्वास्तें अब तक प्राप्त हुई हैं और कब उनका निपटारा किया गया है? उपाध्यक्षजी मैं गुजरात गया था और वहां पर मैंने बात की और यह देखा है कि जिस किसी ने प्रार्थना-पत्र दिया उसे 15 दिन के भीतर-भीतर उसके प्रार्थना पत्र की स्वीकृति मिल जाती है और यह भी बता दिया जाता है कि उनके प्रार्थना-पत्र में यह दिक्कत है। इन्स्पेक्टर स्वयं जाता है, उसका एक अधिकारी जाता है और उनकी सारी दिक्कतों को बैठकर दूर कर जाता है। परन्तु यहां पर तो एक महीने के अन्दर एक क्वेरी कर दी जाती है। उसको पूरा करने के बाद दूसरे महीने दूसरी क्वेरी कर दी जाती है। इस तरह 6 महीनों तक वह चक्कर खाता रहता है और बिना भेंट पूजा के उद्योग विभाग उसका काम नहीं करता है। इस प्रकार जो उद्योग धंधे लगाने के लिये यहां पर आते हैं वे बर्बाद होकर यहां से चले जाते हैं। मैं यह मांग करता हूं कि राजस्थान के अन्दर जितनी इण्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं उनकी इन्क्वायरी की जाये। उपाध्यक्षजी, कुछ इण्डस्ट्रीज तो सिर्फ कोटा लेने के लिये ही बनाई गई हैं और वे कोटे को ब्लेक में बेच देती हैं। उनके लिए एक शर्त यह है कि उनकी बिजली की खपत कितनी होती है। कोटा प्राप्त करने के लिये वे बिजली का उपयोग करते हैं, पंखे चलाये जाते हैं, मोटरें चलाई जाती हैं परन्तु प्रोडक्शन किसी प्रकार का नहीं होता है। मेरा निवेदन करना यह

Page No 114

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

है कि एक सर्किल बना हुआ है और यह सर्किल उद्योग धन्धे तक ही सीमित है। इसलिये इन सारी व्यवस्थाओं को आप को बदलना चाहिये। आज कई प्रकार के प्रार्थना पत्र पड़े हुये हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो यह अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वे स्वयं उनके पास जाकर उन कमियों को दूर करावें।

हम राजस्थान का औद्योगीकरण करना चाहते हैं। तो इस अफसरशाही के वातावरण को बदलना होगा। अगर इसी तरह का वातावरण रहा तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा इससे राजस्थान की बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं। जितने भी बड़े उद्योग हैं उनके अन्दर उन लोगों को लिया जाता है जो सरकारी नौकरी से 55 साल के बाद रिटायर होते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको ये नौकरियां इन सेठों की राज्यकाल की सर्विस के दौरान की गई खुशामद के कारण ही मिल पाती हैं। इससे हमारे नवयुवकों का हक मारा जाता है। हमें इन ये लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करनी है। इसलिये सरकार को इस दिशा में भी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो बड़े उद्योग धन्धे लगे उनमें सही लोगों को ही रोजगार मिले। मैं यहां फिर निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण करना चाहिये। आज कितने ही प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रेशन के लिये पड़े हुये हैं, मैं यहां पर खुला आरोप लगाता हूं कि जब तक 200/- रुपये नहीं लगाये जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। छोटे मोटे कर्जे के सम्बन्ध की बात तो दूर रही। जिस प्रक्रिया की बात मैं कह रहा हूं वह जटिल है। इसके कारण लोगों को 6—6 महीने तक चक्कर खाने पड़ते हैं, और इसके कारण फैक्टरियों की तालाबंदी हो गयी है। जो बड़े बड़े उद्योग धन्धे हैं वे तो अपनी व्यवस्था कर लेते है। क्योंकि उनके ऐजेन्ट रहते हैं और इस सरकार तक उनकी एप्रोच रहती है। मंत्रियों और अधिकारियों तक उनकी एप्रोच रहती हैं और उनकी व्यवस्था हो जाती है। परन्तु उनके अलावा भी कई छोटे मोटे उद्योग धन्धे हैं, हस्तकला और हाथ से काम करने वालों के उद्योग धन्धे हैं, जिनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में मोहल्ले इन उद्योग धन्धों का काम करने वाले हैं उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन उद्योग विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर मूर्तियों का धन्धा है, यहां पर सांगानेरी प्रिन्ट का धन्धा है, यहां पर और कई ऐसे ही हाथ के इस प्रकार के कई धन्धे है जिनसे हजारों आदमी अपना उदर-पोषण करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उद्योग विभाग को, जिस ढंग से आज सारा वातावरण बदला है, और जिस ढंग से बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, स्वयं को जाकर उनसे सम्पर्क करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर ठठेरों का मोहल्ला है और घरों के सारे लोग उसका काम करते हैं पीतल के बरतनों का, लेकिन जब कोटे का सवाल

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आता है तो बड़े बड़े लोग सारा कोटा ले जाते हैं और उनको उनसे ब्लेक में खरीदना पड़ता है। हाथ से काम करने वाला आदमी मशीन के मुकाबले में नहीं ठहर सकता है। न तो उनको संरक्षण मिलता है और न कोटा मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सारी प्रक्रिया को बदलना चाहिए। जब हम समाजवाद कायम करना चाहते हैं और हजारों लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, और रोजगार की सुविधाओं को फैलाना बहुत आवश्यक है, तो उसके सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करूंगा कि स्वयं डिपार्टमेन्ट इन बातों को देखकर कार्यक्रम फिक्स करे कि इतने समय के अन्दर इतने उद्योग धन्धे कायम करने हैं और यहां पर जो छोटे-मोटे उद्योग धन्धे हैं उनके बारे में यह जरूरी कार्यवाही करना है।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी इस बजट के साधारण वाद-विवाद के समय जोधपुर से आने वाले माननीय गहलोत साहब बता रहे थे कि जापान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। जापान को जयपुर जिले में एक मोरीजा गांव है वहां से आयरन ओर जाता है। जापान आयरन ओर और दूसरी जगह से भी मंगाता है और उसके बाद में लोहे में और स्टील में जापान दुनिया भर से कम्पीटिशन करता है। मेरी यह मांग है कि मोरीजा गांव में एक मिनी स्टील प्लान्ट लगाया जाय तो निश्चित रूप से कम से कम 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वक्त हो सकता है कि किसी बड़े आदमी के हाथ में माइन्स दे दी गई हो या और कोई एग्रीमेन्ट हो, लेकिन मैं मांग करता हूं कि उस एग्रीमेन्ट को समाप्त करके मिनी स्टील प्लान्ट वहां पर लगाया जाय, क्योंकि हजारों आदमियों के रोजगार का सवाल है। यहां से आयरन ओर ले जाकर जिसमें लोग कहते हैं कि 65 पर्सेन्ट आयरन ओर है उससे जापान कमाता है। दुनिया भर में जापान सबसे ऊंचा देश उद्योग-धन्धों के मामले में है। यहां पर मोरीजा के अन्दर एक मिनी स्टील प्लान्ट लगाया जाय तो निश्चित रूप से हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा और हमारी जो आयरन एण्ड स्टील की समस्या है उस समस्या को कुछ हल करने में सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो इस उद्योग से सम्बन्धित हों उनसे बातचीत करके इसके बारे में प्रयास करना चाहिए चाहे वह राजकीय स्तर पर हो।

उद्योगों के सम्बन्ध में हमारे देश की लोक सभा में राजस्थान के संसद सदस्य ने खाद कारखाने के बारे में जानकारी चाही थी। जिस प्रकार से हमने काफी प्रयत्न किये फिर भी हम तेल शोधक कारखाना नहीं लगवा सके तो मेरा यह अनुरोध करना है कि माननीय मंत्रीजी को सजग रहना चाहिए कि हमारे यहां पर खाद कारखाने की बात हो। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस का जवाब देते हुए माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था। मैं अनुरोध करता हूं कि सीकर जिले के विधायकों ने भी मांग की है कि वहां पर पाइराइट की खान निकली है और पानी का वहां पर जल भंडार है। थोड़ी सी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दिक्कत भी हो तो पिछली दफा जो बाढ़ आई थी सलेदीपुरा गांव में तो गांव के आदमियों के सामने वहां पर मंत्रीजी ने घोषणा की थी बान्ध बनवाने की। अगर वह बान्ध बन जाता है तो निश्चित रूप से वह समस्या भी हल हो जाती है तो राजस्थान में खाद के कारखाने की मांग को पूरा करना है। पाइराइट हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है। उसके साथ में पानी की व्यवस्था हो जाने से वहां पर खाद का कारखाना लगाया जाना चाहिए।

राजस्थान के औद्योगीकरण के लिए जिस ढंग से मैंने निवेदन किया कि मोरीजा के अन्दर मिनी स्टील प्लान लगाया जाय और सलेदीपुर में खाद का कारखाना खोला जाय। मैं यही निवेदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि उद्योगों की प्रोग्रेस के लिए जिस प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है उसमें सुधार किया जाय।

श्री मुन्शीलाल : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट।

श्री मुन्शीलाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के औद्योगीकरण और उद्योगों के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान का काफी हिस्सा रेगिस्तानी है जहां कि लोग आर्थिक संकट से दबे हुए हैं। वहां के लिए जरूरी है कि वहां पर छोटे छोटे उद्योग-धन्धे पनपाये जायं। जहां पर गांवों को अब इलेक्ट्रिफाई किया जा रहा है वहां पर किसानों के पास जो सरप्लस लेबर बचता उनके लिए रूरल इन्डस्ट्रियेलाइजेशन की बात की जानी चाहिए। टाउन इन्डस्ट्रीज खोली जानी चाहिए और बड़े बड़े उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मैंने बजट को जब पढ़ा तो उससे पता लगता है कि 50-50 लाख की पूंजी के जो प्राइवेट एन्टरप्राइजेज हैं उनको दिये जाने का प्रावधान है जिसमें 10 पर्सेन्ट सबसिडी का भी मामला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि समाजवादी सरकार यदि उन उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण करके अपने हाथ में ले ले जिससे कि पूंजीपति लोग जो गरीबों का एक्स्प्लायटेशन करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं और शोषण करके एक तरह से उनके चंगुल में फंसा देना चाहते हैं। तो छोटे छोटे उद्योग-धन्धे जैसे कि हैण्डलूम इण्डस्ट्री है वह राजस्थान में बहुत अच्छी तरह चल सकती है उस हैण्डलूम इण्डस्ट्री को अच्छी तरह से पनपाया जाय और हैण्डलूम इण्डस्ट्री का माल बाहर विदेशों में भेजा जाय तो मैं यह समझता हूं कि देश को फारेन एक्सचेन्ज भी मिलेगा। इस तरह के कई उद्योग-धन्धे राजस्थान में हो सकते हैं। कुटीर धन्धे और छोटे धन्धों की शुरुआत की जाय तो राजस्थान को बड़ा फायदा मिल सकता है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे उद्योग धन्धों में चर्म उद्योग भी है। बाटा कम्पनी का मालिक एक कारखाना लगाता है तो उसको करोड़ों रुपये मिल सकते हैं बैंकों से कर्जा, लेकिन चर्म उद्योग में लगे हुए गरीब आदमियों को बैंकों से रुपया नहीं मिल सकता है। इसी तरह से बुनकरों को रुपया नहीं मिलता है। कारीगर जो फर्नीचर बनाने में लगे हुए हैं

(श्री मुंशीलाल)

उनको बैंकों से रुपया नहीं मिल सकता है। छोटे छोटे उद्योग-धन्धे हमारी आर्थिक व्यवस्था की नींव थे और गांधीजी ने भी छोटे छोटे उद्योग-धन्धों की बात कही थी कि हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े उद्योग धन्धों को अपने हाथ में ले। पूंजीपति लोग जो बड़े बड़े उद्योगों में घुस कर और सरकार से हर तरह की सब्सिडी लेकर हर तरह से फायदा उठाकर गरीबों और अमीरों की विषमता को कायम करते हैं उनको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। जहां पर सरकार अरबन सीलिंग और भूमि के सीलिंग की बात करती है, जहां पर सरकार गांवों की धरती को बांटना चाहती है या शहरों की सम्पत्ति को बांटना चाहती है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी हो रही उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए और लेसेज फेयर की जो पालिसी है और फ्री ट्रेड की बात है उसको बन्द करना चाहिए और उसमें स्टेट इन्टरवेन्शन करे और स्टेट इन्टरवेन्शन करके राजस्थान के उद्योग धन्धों को पनपायें। उनका सर्वे किया जाना चाहिए, उनका सोशियेलाइजेशन होना चाहिए। यदि उद्योग पनपेंगे और स्टेट इन्टरवेन्शन होगा तो उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर तैयार करना चाहिए। एज्यूकेशन जो हो वह उद्योग-धन्धों के आधार पर हो।

(4.10 म.प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तो इस तरह से मैं समझता हूं कि राजस्थान के उद्योग धन्धों को इस आधार पर तैयार किया जाय तो राजस्थान की प्रगति अच्छी होगी। यहां पर जो लेबर हैं और किसान लोग भी चूंकि गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, पंपिंग सेट लग रहे हैं तो पहले जहां पर चार आदमी काम करते थे वहां पर अब एक ही आदमी काम करता है। इसलिए गांवों में भी बेरोज़गारी की समस्या खड़ी हो जायगी। उसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्रोग्राम है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि पर बहुत बड़ा दबाव हो रहा है और गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन होने से वहां पर भी सरप्लस लेबर होगा तो उसको रोजगार देने के लिए आज जरूरत है कि इण्डस्ट्रीज कायम करें। गांवों के अन्दर छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज कायम करें जहां कि बिजली पहुंच गई है। तो मैं यह निवेदन करूं, जहां मांग का सवाल आता है रॉ मैटिरियल के वहां आपको राष्ट्रीयकरण उनका करना चाहिए। इसके साथ ही ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाना चाहिये, क्योंकि उससे एक्स्प्लोइटेशन होता है मजदूर वर्ग का। जो मजदूर हैं, देश में उत्पादन बढ़ाने वाले लोग हैं, उनके बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में, उनके रहन-सहन के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं निवेदन करूं, उद्योग धन्धों के बारे में स्टेट गवर्नमेंट की पालिसी होनी चाहिए। यह पालिसी होनी चाहिये राष्ट्रीयकरण की, टाउन इण्डस्ट्रीज, रूरल इण्डस्ट्रीज में, जो सरप्लस लेबर हैं, स्किल्ड लेबर हैं उसको एडजस्ट करें। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं...

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेण्ट रिप्लाई। सरकारी पक्ष से उत्तर हो।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, बजट पर भी चर्चा करने का मौका मुझे नहीं मिला। मैं कटौती प्रस्ताव पर भी नहीं बोलूं...

श्री अध्यक्ष : आप थे नहीं जब आपका नाम पुकारा था। पांच मिनिट फर्मा दीजिये।

श्री देवीलाल (सराडा) : मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं।

मेरा कटौती प्रस्ताव एक तो है, आदिवासी क्षेत्र में कोई न कोई उद्योग का विकेन्द्रीकरण हो। दूसरे राज्य सरकार की ओर से आदिवासी जिले में, और खासकर उन तहसीलों में जहां आदिवासियों की आबादी अधिक मात्रा में है, इतने मेघवाल हैं, इतने बलाई हैं और इतने लोग पिछड़े वर्ग के रहते हैं—इस प्रकार का इन लोगों का सर्वेक्षण होना चाहिए। उन लोगों को छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों में कैसे लगा सकते हैं और किस तरह से राज्य सरकार सहयोग कर सकती है—यह सर्वे होकर माननीय मंत्रीजी या राज्य सरकार के पास आ जाय। यह सूचना राज्य सरकार के पास होनी चाहिए और योजना आपकी ऐसी बननी चाहिये कि जो गांवों के अन्दर पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके पास में कोई धन्धा नहीं है, उनको कोई धन्धा दिया जा सके। इस प्रकार का सर्वे कराकर राज्य सरकार को योजना लागू करनी चाहिए।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां सोप स्टोन की खदान हैं, उन खदानों को प्राइवेट लोग चला कर मजदूरी पर लोगों को लगाते हैं लेकिन आज की महंगवारी को देखते हुए भी 2 रुपये 25 न.पै. उन लोगों को दिये जाते हैं। लेकिन कहीं भी श्रम विभाग वाले इन्सपेक्टर इस चीज को नहीं देखते हैं और न कोई और देखता है कि कहीं-कहीं पर डेढ़ रुपये, बारह आने में काम लिया जाता है। सोप स्टोन की खानें उदयपुर में हैं और राजस्थान में कई जगह सोप स्टोन की खानें चलती हैं, उनमें यह नियम लागू करना चाहिए वैसे आज नियमों में हैं कानून में भी है, लेकिन फिर भी रेट बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो राज्य सरकार ऐसा कानून बनाये और कानून बनाकर उसे लागू करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो खदान चलती हैं सोप स्टोन की उनमें मजदूरों को साढ़े तीन रुपये या चार रुपये मजदूरी मिलनी चाहिए क्योंकि सारे दिन भर खदान में वह लोग काम करते हैं लेकिन उन्हें 2 रुपये 15 न.पै. मजदूरी दी जाती है, उससे उनका पेट नहीं भर सकता है। इसलिये निवेदन है कि उदयपुर जिले के पहाड़ों पर जितने पर सोप स्टोन की खान चलाने वाले लोग हैं, उन पर यह नियम लागू कर दिया जाय कि जो सोप स्टोन की खान में मजदूर काम करने वाले हैं उनको साढ़े तीन रुपये से चार रुपये मजदूरी दी जायगी ताकि वह अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। आठ-दस घण्टे वह काम करते हैं उसके बाद इतने रुपये में वह अपने

(श्री देवीलाल)

परिवार का निर्वाह नहीं कर सकते, जब निर्वाह नहीं कर सकते आज के महंगवारी के जमाने में तो उनकी मजदूरी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसलिये मेरा निवेदन है, मजदूरी के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार करके जितने खानों पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए साढ़े तीन रुपये से चार रुपये मजदूरी दिलाने का कानून बनाये। अगर कानून नहीं हो तो ऐसे नियम बना देने चाहिए। साथ ही यह भी व्यवस्था करें कि श्रम विभाग के लोग वहां जाकर देखें। आज यह स्थिति यह है कि लोग चार-चार महीने तक मजदूरी नहीं चुकाते हैं। ऐसी विषम-परिस्थिति में सोप स्टोन में काम करने वालों की है, लेकिन न श्रम विभाग वाले देखते हैं क्योंकि उनको परसेन्टेज मिल जाता है इन खदानों को नहीं देखने का। इसलिए श्रम विभाग पर जोर देकर जांच करानी चाहिए कि वास्तव में मजदूरों को वाजिब रेट मिलती है या नहीं और रेट के मामले में राज्य सरकार को जोर देकर पाबन्दी करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी !

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय मेरी पार्टी को टाइम दिया गया वह भी पूरा नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि मैं मुख्य मुख्य बातें ही अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट में कह दें तो कह दीजिये। लेकिन शब्दों की पाबन्दी करियें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : ऐसा है, मैं कम से कम दो मिनिट में अर्ज कर दूंगा।

एक तो रियायत की कीमत हो। जिस तरह की रियायत सरकार मैनेजमेंट को देती है, आज देती है उसके बराबर कीमत पैसे या काइण्ड में मजदूर संघ को दी जाय ताकि वह संगठित होकर अपने अपलिफ्टमेंट के लिए सोच सकें। मैनेजमेंट को जितना फायदा मिलता है वह फायदा मजदूरों को मिलना चाहिए, बोनस का कुछ पर्सेन्टेज उनको मिलना चाहिए। मेनेजमेंट में जितने लोग बैठते हैं उनमें कुछ पर्सेन्टेज मजदूरों से अवश्य लेना चाहिए। सरकार की तरफ से अधिकारी जो इस विभाग में लिये जाते हैं, वह ट्रेड यूनियन की तरफ से रिकमेन्ड होने चाहिए ताकि वह आगे जाकर, मैनेजमेंट में जाकर मजदूरों का पक्ष रख सकें। मैं आपको ऐसी मिसाल दे सकता हूं, श्रमिकों ने न्यायोचित मांगों के लिए आन्दोलन किया तो उनकी पिटाई की गई। एक नीमला में लोहे की खान थी, वह बन्द होने का कारण था कि वहां मजदूरों ने आंदोलन किया तो उन्हें आफिसर और पुलिस ने मिल कर तंग किया। वह खान आज बन्द है। वहां पानी उपलब्ध है, कच्चा लोहा अच्छी तादात में है, अच्छी किस्म में मिलता है। इसलिए सरकार उस ओर ध्यान दे और पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में वहां पर उसे चालू किया जाय तो लोहे का कारखाना बहुत अच्छी तरह से लग सकता है और मजदूर काम कर सकते हैं और पब्लिक एन्टरप्राइज में, जैसा माननीय नेता ने फर्माया, मैं पहाड़ से टकराऊंगा, से कहना चाहता हूं कि इस काम को करना है तो पहाड़ से नहीं सेन्टर से टकरायें, लेकिन यह कारखाना सवाई माधोपुर में आना चाहिए, हम टकरा लेंगे, आप टकरा लेंगे तो

(श्री मूलचन्द सामरिया)
पूरा राजस्थान आपके पीछे है इसलिए सेन्टर को मानना पड़ेगा ।

सोशल वेलफेयर के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने फर्माया, किसी भी बैकवर्ड एरिया के बैकवर्ड लोगों का उत्थान करने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करना पड़ेगा । कोटा के लिए कहता हूं कि वह कोटा गरीब लोगों के लिए प्रपोर्सनेट रखेंगे तभी बेरोजगारी दूर होगी और जो गरीब लोग का सुधार करना चाहते हैं वह हो सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी !

श्री ओंकार लाल (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज · · ·

श्री अध्यक्ष (श्री मूलचन्द सामरिया से) : शुक्रिया बहुत बहुत ।

श्री ओंकार लाल : श्रम की मांग के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है । मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं । कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये और माननीय सदस्य, जिन्होंने हिस्सा लिया वादविवाद में, मैं समझता हूं काफी हैं । सबका जवाब देना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा समयाभाव के कारण । फिर भी जिन जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का ।

माननीय सदस्यों ने नियोजन के संबंध में विशेषतया बेरोजगारी की ओर अधिक ध्यान दिलाया है । इसमें सन्देह नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या एक राष्ट्रव्यापी समस्या है और यह समस्या दिनों दिनों दिन बढ़ती जाती है । इस समस्या के सम्बन्ध में सरकार ने समय समय पर काफी काम शुरू किये हैं और इसको मीट विथ करने के लिए और उन समस्याओं को हल करने के लिए जागरूक है । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इस समस्या का महत्व है । वैसे शहरों में भी शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जाती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर भी इस समस्या को हल करने के लिए काफी महत्व दिया जारहा है । ग्रामीण क्षेत्र की इस समस्या को हल करने के लिए क्रेश प्रोग्राम गांवों में शुरू किये गये हैं जिनके अन्दर कि ग्रामीणों को रोजगार मिला है । इसके अलावा किस प्रकार से इस समस्या का हल हो सकता है–इस सम्बन्ध में इस साल करीब आठ हजार नये पद अध्यापकों के सृजन करने की योजना है, जिससे अध्यापक वर्ग में राहत मिलने की सम्भावना है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिले तब तक उनको स्टाइफण्ड डेढ़ सौ रुपया, दो सौ रुपया माहवार के हिसाब से दिया जा रहा है और यह योजना चालू है ।

इसी प्रकार से डिप्लोमा होल्डर्स और बैचलर आफ इंजीनियरिंग हैं उनको भी इस किस्म की राहत दी जा रही है · · ·

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह राहत पी. एच. डी. पार कर चुके हैं, उनको दी गई

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
है, वह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं आते हैं

श्री ओंकार लाल : जी नहीं, यह केवल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को दी गई है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह उनका पाप हो गया।

श्री ओंकार लाल : यह मैं नहीं समझता, आप समझते होंगे कि पाप है या पुण्य।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अभिशाप है।

श्री ओंकार लाल : मैं अर्ज करना चाहता हूं आप महरबानी करके सुनने की कृपा करें।

जितनी योजना चलाई जा रही हैं इससे यह मानना पड़ेगा कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए काफी ठोस कदम उठा रही है. उसके लिए कटिबद्ध भी है लेकिन जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया, यह ऐसी भयंकर समस्या है, इस समस्या को हल करने का प्रयास चल रहा है, उसके लिए यह माना जायगा कि किसी भी तरह से उसको कम नहीं आंका जा सकता है लेकिन जिस प्रकार यह समस्या बढ़ रही है उसी अनुपात में कोशिश भी जारी है।

इसी प्रकार से गांवों में गृह और लघु उद्योग खोल कर इस समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गांवों और शहरों में यह प्रयास किया जा रहा है कि फेमिली प्लानिंग के द्वारा इसको चेक किया जाय। मैं समझता हूं कि परिवार नियोजन के तहत सारे राजस्थान में काफी परिवार नियोजन में प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में आंकड़ों के अनुसार कह सकता हूं कि सफलता भी मिली है।

कुछ सुझाव और कट मोशन एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के सम्बन्ध में भी प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जालौर में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोलने के बारे में जो उन्होंने कट मोशन पेश किया है, उसके अनुसार इस साल जालौर में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खुल जायेगा। इसकी आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इससे नियोजन में मदद मिलेगी।

कुछ प्रस्ताव इस प्रकार के आये हैं जिनमें भ्रष्टचार की बात कही गई है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अब तक जो शिकायतें प्राप्त हुई वह तेरह शिकायतें प्राप्त हुई, उन तेरह की जांच की गई लेकिन उनमें से किसी की सत्यता का प्रमाण नहीं मिल पाया...

श्री दीपंकर : किस स्तर के अधिकारी से जांच कराई गई ?

श्री ओंकार लाल : डिपार्टमेन्टल जांच कराई जाती है, जो माननीय सदस्य भी जानते हैं।

माननीय सदस्य नाथूराम ने भी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार के केन्द्रों के खोलने की बात सुझाई। मैं मानता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर भी इस प्रकार के केन्द्र खोले जायं जिससे ग्रामीण लोगों को भी राहत मिल सके। लेकिन जैसा मान-

(श्री ओंकार लाल)

नीय सदस्य जानते हैं और यह सदन भी जानता है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में इतनी सक्षम नहीं है कि जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सभी जगह यह केन्द्र खोले जा सकें, फिर भी दो चार केन्द्र खोले जा चुके हैं और दो जिलों में इस वर्ष एक एक केन्द्र खोल दिया जावेगा जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी। मैं समझता हूं पंचवर्षीय योजना में इस बात का खयाल रखा जायगा, इस प्रकार की कोशिश की जावेगी और सम्भव हो सका तो केन्द्रीय अनुदान मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार केन्द्र खोले जायेंगे।

माननीय सदस्य श्री रामनारायण ने कट मोशन झुंझुनूं के बारे में दिया है। झुंझुनूं के अन्दर आई.टी.आई. 29 व्यक्ति को रोजगार दिया, 21-8-71 को 160 व्यक्ति मौजूद थे जिनमें से 29 को रोजगार दिया गया है। लेकिन झुंझुनूं के अन्दर अधिक पार्शियलिटी नहीं है जिससे कि इस सम्बन्ध में और प्रगति की जा सके

मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता का कारण भी समझता हूं, रोजगार के सम्बन्ध में, पंजीकरण के सम्बन्ध में कई जगह से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं कि रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में कई जगह इस विभाग में, जिला केन्द्रों में मनमानी होती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि डाइरेक्टर साहब को आदेश भेजा जायगा और उनके द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जायेंगे, जिनका कड़ाई से पालन किया जायगा। इस सम्बन्ध में कड़ाई बरती जायगी और जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त होंगी वह साबित होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही कर सख्त दण्ड दिया जायगा ताकि इसमें सुधार हो सके।

श्रम नीति के सम्बन्ध में जैसा आप जानते हैं, राजस्थान की श्रम नीति है वह अधिकार और मुख्यतः केन्द्र पर आधारित होती है। हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है और यह आशा रखी जाती है कि जहां तक हो सके, इम्प्लायर और जो लोग श्रमिक के रूप में काम करते हैं, मालिक और मजदूर हैं उनके अन्दर सद्भाव का वातावरण बना रहे, मजदूर जिस फैक्ट्री के अन्दर काम करते हैं उसका अधिक प्राडक्शन हो, और मालिक और मजदूर के अच्छे सम्बन्ध बने रहें—इसके लिए राज्य सरकार की नीति है कानून भी प्रभावशाली लगे हुए हैं। उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होने, मजदूर को अधिक लाभ दिलाने, मजदूरों के हित का अधिक से अधिक ध्यान रखे जाने में राज्य सरकार की सर्वाधिक दिलचस्पी रही है, दिलचस्पी कम नहीं रही है।

माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने एक कट मोशन रखा, यजरट डिवीजन के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में दो सूचना देना चाहता हूं, एक तो इस सम्बन्ध में कि भूख हड़ताल समाप्त हो गई, दूसरे जो 19 व्यक्तियों की छटनी की गई, उनके सम्बन्ध में नोटिस विथड्रा कर लिये हैं और समझौते की कार्यवाही चल रही है।

माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने ही एक और कट मोशन रखा कि श्रम

Page No 123

(श्री ओंकारलाल)

नीति ज्यादा मालिकों के पक्ष में ही रही है। ऐसी बात नहीं है, श्रम नीति मालिक के पक्ष में नहीं है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार वेलफेयर सोसाइटी की सरकार के नाम से मानी जाती है। राजस्थान सरकार वेलफेअर सोसाइटी के पक्ष में है, और उसी नीति को मानती है कि जब जब विवाद मालिक और मजदूरों के बीच उत्पन्न हों, उन विवादों को हल करने के लिए मजदूरों के हित का ध्यान रखा जाय और हमेशा से मजदूरों का साथ दिया है और जायज मांगों के लिए मजदूरों की हिमायत की है—यह कहने में हिचकिचाता नहीं हूं...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सवाई माधोपुर में क्या हुआ, 1969 में साहू जैन की हिमायत कर इन्टक के लोगों को गिरफ्तार किया, लाठी चार्ज किया गया, सैंकड़ों मजदूर गिरफ्तार हुए। वह सब मालिक के पक्ष में हुआ।

श्री मूलचन्द सामरिया : ज्यादा जोर से बोलने से मजदूरों के प्रति अच्छी नीति सिद्ध नहीं होती। यह दबाव की बात है।

श्री ओंकारलाल : दबाव की बात नहीं है....

श्री मूलचन्द सामरिया : हमेशा पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के साथ जाती है...

श्री ओंकारलाल : हमेशा यह प्रयत्न रहा है...

श्री राजेन्द्र भारतीय : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, बार बार माननीय सदस्य डिस्टर्ब कर रहे हैं माननीय मन्त्री को।

श्री ओंकारलाल : मजदूरों के हितों को हमेशा ध्यान में रखा गया है।

श्री मोहनलाल छंगानी : थोड़ा परिवर्तन कर दीजिये, हमेशा से नहीं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आपको मन्त्री महोदय का बाडी गार्ड लगा रखा है।

श्री राजेन्द्र भारतीय : किसी कायदे कानून के तहत आप भी बाडी गार्ड हैं, आप नहीं समझते हैं, मैं समझता हूं, आप इससे अलग नहीं हैं।

श्री ओंकारलाल : भारत की प्रधान मन्त्री ने जो नेतृत्व दिया है, उससे चेंज की प्रक्रिया चल रही है, तब्दीली का वातावरण बना है—इसलिए यह विश्वास किया जाता है और विश्वास करना पड़ेगा कि वास्तव में कदम बढ़ रहे हैं प्रगति की ओर और श्रमिकों की मदद के लिए सरकार तत्पर रही है...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को खुद इन्दिराजी ने स्वीकार किया है, आज तक की श्रम नीति थी, यह सेन्टर के लेबर मिनिस्टर ने भी स्वीकार किया है, उसमें बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है। पुलिस का प्रयोग अधिकांश मालिक के पक्ष में होता रहा है। यह केवल राजस्थान में नहीं, राजस्थान एक्सेप्शन नहीं है, भारत में हुआ है। मैं स्वीकार करता हूं, आज परिवर्तन आ रहा है। लेकिन यह कतई अस्वीकार करता हूं कि राजस्थान सरकार के सारे

Page No 124

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
पुराने पापों पर आप पर्दा डालें। यह आप जैसे न्यायसंगत आदमी के लिए उचित नहीं है. बहुत दुःख होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अगेन एण्ड अगेन डिस्टबेंन्स इज बीइंग क्रीएटेड।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी जो माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान सरकार के सभी पापों पर पर्दा डाल रहे हैं. मैं समझता हूं पाप शब्द का प्रयोग करना सरकार के लिए बिल्कुल अनुचित है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पापों की जगह बुरे कर्म कर लें।

श्री ओंकारलाल : प्रधान मंत्री का नाम लिया। हम भी उन्हीं की नीति पर अग्रसर हैं और बराबर हम उस पर चलते रहेंगे।

श्री केदारीमल जी का कट मोशन था, उन्होंने रिलीफ अंडरटेकिंग्स कानून की बात कही। यह 10-1-71 को लिया गया था लेकिन रिलीफ अंडरटेकिंग्स कानून की स्थिति अच्छी नहीं है। इसका बोझ लेने में सक्षम नहीं थे इसलिए इस मिल को सरकार ने अपने हाथ में लिया और राज्य सरकार ने लिखा है कि इसकी अवधि बढ़ाने के लिए ताकि वहां के जो मजदूर लोग काम करते हैं उनके हितों की रक्षा हो सके।

श्री केसरीमल : 40) रु. माहवार से रक्षा होगी ?

श्री ओंकारलाल : माननीय श्री केदारनाथ ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कट मोशन प्रस्तुत किया है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 22 या 23 तारीख को इस महीने श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में जिसमें एटक, इन्टक और एच. एम. एस. तीनों संगठन हिस्सा ले रहे हैं और इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ ठोस निर्णय लिए जायेंगे जिससे मालिक व मजदूरों के बीच कुछ न कुछ ऐसी बात निकलेगी जिससे आपसी हितों को समझकर इसमें प्रगति पैदा हो सके।

इतनी बातें कहता हुआ मैं निवेदन करता हूं कि जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं उनको पारित किया जाए।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान की श्रम नीति का सम्बन्ध है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा करेंगे। हम मानते हैं कि लेबर का कलेक्टिव बारगेनिंग अधिकार है जिसको कोई नहीं ले सकता, हम यह भी मानते हैं कि लेबर के अन्दर जो आपस में डिवीजन हो रहा है वह शायद मजदूरों के लिए आगे चलकर खतरा हो सके। यह भी समझना चाहिए कि आपसी झगड़ों का ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है जिसके अंदर कड़वाहट पैदा होती है और मजदूर दुख पाते हैं। आज के जमाने में कोई मालिक नहीं हो सकता। एक एन्टरप्रेनियर है वह टेक्नीकल नो हो आरगेनाइजेशन देता है।

Page No 125

(श्री बरकत उल्लाखां)

हम जानते हैं कि राज्य सरकार ने पहले वायदा किया था कि मजदूरों को भारत सरकार के जो बोर्डस हैं उनमें रिप्रेजन्टेशन मिलना चाहिये। गंगानगर में आने वाले प्रोफेसर केदार नाथ ने इस तरफ ध्यान दिलाया है। भारत सरकार से हम बराबर पत्र व्यवहार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार एक गाइड लाइन दे दे जिस पर देश के लोग चल सकें हम कमिटेड हैं और इसके अन्दर कभी, इलेक्शन की बात आती है कभी नामीनेशन की लेकिन जैसे ही भारत सरकार राय दे देगी, उसके अनुसार हम उस काम को पूरा करेंगे। मैं जानता हूं किसी भी देश में जब तक मजदूरों का संगठन मजबूत नहीं होता है तब तक वहां की राजनीति मजबूत नहीं होती है। यह भी जानता हूं कि मजदूरों में संगठन के द्वारा जो हम तबदीली लाना चाहते है, वह आ सकती है, विचारधारा बदली जा सकती है और 30—40 साल पहले जैसे मजदूर को घृणा की दृष्टि से देखते थे, वह अब दूर हुई है।

जहां तक राजस्थान सरकार का संबंध है, वह इस बात का पूरा खयाल रखती है और रखती रहेगी कि जहां तक मजदूरों का संबंध है, लाज को ईमानदारी के साथ इन्टरप्रेट किया जाय। कभी कभी टेक्नीकल मामला भी आ जाता है। यहां पर कोई केस श्रम विभाग को भेजा। उसी दौरान अदालत में चले गये, रिकन्सीलिएशन के लिये स्टे आर्डर आ गया और लम्बा वायदा हो गया। हम इस तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहते कि कानून को रोकें। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि किसी को अदालत में जाने से रोकें। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि किसी को अदालत में जाने से रोकें लेकिन ऐसा वाया मीडिया निकालना पड़ेगा कि लम्बे समय तक जो मुकदमेबाजी हो रही है, उससे मजदूरों को बचाया जाए। उसमें एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा। पहले जरूर था लोग अपने घर का पैसा लगाते थे और मालिक बनना चाहते थे। अब देश स्वतन्त्र हो गया है, अब पैसा जनता का है कोई मालिक नहीं हो सकता, एन्टप्रेनियर हो सकता है. एन्टरप्राइज कर सकता है. वाजिब हिस्सा ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न पुलिस का नाजायज दबाव होगा न पुलिस नाजायज दखल देगी लेकिन इस बात का खयाल रखें कि अगर मजदूर आपस में लड़ रहा है तो उनको बचाना पड़ेगा। मैं चिंता में हूं जब देखता हूं मजदूरों के अन्दर एक पार्टी नहीं लेकिन अनेक पार्टियां हैं, मजदूर आपस में लड जाते हैं। चाहे इन्टक हो एटक का हो चाहे सी. पी. एम. का हो जब ऐसा वातावरण बनता है तो उसमें रोष आता है और वह रोष आखिर में जाकर मजदूरों के खिलाफ काम करता है। आज आप सब जानते हैं कि अगर कारखाने में हडताल होती है तो नेशनल प्राडक्शन कम होता है। अगर प्राडक्शन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? जहां प्राडक्शन हो वहां इक्कुइटी होनी चाहिये लेकिन मजदूर संगठनों में जो झगड़े हो रहे हैं उसके लिए मैं मजदूर नेताओं को जो सदन में है और बाहर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर यह वातावरण ज्यादा दिन चला तो लेबर मूवमेंट आगे बढने वाला नहीं है, पीछे जा सकता है और जब पीछे जायगा

(श्री बरकतउल्लाखां)

तो जो आर्गनाइजेशन हमने मिलकर सेट-अप किया है वह छिन्न-भिन्न होगा और लालेसनेस होती आयगी और कोई भी सरकार लालेसनेस नहीं चाहेगी। वह अपनी जिम्मेदारी जानती है। वह मजदूरों और मालिकों के बीच दखल नहीं देना चाहती लेकिन जहां ला एण्ड आर्डर की जरूरत होगी तो मजबूरन दखल देना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं।

जहां तक हमारे उद्योगों का संबंध है, बहुत से सुझाव आए। कुछ बेसिक, कुछ जरूरी, कुछ गैरजरूरी, और कुछ वहां से भी आये जहां तकलीफ हो रही है और लोग परेशान हैं। इन्डस्ट्रियल क्लाइमेट बनाने के लिये समय लगता है, उद्योग बनाने के लिये कोआरडीनेशन की जरूरत होती है, बिजली पानी, जमीन खनिज पदार्थ, आरगेनाइजेड लेबर और ट्रेण्ड लेबर चाहिये। इस तरह कई डिपार्टमेंट मिलकर इन्डस्ट्री की तरक्की के लिये, आगे जाने के लिए, कोशिश करते हैं। उद्योगों को लिए प्रस्पेक्टिव प्लानिंग होना चाहिये और जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमने पेपर तैयार किया है जिसका नाम है फिफ्थ फाइव यीअर प्लान एप्रोच पेपर जिस पर कल सारे अधिकारी डिस्कस कर रहे हैं। 5 साल का प्रास्पेक्टिव प्लानिंग बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके अन्दर आने वाले 10 साल का प्रोजेक्शन थोड़ा सा हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, एक रेखा बन जाय और वह सबके सामने जाय कि 5 साल के लिये हम डेफीनेटली यह कर रहे हैं और उसके सफल होने के बाद आइन्दा के 10साल तक क्या करते जा रहे हैं। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि जमीन बढ़ाई नहीं जा सकती। सीलिंग ला सकते हैं।

इसीलिये एग्रो इण्डस्ट्री की राजस्थान में बहुत सम्भावना है बहुत चान्सेज हैं। मैं मानता हूं जैसे प्रोफेसर केदार ने कहा और सही तरीके से कहा। हमें यहां इण्डस्ट्री को और एग्रीकल्चर को कम्बाइण्ड करना पड़ेगा। एग्रो इण्डस्ट्री को लाना पड़ेगा। इस तरफ मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से जागरूक है।

राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि मिल्क ट्रेड बने, चिलिंग प्लान्ट लगे।

एनीमल हस्बेण्डरी का काम बढ़े और इसके साथ ही जो दूसरे सोफिस्टिकेटेड पुर्जे हैं उनका भी कारखाना यहां लगे ताकि इससे सम्बन्धित सारी छोटी-मोटी इण्डस्ट्रीज का जाल यहां बिछ जाय। बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इण्डस्ट्रीज भले ही बाद में लगे। तो हमें इस दिशा में प्रोग्रेस करनी है। करनी चाहिये, सरकार पूरी तरह से सतर्क है।

जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है भारत सरकार की तरफ से स्टेट सेक्टर में हमें चार कारखाने मिले हैं। पर साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यह बेकवर्ड स्टेट है आगे आना चाहती है और सही तरीके से जो मदद हमें मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पाई है। इसमें क्या होता है कि जितने भी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे सब चार स्टेटों को अधिक

(श्री बरकत उल्लखां)

तरजीह देते हैं जिनमें महाराष्ट्र है, बंगाल, तामिलनाडु और गुजरात हैं। इन्हीं को सारी फाइनेन्सेज की सहूलियतें मिलती जा रही हैं क्योंकि उनकी एक तरह से प्रोग्रेस ग्रोथ हो चुकी है जहां एक इण्डस्ट्री के बाद दूसरी इण्डस्ट्री लगातार लगती चली गई है। इनके मुकाबले में दूसरी तरफ काफी तरह से कन्सेशन देने के बाद भी और कई तरह के आकर्षण देने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। लोग आते नहीं हैं। नेचरल इसमें कई कारण हैं। आज वहां इण्डस्ट्रियलिस्ट को क्या सहूलियत है कि जो प्रोडक्शन वहां बैठकर वह करता है, उसकी खपत भी वहीं हो जाती है। आज बम्बई में कोई इण्डस्ट्री लगती है तो उसको अपने प्रोडक्शन के लिये मार्केट की चिन्ता नहीं है, उसका प्रोडक्शन वहीं खप जाता है। बंगाल में प्रोडक्शन हुआ तो उसकी खपत कलकत्ता में हो गई।

पर हमारे यहां यह दिक्कत है। रा मेटीरियल लाना पड़ता है, फ्रेट उसको देना पड़ता है और फिर उसको फिनिश की शक्ल में आने के बाद मारकेट में बेचना पड़ता है तो उसका खर्चा उस पर और जुड़ता है। तो मुनाफे का मार्जिन नेचरली महाराष्ट्र बंगाल और गुजरात मद्रास के मुकाबले में यहां कम रहेगा। जहां यह स्थिति हो वहां मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आगे चलकर यह एक राजनैतिक समस्या का रूप धारण कर सकता है। भारत के कुछ हिस्से बहुत आगे बढ़ जावेंगे और कुछ हिस्से बहुत पीछे रह जायेंगे। और यह पिछड़े हिस्से का स्वाभाभिमान की चुनौती बन जावेगा। जैसे एक गरीब रिश्तेदार एक बड़े सम्पन्न रिश्तेदार के घर जाता है और वहां बड़ा रिश्तेदार गरीब रिश्तेदार की तरफ देखता है और कहता है कि मदद कर सकता हूं पर पूरी मदद नहीं कर सकता।

हमने तेल के कारखाने के लिये कहा। मेरे मित्र जो जनसंघ से आये हैं उनको तो नाराज होना ही चाहिये और कोई न कोई बात कहनी ही चाहिये चाहे उसे तोड़ मरोड़ कर ही कहें। मैं निवेदन कर दूं कि हमने इस बारे में क्या किया है। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री ने और मैंने काफी प्रयत्न इस दिशा में किये हैं और कम से कम 8 खत लिखे हैं। पुरजोर लिखते रहे। बराबर नोट आज भी भेज रहे हैं ए. पी. को लिख रहे हैं अपने को कि वे इस मामले को जानकारी में रहें और भारत सरकार पर हर सम्भव तरीके से दबाव डालें। पर यह कहना कि मैं स्वयं सत्याग्रह कर दूं जैसे कोई यह मामला पोटली में रखा हुआ हो और उसे उठा कर यहां लाकर लगा दूं। यह गलत होगा।

यह सही है कि हम चाहते हैं कि राजस्थान का डवलपमेंट हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग भारत सरकार से मिले।

हम राजस्थान में इण्डस्ट्रियलिस्ट और एन्टरप्रेन्योर को हर सम्भव प्रोत्साहन देने को तैयार हैं। हमारी इण्डस्ट्रियल पालिसी साफ है। हम नेशनल पूंजी का स्वागत करते हैं, प्राइवेट पूंजी का भी करते हैं।

(श्री बरकतउल्लाखां)

जोइन्ट सेक्टर व वेन्चर के बारे में मतभेद हो सकता है। कुछ गलत फहमी हो सकती पर इस जोइन्ट सेक्टर को भारत सरकार को इण्डस्ट्रियल पालिसी में एक्सेप्ट किया गया है इसलिये इसको भी हम चाहते हैं और मानते हैं।

कोई सही माने में एन्टरप्रेन्योर राजस्थान में आता है तो पचास लाख से लेकर एक करोड़ तक के लाइसेन्स हम देते हैं जिसमें फोरिन कोलोबोरेशन की जरूरत न हो, टेकनिशियन बाहर से न लावें, और इसके लिये हमने काफी कन्सेशन भी दे रक्खे हैं और जो कन्सेशन हमने दे रक्खे हैं उनमें कभी एक मेरे मित्र ने कहा कि देर लगती है। उस देरी को हम दूर करना चाहते हैं। दूरी को हम आहिस्ता आहिस्ता दूर कर भी रहे हैं। इस विभाग के कर्मचारियों में यह भावना भरना चाह रहे हैं कि यह विभाग सेवा का विभाग है, बादशाहत का नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके अच्छे परिणाम आवेंगे। कभी कभी ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टी हो सकती है जिसका भी हल हम मिल जुलकर निकाल सकते हैं। सुमेरपुर के लिये कहा गया। जो वहां पर ट्रान्सफोर्मर लग रहा था वह खराब हो गया। वह यहां लाया गया। 15 दिन में ठीक होकर वापिस जाने वाला है। तो कभी कभी ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाती है। इसके कारण भी लोगों के मन में शंका होती है कि शायद हमने तैयारी नहीं कर रखी है या फाल्ट की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसी बात नहीं है। हम जागरूक हैं।

पर बात यह है कि हमारे यहां पर राजस्थान में जो सरप्लस मेटीरियल है, रा-मेटीरियल है, मिनरल्स हैं इसको देखकर कोई भी एन्टर प्रेन्योर अगर राजस्थान की धरती पर कारखाना लगाना चाहे तो उसको निश्चित लाभ होने वाला है। नुकसान होने वाला नहीं है।

इस तरह से राजस्थान में हमारी कोशिश है कि इन बातों को हम आगे बढाना चाहते हैं। खास तौर से स्टेट एन्टर-प्राइजेज पर मेरा काफी ध्यान जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने अपने पर्सनल लेवल पर यहां की मिलों के स्पिण्डल्स बढवाने की कोशिश की है। लाडनूं में और चूरू में जो हमने एन्टरप्राइज बनाये हैं उनको ज्यादा स्पिण्डल्स मिल गये हैं अब। इससे विश्वास रखकर चल रहे हैं कि अब यह एक मजबूत इकोनोमिकल वेन्चर हो सकेगा और आशा करता हूं कि अब इसमें लाभ होगा।

मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि आज के दिन जब हम एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि बालपुर के अन्दर जो हम बकरों की ऊन की जूट बनाते हैं वह जूट 92 लाख से ऊपर देश से बाहर जा रही है। हम यह चाहते हैं कि इसका काम बढे और इसका लाभ वास्तविक उपभोक्ता और पैदा करने वाले को मिले। बीच के दूसरे दलाल लोग जो मुनाफा खा जाते हैं वह सही लोगों के पास जावे।

इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत

Page No 129

(श्री बरकतुल्ला खां)
में जितनी हाथ कर्घा सूती और ऊन की खादी की बिक्री होती है और जो इसका उत्पादन होता है उसका करीब आधा हिस्सा राजस्थान में होता है और उसमें से ही यह समझ लीजिये कि राजस्थान का आधा हिस्सा बीकानेर में तैयार होता है। मैं समझता हूं कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को यह बात मालूम होगी।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि धीरे धीरे हमारे एप्रोचेज में तब्दीली आ रही है। एप्रोचेज का मतलब यह नहीं जैसा माननीय जनसंघ के सदस्य ने कहा। जो बात उन्होंने कही वह सही नहीं है। इण्डस्ट्रियल लाइसेन्स हमें मिले हैं। लैटर आफ इण्टेन्ट हमें मिले हैं। लाइसेन्स की तादाद भी बढ़ी है। गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लेटर आफ इनटेन्ट काफी अच्छी तादाद में मिले हैं और इनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। घटती नहीं जा रही है। एक तो यह हो कि घटती जावे, यह बात नहीं है, बल्कि बढ़ती जा रही है। जैसा आप देखेंगे कि :

1967 में 18 दर्ख्वास्तें फारवर्ड कीं और 11 मन्जूर हुईं।

1968 में 21 की थीं जिनमें से 3 स्वीकार हुईं।

1969 में 36 भेजीं और 6 स्वीकार हुईं।

1970 में 92 भेजीं जिनमें से 16 मन्जूर हुईं।

1971 में जनसंघ के मेम्बर को यह जानकर खुशी होगी कि कि 114 भेजीं जिनमें से 51 में स्वीकृति मिल चुकी है।

इसी तरह से 1972 में अभी तक 10 अर्जियां भेजी हैं जिनमें से दो पर लेटर आफ-इण्डेन्ट हमें मिल चुका है।

तो शनैः शनैः हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं यह विश्वास के साथ कहता हूं कि कि ये फीगर्स बिलकुल सही हैं। इन पर भारत सरकार की पूरी पूरी सूचना हमारे पास हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन कर दूं कि जो फिगर मैंने सदन में रखे हैं वे भी आपके ही एक सीनियर मिनिस्टर श्री हरिदेवजी जोशी के दिये हुये हैं जो रीसेन्टली अखबारों में प्रकाशित हुए हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : तब और अब में काफी अन्तर आ गया है। काफी पानी गंगाजी में बह चुका है। मेरे दिये हुए आंकड़े बिलकुल सही हैं और ये आंकड़े प्रोसीडिंग्स में मौजूद हैं। आप इनको चेलेन्ज नहीं कर सकते।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो किताबों में लिखा हुआ है उसको आप चेलेन्ज नहीं कर सकते।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो चैलेन्ज करता हूं। 1971 में 114 रिकमण्ड किये गये जिसमें 51 आये, 1972 में 10 किये गये जिसमें से दो आये।

इसी तरीके से माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं हमारी जो पिक्चर है

(श्री बरकतुल्ला खां)

वह राजस्थान सरकार साफ पिक्चर नहीं रख पाई है इसलिये कभी—कभी गलत फहमी हो जाती है। मिसाल के तौर पर जहां पर हमारी इण्डस्ट्रीज का सम्बन्ध है पिछले दो सालों में जितना रुपया हमने खर्च किया है उतना पिछले 8 सालों में नहीं किया और यह फाइनेन्स कारपोरेशन के द्वारा ऋण दिया गया है वह फिर पिछले दो सालों में बहुत बढ़ा है, काफी तादाद में दे पाये हैं जो पिछले सालों में दे पाये हैं, उसके बराबर है और मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं इण्डस्ट्रीज के लिये जो पावर चाहिये वह पावर राजस्थान के पास मौजूद है। स्टेबिलाई-जेशन हम कर रहे हैं फ्लक्चुएशन की वजह से कभी प्रोडक्शन में हानि आती है लेकिन जो पावर अब हमें उपलब्ध है उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पावर स्टेबलाइज हो और पावर पूरी तरीके से मिले।

इसी तरह मैं और अर्ज करना चाहता हूं। खादी बोर्ड का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता फिर भी मैं कहना चाहता हूं, खादी बोर्ड ने 95 हजार लोगों को कार्य दे रखा है जो या तो फुल टाइम एम्पलाइड हैं या पार्ट टाइम और खादी बोर्ड इस साल के अन्त तक एक लाख लोगों को रोजगार देगा—फुल टाइम में दे या पार्ट टाइम में दे। हमारी विलेज काटेज इण्डस्ट्रीज को खादी बोर्ड ने आर्गेनाइज करने में बहुत बड़ी मदद की है। जब हम बेकवर्ड का जिक्र करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार ने एक फार्मूला बनाया है और राजस्थान सरकार से उसके सम्बन्ध में इन्फार्मेशन मांगी थी जो हमने प्रोफार्मा भरकर भेज दिया। इसमें जो भारत सरकार का काइटेरिया है उसके अन्तर्गत 16 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के आये हैं और जो 16 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के आये हैं वह भारत सरकार का काइटेरिया है और अगर यह राजस्थान सरकार का काइटेरिया होता तो मैं सबको दिलवा देता।

जो बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहलवाये हैं उसमें माननीय सदस्यों को यह आशंका थी कि शायद सारे राजस्थान का सर्वे नहीं हुआ है। भारत सरकार ने स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के जरिये सर्वे किया है और वह सर्वे कम्पलीट हो गया, कम्पलीट होने के बाद उसका प्रोसेस किया और उसके बाद सेक्रेटेरियट में एक सैल की स्थापना की उसमें यह रखा गया कि वेरियस इण्ड-स्ट्रीज को कितने लोग कर सकते हैं उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल रिटर्न कितनी मिलेगी, इसका भी एक कम्पलीट चार्ट बनाकर सरक्यूलेट कर रहे हैं। जो यहां पर आकर इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं; कई लोग यह कहते हैं, हमारे पास रुपया है बताइये कहां लगायें। इन 16 डिस्ट्रिक्ट में जितनी पूंजी जो लगाना चाहें वह बने बनाये चार्ट में आकर देख लें। इस चार्ट में सब चीजें मौजूद होंगी—किस इन्डस्ट्री को लगाने में कितना रुपया लगेगा, उसका कितना मुनाफा मिलेगा, कितनी सालाना रिटर्न निकल आयेगी। इसी तरीके से जो वेरियस सर्वे हुआ है उसका एक कम्पली सर्वे बना रहे हैं जो सबके सामने आ सके। माननीय अध्यक्ष, जो डिस्ट्रिक्ट बेकवर्ड नहीं कहलाये हैं उनके लिये भी राजस्थान सरकार की ओर से पूरी सहानु-

(श्री बरकतुल्ला खां)

भूति है। राजस्थान सरकार यह चाहती है उसके हर डिस्ट्रिक्ट में तरक्की हो, हर डिस्ट्रिक्ट में उद्योग और कारखाने लगें। बिना उद्योग और कारखानों के अन-एम्पलायमेण्ट दूर होने वाला नहीं है। तो हम खुद चाहते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ उद्योग अवश्य लगें। उसके लिये हमने सहूलियत दी हैं। माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो हमने निर्देश दिये हैं वे लोगों को उपलब्ध नहीं होते, उसके अन्दर ढील है, गलती करते हैं, जानबूझ कर डिले करते हैं तो उसके ऊपर सरकार कार्यवाही करेगी। जो शिकायत करना चाहते हैं इसलिये नहीं कि राजस्थान को बैकवर्ड रखना चाहते हैं बल्कि इसलिये कि राजस्थान को आगे बढ़ाना है। हमारे राजस्थान की एक तरफ पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है। अभी लड़ाई के अन्दर देखा किस तरह पाकिस्तान हम पर आक्रमण करता है और किस तरह उसके जवान हमारे देश में आने की कोशिश करते हैं। हम अगर इण्डस्ट्रियलाइज नहीं करते हैं तो यह हमारे लिये घातक ही होगा। राजस्थान केनाल आगे बढ़े, राजस्थान में कन्सट्रेशन आफ पापूलेशन हो, बैकवर्डनेस हटे और इण्डस्ट्रियली बेस्ड हो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे। हमारा दुश्मन जब भी हम पर आक्रमण करे हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। हमारी जनता पूरी सचेत रहे और सदैव सामना करने के लिये तैयार रहे···

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करूंगा सदन का समय माननीय मुख्य मंत्री का जवाब समाप्त न हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दें (विराम) सोरी। डिमाण्ड जब तक पारित न हो जाय, तब तक के लिये बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति है, डिमाण्ड पूरी न हो जाय तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

श्री बरकतुल्ला खां : तो माननीय अध्यक्ष,—मैं ज्यादा समय न लेते हुये इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा जिन इलाकों में वहां पर बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं किया गया है इस चीज को देखने का काम है कि अच्छे तरीके से हो और लोगों को एम्पलायमेंट मिले।

खादी और विलेज इन्डस्ट्रीज के बारे में हमारा अपना एक रवैया है, हमारी पार्टी और दल का रवैया है। उसको हम नहीं बदल सकते हैं। इन्डस्ट्रीज वहां पर लगें और हम यह चाहते हैं कि अपने घरों में भी बैठकर काम कर सकें। महात्मा गांधी ने हमेशा कहा है खादी का इस्तेमाल करें। हमने भी आत्म निर्भर होने के लिये इस चीज को अपनाया है। खादी उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों में हम इस बीसवीं सदी में पीछे न रह जायें। ऐसा न हो कि दुनियां चांद पर पहुंच रही है और एक तरफ हम बहुत पीछे रह जायें, एक तरफ ही पड़े रह जायें। सबको मिलकर काम करना होगा, बेकारी को दूर करना होगा, जमीन का बंटवारा होगा और सीलिंग आयेगा लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि आज जो सरप्लस लेबर है जो आसानी से मिलती है वह कम हो जाय।

(श्री बरकतुल्ला खां)

अब लोगों की यह भी आदत हो गई है कि दूसरे काम करें और खुद मौज उड़ावें और उसका मुनाफा खुद खावें। चाहे वह खेती में हों, चाहे घर में हों, कहीं पर भी हों इस बात का शौक हो गया है कि काम नौकर करें जिसको हम हुकुम दे सकें। कोई नौकर होना चाहिये जिसको हम अवाज दे सकें और इस देश के अन्दर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह यह है कि लोग इस स्थिति में न रहें कि किसी पर जातीय नौकरी करें या मजबूर होकर किसी दूसरे पर आश्रित हों। या तो खुद की जमीन हो जिसको खुदकाश्त कर सकें या कारखानों में उनकी जिन्दगी को आल्टरनेटिव मिलना चाहिये और वह नहीं मिलता है तब तक मैं समझता हूं कि जितनी भी हम बातें कर रहे हैं उसका मतलब कुछ नहीं है।

इसी तरीके से मैं एडवर्ड मिल के बारे में कहना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की और कोशिश करने के बाद हाई कोर्ट का जो आर्डर आया हुआ है उसके तहत में दाखिल नहीं होता और होता है तो कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट है इसलिए भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से बात करके तय किया है कि बहुत बड़े वकील को मुकर्रर कर दिया जाये जो कि कलकत्ता के अन्दर जाकर मुकदमे की पैरवी करे और जल्दी से जल्दी इन आर्डर्स को वेकेट कराये।

इसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी अब तक हमारे पास महालक्ष्मी मिल ब्यावर में थी उसने हमको बराबर घाटा दिया और अब पिछले तीन महीनों के अन्दर मुनाफे में आई और पिछले तीन महीनों के अन्दर मैं समझता हूं कि करीब 80 हजार रुपये का मुनाफा मिला और वह ह्रास डेप्रीसियेशन काटने के बाद मिला और मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से इस मिल ने अपना प्राफिट अर्न किया है उसी तरह से यह आगे बढ़ेगी और पुराना प्राविडेन्ट फण्ड, एरियर्स और पुराना कर्जा भी चुका सकेगी। इसके अन्दर मैं सबसे ज्यादा बधाई वहां के मजदूरों को देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने पेट पर पट्टी रखकर और मेहनत करके इस मिल को कामयाब बनाया और बता दिया कि जिसके बारे में लोग कहते थे कि घाटा है। अगर इन्सान में हिम्मत है और किसान में ताकत है तो स्क्रैप से फायदा दिखा सकते हैं जब कि बड़े बड़े सेठ कहते थे कि इसके अन्दर मुनाफा नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यही निवेदन करूंगा कि जो मांगें पेश की गयी हैं उनको पारित किया जाये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : राक फास्फेट को नेशनेलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री बरकतुल्ला खां : उसको तो कर ही रहे हैं। जहां तक राजस्थान सरकार का ताल्लुक है उसको तो यूटीलाइज कर रहे हैं। आपको मालूम है कि नेशनेलाइजेशन से तो वह स्टेट के तरीके से चलेगा। अगर आपका मतलब है कि एक कम्पनी को दे रखा है तो उसके बारे में राजस्थान सरकार सोच विचार कर रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने खाद के कारखाने और स्टील प्लान्ट के बारे में पूछा था उसका जवाब नहीं दिया।

श्री बरकतुल्ला खां : स्टील प्लान्ट के लिए तो भारत सरकार के राजस्थान इन्डस्ट्रियल मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन को लाइसेन्स मिलने के आदेश हो गये हैं। कहां लगेगा यह सोचना पड़ेगा। जहां सबसे ज्यादा मान्यता होगी और जहां सबसे ज्यादा एम्पलायमेन्ट मिल सकता है और उसके साथ ही साथ जहां ज्यादा मुनाफा देगा वहीं लगायेंगे। इसकी जांच और होगी।

श्री भीमसेन : जिस तरह से भीलवाड़ा को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किया है उसी तरह क्या बीकानेर इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं कराया जा सकता?

श्री बरकतुल्ला खां : आपके सुझाव को मानते हुए भारत सरकार को फारवर्ड कर देंगे और भारत सरकार एग्री कर लेगी तो अच्छा होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने खाद के कारखाने के लिये कहा था उसका क्या हुआ?

श्री बरकतुल्ला खां : इसका करीब-करीब फैसला हो चुका है। 250 करोड़ का कारखाना लगेगा और नीचे के लेवल पर और सब लेवल पर बातचीत हो चुकी है। उसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। मैं गवर्नर महोदय के एड्रेस पर भी कह चुका था इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुख्य मंत्री कहा कि हम औद्योगिकरण करेंगे लेकिन हम जिस तरह से एफर्ट्स करके सारी व्यवस्था को बदल पायेंगे वह बहुत मुश्किल लग रहा है। आज सारा का सारा पैसा भारत सरकार की तरफ से इसके नाम पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह जा रहा है और जो पिछड़े इलाके हैं जैसे राजस्थान उसको पैसा कम मिलता है। जो हमें सैन्ट्रल एड मिलती है उसकी तादाद जब तक बहुत बड़े रूप में नहीं बढ़ेगी तब तक औद्योगिकरण नहीं होगा और बड़े पैमाने पर काम नहीं होगा।

श्री केदारनाथ : फारेन कोलोबोरेशन से ट्रेक्टर का कारखाना खुलना था और खेती बाड़ी के इम्प्लीमेन्ट्स बनाने का कारखाना खुलना था, उसका क्या हुआ?

श्री केसरीमल (ब्यावर) : महालक्ष्मी मिल के मजदूरों को बहुत कम पैसा दिया जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री बरकतुल्ला खां : अब तो प्राफिट होने के बाद इस पर नये सिरे से सोचा जायेगा।

जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वह सही है। सब को मेहनत करके करना पड़ेगा और जहां बिजली पहुंचाने में मुश्किल आ रही है उन इलाकों में बिजली पहुंच जायेगी।

मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने काफी स्थिति साफ कर दी है और सदन मांगों को पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के संबंध

(श्री अध्यक्ष)

में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 88,70,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,05,07,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96 –औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी का लागत के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,10,28,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5 बजकर 8 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 5 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 272 सूची)

गत पांच वर्षों में तहसील बाड़मेर (राजस्व सर्कल गिडा) सहकारी समितियों को सस्ते खाद्यान्न का वितरण करने का ठेका दिया गया जिसका नाम निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम पंचायत	सहकारी समिति का नाम	वर्ष
(1)	गिडा	ग्राम सेवा सहकारी समिति गिडा	66-67
(2)	रतऊ	बायतु कोग्रापरेटिव सोसायटी रेतऊ	68-69
(3)	खोखसर	ग्राम सेवा सहकारी समिति खोखसर	68-69
(4)	सोहड़ा	,, सोहड़ा	68-69
(5)	सवाई पदमसिंह	,,	68-69
(6)	हीरे की ढाणी	,	68-69
(7)	शहर	,,	68-69
(8)	खारापार	,,	68-69
(9)	खारडा भारतसिंह	,,	68-69
(10)	कुम्पालिया	,,	68-69
(11)	परेऊ	,,	68-69

तहसील पचपदरा

(1)	बालोतरा	बालोतरा कोग्रापरेटिव मा. सोसायटी	66-67	68-69
(2)	बागावास	ग्राम सेवा सहकारी समिति	66-67	
(3)	पचपदरा सिटी	,, खाखाल	66-67	68-69
(4)	बान्देसरा	,, बान्देसरा	66-67	68-69
(5)	जसोल	,, जसोल	68-69	
(6)	बलाऊ	,, बलाऊ	,,	
(7)	थुम्बली	,, थुम्बली	,,	
(8)	डोली	,, डोली	,,	
(9)	कल्याणपुर	,, कल्याणपुर	,,	
(10)	साजीपाली	,, साजीपाली	,,	
(11)	अपरलाई	,, अपरलाई	,,	

गत पांच वर्षों की अवधि में जिन व्यक्तियों या व्यापारियों को निजी तौर पर सस्ता खाद्यान्न वितरण करने का ठेका दिया गया जिसके नाम निम्न प्रकार है :-

Page No 136

राजस्व सर्किल गिडा

क्र.. सं.	पंचायत का नाम	प्राईवेट व्यक्तियों के नाम	वर्ष	
(1)	परेऊ	दीपाराम तेजाराम	66–67	
(2)	रतेऊ	ताराचन्द त्रिलोकचन्द	66–67	
(3)	शहर	केवलचन्द राणामल	66–67	
(4)	खारादार	चिमनीराम पुत्र विशनराम	66–67	
(5)	सवाऊ मूलराज	प्रतामल शंकरलाल	66–67	
(6)	सन्तरा 1)	चम्पालाल सेजराम	66–67	
	,, 2)	भैरूसिंह चन्दनमल	68–69	
(7)	केसुम्बला	परवतसिंह करनसिंह	66–67	68–69
(8)	गिड़ा	हिमतराम थोगड़मल	68–69	
		तहसील पचपदरा		
(1)	थोब	हंसराज चुनीलाल	66–67	68–69
(2)	तिलवाडा	घेवरचन्द चन्दनमल	66–67	
(3)	पचपदरा सालू	राणामल केवलचन्द	66–67	
(4)	मूंगडा	हंसराज चुनीलाल	66–67	
(5)	गमोल	,,	66–67	
(6)	सखड़ो	ओमप्रकाश रमेशचन्द	66–67	
(7)	समराजिया	अखैराज डूंगरमल	66–67	68–69
(8)	पटौती नोर्थ	राणामल पुत्र निम्बाराम	66–67	68–69
(9)	बारलु 1)	मूलचन्द वल्द लालचन्द	66–67	68–69
	,, 2)	मिश्रीमल घेवरचन्द	--	68–69
(10)	कालवड़ो	वन्धराज घेवरचन्द	66–67	
(11)	पटौदी साऊथ	छगनराज बादरमल	68–69	
(12)	किरनोद	भंवरलाल बालप्रसाद	68–69	
(13)	टापरा	मुलतानमल हस्तीमल	68–69	
(14)	बागावास	अखैराज	68–69	
(15)	काकरला	धीगडमल घेवरचन्द	68–69	
(16)	कालेवा	भैराराम भगवानराम	68–69	
(17)	दूधवा	हुकमसिंह बैरीसालसिंह	68–69	
(18)	भूंगडा	रामचन्द्र नरसीमल	68–69	
(19)	कोरणा	पिरसिंह चुनीलाल	,,	

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 273 की सूची)

Boundary Statement of Kharait Gypsum Deposit

Starting 936 T. I. Point of A at a distance of 5200' North 24' West.

From	A to B	8500'	due East
From	B to C	5000'	due South
From	C to D	8500'	due West
From	D to A	5000'	due North

Total Area 1.52 Sq. miles

Sd/-

(A. K. Sinha)

Manager, Rajasthan Mines JU.

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 279 की सूची)

अकाल सहायता के धन से निर्मित रेस्ट हाऊस एवं अन्य भवनों की सूची

क्र. सं.	नाम रेस्ट हाऊस	नाम सिंचाई खण्ड जिसके अधीन निर्माण कार्य हुआ	राशि जो व्यय हुई
1	2	3	4
1.	भीमलत बांध की रेस्ट चौकी एवं आबजर वेशनहट।	अधिशाषी अभियन्ता खण्ड बून्दी	43663–00
2.	अडाई टेन्क रेस्ट चौक	,, बांसवाड़ा	23684–00
3.	रेस्ट चौकी भगौरा	,,	28120–00
4.	रेस्ट चौकी भगौरा की बाउन्डरीवाल	,,	5860–00
5.	रेस्ट चौकी लोहारिया	,,	24115–00
6.	इन्सपेक्शन हट तालाद्वारी बांध	सिंचाई खण्ड कांकरोली	8500–00
7.	इन्सपेक्शन हट, चौकीदार हट और स्टोर बड़ा वानुजो तालाव।	,,	4000–00
8.	इन्प्रेशन हट गोमुडा तालाव	,,	7500–00
9.	इन्सपेक्शन हट, चौकीदार हट और स्टोर	,,	2000–00
10.	इन्सपेक्शन हट, चौकीदार रेजिडेन्सी और स्टोर मान सरोवर तालाव	,,	6000–00
11.	रेस्ट चौकी आगुला तालाव	सिंचाई खण्ड विभाग	8920–00
12	रेस्ट चौकी उम्मेद सागर	,,	6720–00

Page No 139

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 280 की सूची)

	नाम सड़क	स्वीकृत राशि	व्यय
(4)	गउघाट से खानपुरा वाया	70-71।71-72	70-71।71-72
	वडौरा	रु. 70,000।73,000	रु. 710331।72997।-
	गउघाट से वपावर	0।14600-00	9882.00।13755.00

गऊघाट खानपुर वाया वडौर पार्ट ।
माप पुस्तिका नं. 530 पेज
4, 8, 18, 23, 93.
माप पुस्तिका न. 568 पेज 21

पार्ट 2

माप पुस्तिका नं 563 पेज
गोघाट से वपावर ए. बी.
564 पेज 3

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 281 की सूची)

सांचौर तहसील जिला जालौर में अकाल राहत के अधूरे बांधों की सूचीं।

क्र. सं.	बांध का नाम	कार्य चल रहा है या नहीं।	कब तक पूरा हो जायेगा
1	2	3	4
	(अ) जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है।		
1.	नेनोल क्रास बांध	चल रहा है।	जून 1973
2.	हूंडवा । बांध	,,	मार्च 1973
3.	सूथडी क्रास बांध	,,	,,
4.	सूराचन्द	,,	,,
5.	करीया	,,	,,
6.	बेमल	,,	मार्च 1674
7.	डरनऊ	,,	मार्च 1973
8.	गोमी	,,	,,
9.	इठवा	,,	,,
1).	हेमागुडा	,	मार्च 1974
11.	जोजूसन	,,	मार्च 1973
12.	खेबीयाली	,,	,,
13.	धींगपुरा	,,	मार्च 1974
14.	रतनपुरा	कार्य नहीं चल रहा है	मार्च 1973
15.	गलीफा	,,	,,
16.	कपूरीया	,	,,
17.	केसूरी	कार्य प्रगति पर है	,,
13.	सूग्रा की खाल	कार्य नहीं चल रहा हैं	,,
18.	(ग्र) जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति विचाराधीन है।		
19.	गुन्दाई	कार्य प्रगति पर है।	मार्च 1973
20.	हाकडा	कार्य प्रगति पर नहीं है	
21.	सांकरीया	,,	,,

Page No 141

1	2	3	4
22.	पमाना	कार्य प्रगति पर है।	मार्च 1974
23.	होती गांव	कार्य प्रगति पर नहीं है।	,,
24.	मालासर	कार्य प्रगति पर है।	मार्च 1973
25.	झाब	,,	मार्च 1974
26.	सांकड		मार्च 1973
27.	छीतलवाना	कार्य प्रगति पर नहीं है।	मार्च 1974

Page No 142

परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 294 की सूची)

भंगी कष्ट मुक्ति योजना के अन्तर्गत सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा किये गये कार्यों की सूची

वर्ष	नगर पालिकाओं की सं. जिन्हें प्रथम समाप्त करने के लिये राशि स्वीकृत की गई।	मैकेनिकल स्कूटर, बाल्टी, खुरपा आदि क्रय करने हेतु	निजि सूखे टारतों को फ्लश में परिवर्तन करने हेतु	सूखे सार्वजनिक टारतों को फ्लश में परिवर्तन करने हेतु	कुल
1	2	3	4	5	6
1969–70	30	20.45 लाख	15.35 लाख	10 लाख	45.80 लाख
1970–71	58	10.35 लाख	6.30 लाख	2.55 लाख	19.20 लाख
1971–72	68	204,000	4,02,000	3,23,000	9.29 लाख
	156	32.84	25.67	15.78	74.29

Page No 143

परिशिष्ट 7

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

जालान अस्पताल, रतनगढ में दवाइयों का प्रावधान

295. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(i) रतनगढ़ (चूरू) जालान होस्पीटल की दवाइयों के लिये वार्षिक क्या प्रावधान है ? सन् 1971-72 में दवाइयों पर वास्तव में कितना खर्चा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1949 से इस अस्पताल के लिये सालाना दवाइयों का प्रावधान यही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या दवाइयों के लिये यह प्रावधान इस अस्पताल के रोगियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है ?

(4) अब तक इस अस्पताल में दवाइयों की कमी की पूर्ति किस प्रकार की जाती रही है और जो अधिक खर्चा किया गया उसकी पूर्ति किस मद से या किस अस्पताल में कटौती करके की गई ?

उत्तर

(1) जालान चिकित्सालय एवं भूवाल का महिला चिकित्सालय दोनों की दवाइयों के लिये 31,000) रु. का प्रावधान है। सन् 1971-72 में जालान अस्पताल के लिये 21,200) रु. दवाइयों पर खर्च हुआ।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी हां।

(4) जब कभी ऐसी कठिनाई सामने आई तो अन्य मदों की बचत में से (Reappropriation) अधिकतर खाद्य सामग्री मद में से किया जाता रहा है।

सीपेज की समस्या

296 **श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद)**: क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में चम्बल कमांड क्षेत्र में नहरों के कारण सीपेज की समस्या भयंकर हो गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीपेज के कारण नहरों के आस पास की भूमि ऊसर हो गई है और बढ़ती जा रही है।

(3) क्या यह भी सही है कि इसके कारण किसानों को अपना उत्पादित अन्न खेतों से खलिहान, खलिहान से घर या मण्डियों में लाना कठिन हो रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त विषय पर विचार कर ड्रेनेज बनवाना आवश्यक समझा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कब और क्या कदम उठाया ?

(5) किसानों को इस भयंकर स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

Page No 144

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, कोटा जिले के चम्बल सिंचित क्षेत्र में नहरों के कारण सीपेज की समस्या उत्पन्न हो गई है।

(2) जी हां, कुछ क्षेत्रों में सीपेज के कारण नहरों के आस पास की भूमि ऊसर हो गई है। यह समस्या सीपेज तथा कृषकों के द्वारा पानी के अप व्यय के कारण बढ़ती जा रही है।

(3) जी नहीं, किसानों को अपने उत्पादित अन्न को लाने ले जाने में कठिनाई सीपेज के कारण नहीं बल्कि खेतों में अधिक पानी देने धोरों के काट देने आदि के कारण होती है, जिससे गडारें पानी से भर जाती है।

(4) जी हां, इस हेतु कुछ क्षेत्रों में ड्रेनेज बनवाई गई तथा पूरे चम्बल कमांड के प्रभावित क्षेत्र में ड्रेन्स बनवाने के लिए 9.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक कोम्प्रोहान्सिव ड्रेनेज स्कीम बनाकर केन्द्रीय जल विद्युत आयोग को भेजी गई है।

(5) उपरोक्त ड्रेनेज कोम्प्रीहान्सिव स्कीम की स्वीकृति के पश्चात् जैसे जैसे आवश्यक धनराशि उपलब्ध होगी. ड्रेन्स बनवाने का कार्य करवाया जावेगा।

बीकानेर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत खर्च की गई राशि

297. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्रेश प्रोग्राम फार रूरल अन्-एम्पलायमेंट के अन्तर्गत किस किस कार्य में कुल कितनी कितनी राशि अब तक खर्च की गई है?

(2) लक्ष्य से कम राशि खर्च होने के क्या कारण हैं एवं इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

(3) जिला बीकानेर में उपरोक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य में कुल कितना रुपया इस वर्ष के अन्त तक व्यय हो सकेगा?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च न होने के मुख्य कारण प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति देने में समय लगना, कई जिलों में अधिक वर्षा हो जाना, कृषि कार्य में व्यस्त रहने के कारण मजदूर न मिलना, सीमान्त जिला भारत-पाक युद्ध हो जाने इत्यादि रहे हैं। इनके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(3) बीकानेर जिले के सड़क निर्माण कार्य के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। अतः यह इस समय बताना सम्भव नहीं है कि इस वर्ष के अन्त तक कितनी राशि व्यय हो सकेगी। भारत सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार 12.50 लाख की राशि का इस जिले में इस वर्ष में खर्चा होने का प्रावधान है।

क्रेश प्रोग्राम फार रूरल एम्पलायमेन्ट के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों पर हुए व्यय का विवरण

क्रम संख्या	नाम जिला	सड़क निर्माण कार्य पर व्यय	सिंचाई कार्यों पर व्यय	वन कार्यों पर व्यय	भू-संरक्षण कार्यों पर व्यय	प्राथमिक पाठशालाओं के निर्माण कार्यों पर व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	चित्तौड़ गढ़	51,669-69	38,581-73	19,728-34	39,071-00	
2.	झालावाड़	67,179-81	2,305-50	98,173-69	38,192-50	
3.	सवाई माधोपुर	1,42,024-00	86,136-00	—	—	
4.	गंगानगर	3,33,403-00	1,06,375-00	—	—	
5.	जालौर	5,25,514-86	7,335-14	11,074-00	21,466-50	
6.	नागौर	5,893-36	95-33	9,384-48	—	
7.	सीकर	58,271-83	1,10,030-67	26,431,10	43,487-18	
8.	भरतपुर	—	-1,08,089-48	—	—	
9.	भीलवाड़ा	2,08,014-47	5,32,660-40	1,96,174-18	3,731-00	
10.	बाड़मेर	55,527-41	—	—	—	
11.	कोटा	1,23,293-00	14,142-00	—	—	
12.	जोधपुर	6,19,890-63	—	—	—	
13.	झुन्झुंनू	45,705-00	14,150-50	—	—	
14.	बांसवाड़ा	44,028-69	70,484-97	3,617-46	8,574-10	
15.	बीकानेर	—	1,00,894-81	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
16.	अलवर	44,266-26	20,878-69	—	—	
17.	जैसलमेर	2,63,000-00	—	—	—	
18.	जयपुर	2,95,160-06	1,47,474-75	—	11,306-00	
19.	चूरू	3,21,212-09	1,738-30	1,777-00	—	
20.	डूंगरपुर	3,26,370,76	1,99,754-92	1,25,608-05	5,98,266-27	
21.	उदयपुर	15,00,672-49	57,599-65	57,801-90	29,535-35	
22.	पाली	29,368-41	49,523-77	—	1,34,629-23	
23.	बून्दी	2,27,392-77	762-12	—	—	
24.	टोंक	4,09,015-39	2,49,975-19	—	—	
25.	सिरोही	4,00,734-76	99,672-64	—	51,664-10	
26.	अजमेर	6,52,512-02	2,73,364-91	—	42,045-34	2,88,000-00

परिवार नियोजन के अन्तर्गत बांसवाडा जिले में खर्च हुई राशि

2»8. श्री नाथूराम (बागोडोरा) : क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—-

(1) बांसवाड़ा जिले में 1961 के मुकाबले 1971 की जनगणना में जनसंख्या की वृद्धि का क्या प्रतिशत रहा तथा इस दृष्टि से राज्य में इस जिले का कौन सा स्थान रहा ? इस वृद्धि के क्या कारण है ?

(2) बांसवाड़ा जिले में विगत 5 वर्षो में परिवार नियोजन के अन्तर्गत किस किस मद में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई ? 31-3-72 को कितने कितने कर्मचारी किस किस संवर्ग में कार्य कर रहे थे उनमें कितने कितने आदिवासी व स्थानीय कर्मचारी थे ?

(3) गत वर्ष परिवार नियोजन के कितने कैम्प जिले में लगे और उनकी क्या उपलब्धि रही ?

(4) क्या यह सही है कि जिला परिवार नियोजन अधिकारी बांसवाड़ा का व्यवहार आम जनता के साथ ठीक नहीं होने से परिवार नियोजन कार्यक्रम को जिले में धक्का लगा ? यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में जो शिकायत गत दिसम्बर-जनवरी में प्राप्त हुई उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) परिवार नियोजन कार्यक्रम पर प्रशासनिक व्यय में कमी की जाकर जनसाधारण की प्रेरणा व सहज सुविधा उपलब्ध हो इस निमित्त क्या सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो एस्टीमेट कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत 1961 के मुकाबले में 1971 में 37.81 रहा। जनसंख्या की वृद्धि में जिले का स्थान प्रथम रहा। सम्भवतया इस वृद्धि का कारण आदिवासी लोगों का अनपढ़ होना अन्धविश्वास, बहुविवाह, तथा परिवार कार्यक्रम अपनाने में संकोच हो सकता है।

(2) बांसवाड़ा जिले में विगत 5 वर्षों में परिवार नियोजन के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि एवं मद का ब्यौरा संलग्न है। 31–3–7 को कार्यरत कर्मचारियों की ब्यौरे की सूची संलग्न है।

(3) वर्ष 19 /1–72 में जिले में परिवार नियोजन की विभिन्न इकाइयों द्वारा 223 शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 564 नसबन्दी एवं 233 लूप सम्पन्न किये गये।

(4) जी हां, शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें परिवार नियोजन से स्थानान्तरण करने का निर्णय किया गया।

(5) ऐसी कोई योजना तो कार्यान्वित अभी नहीं की गई परन्तु जिले में सघन कार्यक्रम द्वारा उपलब्धियां अधिक प्राप्त कर प्रति केस पर व्यय कम किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम गौरव योजना व अन्तर्जिला तथा अन्तपंचायत समिति प्रतियोगिता सम्बन्धी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं। इसके साथ-साथ समिति द्वारा दिये सुझाव भी विचाराधीन है।

पद का नाम	कुल संख्या अधिकारियों व कर्मचारियों की 31–3–72	स्थानीय कर्मचारियों की संख्या 31–3–72	आदिवासी कर्मचारियों की संख्या 31–3–72
1. जिला परिवार नियोजन अधिकारी	1	–	–
2. चिकित्सा अधिकारी	2	–	–
3. प. नि. शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी	1	–	–
4. लेखालिपिक	1	1	–
5. वरिष्ठ लिपिक	5	2	–
6. स्टेनो टाइपिस्ट	1	1	–
7. कनिष्ठ लिपिक	1	–	–
8. सांख्यिकि सहायक	1	–	–
9. कम्प्यूटर	6	3	–
10. आपरेटर	1	–	–
11. नगर परिवार नियोजन शिक्षा प्रसारक	1	–	–
12. समाज कल्याण कार्यकर्ता	1	–	–
13. खण्ड शिक्षा प्रसारक	1	–	–
14. प्रसारिका	36	–	–
15. महिला स्वास्थ्य व शिक्षा	4	–	–
16. ड्राईवर	6	1	–
17. स्वास्थ्य सहायक	22	7	1
1[illegible]. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	10	–
	101	25	1

Statement Showing Expenditure by the Head of Account during last 5 years
District Banswara (Rajasthan).

S. No.	Budget Head	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	Grand Total	Remarks
1.	Pay of Officer.	11984	11489	11539	23383	21121	79546	
2.	Pay of Establishment.	26938	56827	83356	163410	119860	391580	
3.	Dearness Allowance.	24640	52203	74612	93902	117890	383158	
4.	Travelling allowance.	8397	1750	20864	24363	34797	100173	
5.	Other Allowance.	..	..	..	..	..	..	
6.	Service postage & Tele-grams	2112	1220	2290	2390	3216	11807	
7.	Liveries	2377	1930	2344	2278	2730	11883	
8.	Books periodicals	72	43	50	60	64	309	
9.	Light, Water	330	323	738	735	1028	3130	
10.	Purchase of Furniture.	6893	783	..	1952	2035	10672	
11.	P.R. of Furniture.	..	49	491	..	502	1041	
12.	Maintenance of Vehicle POL.	7941	16147	23442	21767	26283	97780	
13.	-do- (repairs). ..	..	..	..	2723	3967	9695	
14.	Drugs & Medicines	8667	11460	11110	5493	3672	41392	
15.	Equipment & Instrument.	2152	1183	1006	200	378	4921	
16.	Publicity & Propaganda.	45 31	17377	9943	984	2885	35403	
17.	Incentives & Award.	20161	14605	23485	31066	23082	114389	
18.	Other Petty Items.	3788	1571	3139	2254	5141	13013	
19.	Clothing & Bedding.	773	..	409	..	1860	2832	
20.	Rent for accomodation.	4972	3422	5797	2429	4191	23811	
	TOTAL—	139821	204271	278697	320108	374758	1317455	

जगर बान्ध नहरों के डूब में आई भूमि का मुआवजा

209. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन):– क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिन्डौन तहसील के जगर बांध की नहरों के निर्माण कार्य में किस किस काश्तकार की कितनी कितनी जमीन किस किस सन् में ली गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि नहर-निर्माण के लिए काश्तकारों की जो जमीन ली गई है उसका मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी, हां क्योंकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा एवार्ड अभी तक नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल के अन्तर्गत नागौर जिले में सड़कों का निर्माण कार्य

300. श्री **जेठमल बरवड़** (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) अकाल के अन्तर्गत नागौर जिले में किन किन सड़कों का निर्माण कराया गया था और उनमें से कितनी सड़कें पूरी हो गई है, और किन किन को डामर को सड़कों में परिवर्तित किया गया है, और करादी गई है ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सड़कों के दोनों तरफ मुरड़ के ढेर पड़े हुए हैं और उसको आज तक सड़क पर नही डाला गया है ? यदि हां, तो क्यों और वह मुरड़ कब तक बिछा दिया जायगा ?

(3) क्या यह सही है कि परबतसर बिदारा वाया कणसरिया, कालटेडा, हरसोर वाया रिड़ सड़कों का निर्माण अकाल के अन्तर्गत किया गया है, जिन पर मुरड़ डालने का कार्य अधूरा ही रहा और सड़कों की हालत ज्यादा खराब हो गई है ? यदि हां, तो उन्हें सुधारने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है, और कब तक सड़क पर पूरा मुरड़ डाल दिया जायगा ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है ?

(2) सहायता कार्यों में सड़क निर्माण हेतु मुरड़ साइट पर लाई गई थी जो सहायता कार्यों के समाप्त होने पर उपयोग में नहीं लाई जा सकी है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) जी हां, यह सड़कें विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 151

परिशिष्ट संख्या

(समयाभाव के कारण न लिए गये प्रश्नोत्तर)

पंचायत समिति रूपवास के गांवों का विद्युतिकरण

301. श्री नत्थीसिंह (नदबई) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रूपवास पंचायत समिति (भरतपुर) के किसी गांव में बिजली पहुंचाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब वहां कब तक बिजली पहुंचाई जावेगी ? गांवों की सूची सदन की मेज रखने का कष्ट करें।

(2) क्या तहसील बयाना (भरतपुर) के ग्राम अहमदपुरा, गाजीपुर, खैरेरी, बागरन, मौरोली, जसपुर सालाबाद, वीरमपुरा फरसों पिपावली, खोरा, बरखेड़ा इत्यादि गांवों में बिजली पहुंचाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ कराया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं क्योंकि अब तक स्वीकृत योजनाओं में शामिल नहीं थे। सन् 1971–72 के अन्तर्गत रूपवास पंचायत समिति के 13 गांवों को आर. ई. सी. योजना में शामिल किया गया है। इनकी स्वीकृति ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा दी जा चुकी है। योजना का कार्य चालू वर्ष में प्रारम्भ किया जावेगा इन 13 गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी हां। इस बार आई. ई. सी. योजना का कार्य चालू वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

LIST OF LOCALITIES OF PANCHAYAT SAMITI ROOPBAS INCLUDED IN THE R. E. C. SCHEME

S. No.	Name of Locality	Panchayat Samiti
1.	Dumriya	Roopbas.
2.	Uchchain	,,
3.	Kidawal	,,
4.	Pichuna	,,
5.	Bhaisa	,,
6.	Khundasa	,,
7.	Dhhinagaon	,,
8.	Raseelpur	,,
9.	Nibhera	,,
10.	Bargha	,,
11.	Loharda	,,
12.	Khanuwa	,,
13.	Roopbas	,,

[redacted]

करौली सब–डिवीजन के सरकारी बान्ध

302. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही क करौली सब-डिवोजन में कितने ही सरकारी बांध हैं जो कई वर्षों से टूटे पड़े हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने बांध हैं ? पंचायत वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी, नहीं।

हरिजन बस्ती सीकर में बिजली की व्यवस्था

303. श्री गोरधन सिंह (सीकर) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हाल ही के चुनाव के दौरान हरिजन बस्ती सीकर शहर में बिजली लगाने के लिए कुछ राशि की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो कितनी, कितनी राशि के खम्भे व सामान खरीदा गया और उन खम्भों का कितना उपयोग इस हरिजन बस्ती में किया गया और कितनों का उपयोग सीकर के अन्य वार्डों में किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) हरिजन बस्ती के लिये सरकार द्वारा सीकर खास में व पंचायत समिति धोंध के क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि अनुदान व ऋण के रूप में विभाग द्वारा दी गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। हाल के चुनाव के दौरान सीकर शहर की हरिजन बस्ती में बिजली लगाने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) वर्ष 1971–72 में सीकर खास में 11 अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रति परिवार 1,000) रुपये की दर से 11,900) रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसी वर्ष में पंचायत समिति धोंध के क्षेत्र में कोई राशि अनुदान व ऋण के रूप में इस विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।

राजकीय अस्पताल, गंगानगर

304. श्री केदार नाथ (गंगानगर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गंगानगर शहर के सरकारी अस्पताल को 'बी' क्लास में तब्दील किया गया ?

(2) राज्य सरकार ने इसके भवन निर्माण के लिये आज तक कितनी धनराशि दी है और कितना धन जनता से इकट्ठा किया गया तथा पिछले तीन माह में कितने मरीज इलाज के लिये इस अस्पताल में आये तथा कितने भर्ती किये गये ?

(3) इस अस्पताल के डॉक्टरों की संख्या क्या है तथा प्रत्येक डॉक्टर यहां कितने अर्से से काम कर रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) व (2) उक्त अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्राप्त हुई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1. राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि 1,00,000) रु.

2. जनता से दान के रूप में प्राप्त नगद राशि 86,445) रु.

3. जनता से दान के रूप में लगभग 25,000) रु. से निर्मित भवन प्राप्त हुये।

4. पिछले तीन माह में दिनांक 23-1-72 से 22-4-72 तक उक्त अस्पताल में उपचार किये गये रोगियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

आउट डोर रोगी	इन्डोर रोगी
35160	1834

(3) वर्तमान समय में इस अस्पताल में कुल डॉक्टर कार्यरत हैं जिनकी ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में कार्यरत डाक्टरों की सूची

क्रम सं.	नाम डॉक्टर	पद	गंगानगर अस्पताल में नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	डॉ. एस. एम. गुप्ता एम. एस.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	9-6-70
2.	,, एस. सांखला एम. डी.	जूनियर स्पेशलिस्ट	9-10-1961
3.	,, ए. एस. गहलोत एम. एस.	स्पेशिलिस्ट	14-11-62
4.	,, एल. एन. बांसल ,,	,,	5-7-71
5.	,, एस. एस. भार्गव ,,	,,	9-2-71
6	,, (मिस) पी. एल. जौहरी ,,	,,	7-8-71
7.	,, श्याम सुन्दर सिंह एम. डी.	सी. ए. एस.	2-12-63
8.	,, आर. एम. माथुर ,,	,,	29-3-72
9.	,, ए. आर. दास	,,	4-7-70
10.	,, एस. डी. सूद एम. एस.	,,	1-8-66
11.	,, मनोहरसिंह	,,	13-1-69
12.	,, डॉ. पी. ठक्कर	,,	1-3-66
13.	,, मोमन राम जांगू	,,	6-6-66
14.	,, एम. पी. अग्रवाल	,,	30-11-70
15.	,, ओ. पी. गोयल	,,	7-12-70
16.	,, ए. रोशनलाल गुप्ता	,,	27-9-71
17.	,, भंवरलाल वर्मा	,,	16-11-71

1	2	3	4
18.	श्री एच. आर. पंवार	सी.ए.एस.	19-11-71
19.	,, जी. एस. हेयर	,,	25-6-71
20.	,, एस. पी. माथुर	,,	25-8-70
21.	,, के. एम. तनेजा	,,	16-8-70
22.	,, (मिस) जनक ऐरो	,,	3-11-71
23.	,, (श्रीमती) सरोज मलहोत्रा	,,	31-12-71
24.	,, पृथ्वी राज सैनी	,,	5-11-71
25.	,, आर. सी. सैनी	,,	6-4-72

सुजानगढ़, रतनगढ़ व चूरू तहसीलों के खेतों की पैमाइश

305. **श्री रावतराम (छापर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुजानगढ़, रतनगढ़ व चूरू तहसील के खेतों की पैमाइश कब शुरू हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि पैमाइश का रेकार्ड रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को सौंप दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि लम्बी अवधि तक पैमाइश का रेकार्ड नहीं सौंपने से सम्बन्धित काश्तकारों को बहुत परेशानी होती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सुधार के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) तहसील सुजानगढ़, रतनगढ़ व चूरू के बन्दोबस्त का कार्य क्रमशः सन् 1964-65, 1967-68 व 1968-69 में प्रारम्भ हुआ था।

(2) पैमाइश का रेकार्ड रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को नहीं सौंपा गया है। चूंकि अभी रेन्ट रेट्स अनुमोदित नहीं हुई हैं।

(3) यह सही नहीं है।

प्रतापगढ़-पिपलोदा सड़क पर पुलियों का निर्माण कार्य

306. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ से पिपलोदा सड़क पर कितनी पुलियाएं बन चुकी हैं और कितनी बनना बाकी हैं ? जो पुलियाएं बननी बाकी हैं वे कौन कौन सी पुलियाएं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बड़े-बड़े नालों पर पुलियायें नहीं बनने से वर्षा काल में आवागमन बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो बाकी पुलियाओं का कार्य कब चालू कर खत्म कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) 39 पुलियाएं बन चुकी हैं। 3 पुलियां व 4 ह्यूम पाइप कलवर्ट क्रमशः

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
बरखेड़ी नाला शिवना नदी निनोर नाला तथा चार पाइप पुलिया सड़क के 10, 12, 21 तथा 22 कि. मी. में शेष हैं।

(2) जी हां, अधिक वर्षा के पानी आने पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है? पुलिया बनने के बारे में अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

घोटाले की शिकायत

307. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सिंचाई डिवीजन झालावाड़ में लाखों रुपयों के घोटाले की शिकायत दिनांक 22-3-71 को मंत्री, मुख्य मंत्री, चीफ इन्जीनियर सिंचाई तथा जन अभियोग निराकरण विभाग, राजस्थान, जयपुर को की गई? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां, श्री राम प्रसाद बोहरा की दिनांक 22-8-71 की एक शिकायत जो माननीय मुख्य मंत्री को लिखी गई थी और जिसकी प्रतिलिपि सिंचाई मन्त्री को व मुख्य अभियन्ता सिंचाई को दी गई थी, प्राप्त हुई। जन अभियोग निराकरण विभाग राजस्थान को की गई शिकायत के बारे में इस विभाग को ज्ञान नहीं है। दिनांक 22-8-71 की शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत्त अजमेर के द्वारा की गई। शिकायत में वर्णित क्रम सं. 10 पर सहायक अभियन्ता झालावाड़ को दोषी पाया गया तथा नियमानुसार उन्हें चेतावनी दे दी गई है। शिकायत में वर्णित कुछ मुद्दों पर जो क्रम संख्या 6 से 8 पर वर्णित है अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत्त अजमेर को पुनः जांच करने हेतु लिखा गया है। जांच अभी जारी है रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

खानपुर निर्वाचन क्षेत्र के गांवों का विद्युतिकरण

308 श्री गोरीशंकर (खानपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खानपुर क्षेत्र की 95 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और इस क्षेत्र की भूमि मैदानी और बहुत उपजाऊ है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में बिजली का प्रसार बहुत कम हुआ है, जबकि यहां, की 75 प्रतिशत भूमि असिंचित है? यदि हां, तो सरकार 72-73 में इस क्षेत्र के किस किस गांव को बिजली देगी?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र के सरोता कलां, दहीखेड़ा, पकवाड़ा आदि ग्रामों को बिजली देने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही हो सकता है पर विद्युत् मण्डल को इसकी जानकारी नहीं है?

(2) निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर सूचना विद्युत् मण्डल में एकत्र नहीं की

(विद्युत् मन्त्री)

जाती। तथापि, जहां तक जानकारी है, इस निर्वाचन क्षेत्र में बिजली दी जा चुकी है। राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल बिजली के प्रसार की इकाई जिले को मानता है। अब तक जिला झालावाड़ के 13.6 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। 1972–73 का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है।

(3) अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। प्रश्न नहीं उठता। किसी भी क्षेत्र के हरेक गांव का विद्युतिकरण शीघ्र किया जाना सम्भव नहीं है। वैसे यह गांव जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा अनुमोदित भी नहीं है।

अमर चन्दिया तालाब की पाल

309. **श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा तहसील के अमर चन्दिया तालाब की पाल टूट गई है? यदि हां, तो उसकी क्या व्यवस्था सोची गई है?

(2) क्या यह सत्य है कि तालाब की पाल टूटने से कई गांवों के बह जाने एवं जमीन के क्षतिग्रस्त हो जाने की सम्भावना है?

(2) क्या गत वर्ष वर्षा में इस रास्ते से बस यातायात रोक दिया गया था? यदि हां, तो क्यों तथा अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां, केवल फेसवाल क्षतिग्रस्त हुई थी, पाल टूटी नहीं थी। इनको ठीक कराने का तखमीना बनाया जा चुका है तथा काम शीघ्र ही चालू किया जा रहा है।

(2) जी नहीं, क्योंकि मरम्मत का कार्य चालू किया जा रहा है। और आगामी बरसात से पहले पूरा हो जाने की आशा है। इसलिए कोई क्षति होने की सम्भावना नीं है

(3) जी नहीं, बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण बस यातायात अवरुद्ध हो गया था। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के तालाब से कुछ दूर नीचे रास्ता बना दिया है जिससे यातायात चालू है।

उदयपुर-भीलवाड़ा, भीलवाड़-अजमेर मार्गों का राष्ट्रीयकरण

310. **श्रीमती निर्मला शक्तावत (चित्तौड़गढ़)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना को कब से अमल में लाया गया?

(2) क्या यह सही है कि बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना स्वीकृत हो जाने पर भी उदयपुर-भीलवाड़ा, भीलवाड़ा-अजमेर मार्गों पर निजी बसें चल रही हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इन मार्गों पर निगम की बसें कब तक चलेंगी?

(यातायात मन्त्री)

उत्तर

(1) राज्य में बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना को दिनांक 26-1-61 से अमल में लाया गया।

(2) जी नहीं। इन मार्गों के राष्ट्रीकरण की योजना को न्यायालयों के स्थगन आदेश के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। निगम की बसें चलाई जा सके इसके लिये विधि विभाग से सलाह ली जा रही है तथा आगे शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी। इसलिये इन मार्गों पर निजी बसें चल रही हैं। याजना के स्वीकृत हो जाने पर निगम की बसें चलाई जावेंगी।

ग्राम पंचायतों के चुनाव

311 श्री मीठालाल (लालसोर)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):–क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि राज्य में ग्राम पचायतों के चुनाव हुए कई साल हो गये हैं?

(2) क्या यह सच है कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभि भाषण में पंचायतों के चुनाव शीघ्र करवाने के लिये संकेत दिया है?

(3) यदि हां, तो उक्त बातों को मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार राज्य में शीघ्र चुनाव करवायेगी?

(4) यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में ग्राम पंचायतों के गत चुनाव माह जनवरी सन् 1965 में हुये थे।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) अभी चुनाव का दिनांक निश्चित नहीं किया गया है।

बून्दी जिले की सडकों का निर्माण कार्य

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बून्दी जिले में कौन कौन सी सडकें प्लान में हैं और किस किस सडक का निर्माण कार्य कब कब शुरू होने वाला है?

(2) बूंदी केशवराय पाटन रोड पर सालाना रिपेयर के लिये कितना रुपया मंजूर हुआ और किस वर्ष में कितना रुपया इस सड़क पर खर्च किया गया?

(3) क्या बिजोलिया कोटा रोड का कार्य इस पंचवर्षीय योजना में शुरू हो सकेगा?

(4) बूंदी जिले में विभाग द्वारा गत 15 वर्षों में कितना रुपया खर्च किया गया?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) मरम्मत धनराशि सड़क वार न देकर डिविजन को इकजाई दी जाती है सड़क पर व्यय की गई धनराशि का विवरण सूची (व) में अंकित हैं ?

(3) बिजोलिया कोटा के नाम से सड़क स्वीकृत नहीं है कासीया डाबी भीलवाड़ा कोटा के नाम से सड़क स्वीकृत की गई है जिसका कार्य वित्तीय साधनों के अनुसार पूरा कराया जाना सम्भव हो सकेगा ?

(4) वर्ष 1962-63 से 71-72 तक के उपलब्ध आंकड़े सूची (ब) में अंकित हैं ?

सूची (अ)

क्रम संख्या 1	नाम सड़क 2	3
(1)	एम. आर. इटावा से लाखेरा वाया-लवान	मार्च 1969 से पूर्व स्वीकृत आइटम नं. 1 से 1
(2)	एम. आर. केशोराय पाटन से लवान	
(3)	मेंटलिंग शेष मील बूंदी लाखेरी रोड़ वाया गेन्डोली मयकोस डिनेज कार्य	—
(4)	एम. आर. तलवास से जेतपुर मयकोस डिनेज वर्क्स ।	
(5)	एम. आर. जहाजपुर हिन्डोली नेनवा उनियारा रोड ?	
(6)	बी. टी. कोटा से लाखेरी वाया लवान	मार्च 69 से काम चालू किया था ।
(7)	एम. आर. बूंदी में लोइजा वाया सिलोरा	
(8)	बी. टी. कोटा ईटावा लाखेरी रोड	
(9)	एम. आर. इन्द्रगढ से देह्री वाया करवार	
(10)	एम. आर. बूंदी रोड में गुढा डेम	
(11)	सुधार बूंदी चित्तोडगढ रोड़ —	वर्ष 1969—70 तथा 70—71 में स्वीकृत कार्य 70—71 में काम चालू किया था ।

1	2	3
(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)		
(12)	डामर मिसिंग लिंक भीलवाड़ा कोटा रोड	– वर्ष 71-72 में स्वीकृत कार्य।
(13)	एम. गरडा से भोपालपुरा	– आइटम संख्या 12 का कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है
(14)	एम. आर. एप्रोच बंघन, से कोटा बूंदी रोड।	तखमीने की जांच की जा रही है। शेष आइटम 13 से 15 के कार्य प्रगति पर है?
(15)	एम. आर. बूंदी दरा का नया गांव ?	

सूची व

नोट :–बूंदी से तालेडा का भाग बूंदी कोटा रोड का अंग है अतः बूंदी से तालेड़ा भाग को मरम्मत धनराशि पृथक में दिया जाना सम्भव नहीं है। तालेडा केशोरायपाटन सड़क पर मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न है?

वर्ष	धनराशि
66–67	234,284–00
67–68	29,508–00
68–69	31,451–00
69–70	38,036–00
70–71	37,486–00
71–72	56,535-00

सूची अनुच्छेद (4)

बूंदी जिले से वर्ष 62-63 से 71–72 तक प्लान में नई सड़कों हेतु व्यय की गई धनराशि के आंकड़े।

62–63	3,35,205।–
63–64	2,92,354।–
64–65	4,16,929।–
65–66	4,44,857।–
66–67	4,68,373।–
67–68	2,18,023।–
68–69	3,34,817।–
69–70	3,63,547।–
70–71	6,14,631।–
71–72	8,57,548।–

परिशिष्ट 8 की सूची

अ. प्र. संख्या 96

सन् 1969-70 तथा 1970-71 की अवधि में सिंचाई विभाग के कई इंजीनियर्स, ओवरसियर्स एवं अन्य अधिकारियों ने गुजरात प्रान्त को यात्राएँ सरकारी कार्य के लिये की उसकी सूची ।

क्र.स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद	यात्रा स्थान	यात्रा का प्रयोजन	तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री जगदीश राय कोशिक, सहायक अभियन्ता सिंचाई टिब्बूटी उप खण्ड द्वितीय उदयपुर।	अहमदाबाद	आईरन रोड खरीदने हेतु	22-2-70 से 24-2-70
			"	1-12-70 से 4-12-70
2.	श्री जगदीश पुरी अधिशासी अभियन्ता जवाई कनाल खण्ड सुमेरपुर।	अहमदाबाद	सेई प्रोजेक्ट पर बनाई जाने वाली मेगजीन के लिए एक्स प्लोजिव लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु :	15-5-70 से 26-5-70
3.	श्री सम्पत राज जैन, अधिदर्शक (मेकनिकल) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सेई परियोजना खण्ड सुमेरपुर ।	"	किरलोसकर ब्रमवेड स्पर कम्प्रेसर टाइप 380 के स्पेयर पार्ट एवं तक हेमर टाइप सी. बी. 600 लेने हेतु ।	7-7-70 से 9-4-70
4.	श्री भूर चन्द जैन अधिशासी अभियन्ता सिंचाई सेई प्रोजेक्ट खण्ड सुमेरपुर ।	सु[illegible]र नगर	न्यूमेटिक लोडर की इन्क्वायरी करने हेतु	17-10-70 से 18-1970
5.	श्री अब्दुल हमीद अन्सारी स्टोर कीपर कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बून्दी ।	अहमदाबाद	सीमेन्ट खरीदने हेतु	12-5-70 से 15-5-70

1	2	3	4	5
6.	श्री एम. पी. जैन कनिष्ठ अभियन्ता सेई प्रोजक्ट डिविजन सुमेरपुर	अहमदाबाद	रमा पिचिंग के लिए सामान प्राप्त करने हेतु ।	30-12-70 से 2-1-71
7.	श्री हरिनारायण माथुर सहायक अभियन्ता कैनाल स्ट्रक्चर सिंचाई विभाग, जयपुर ।	"	स्टेडी टयूर ।	14 जुलाई से 22 जुलाई 1969।
8.	श्री एस. आर. कटारिया अधिशासी अभियन्ता एवं उप निर्देशक डिजाइन एण्ड स्पेसिफिकेशन डेम्स एण्ड कैनाल्स सिंचाई विभाग, राजस्थान जयपुर	"	कडाना बांध के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करते हेतु ।	10-2-70 से 14-2-70
9.	श्री प्रबासमली स्टोर कीपर	"	फेमिन रिलीफ के कार्य के लिए ए.सी. सीट की दर मालूम करने हेतु एवं मसर्स किलिक निक्सन को स्पेयर पार्टस का विवरण देने हेतु जो की कम पाये गये ।	7-9-69 से 10-9-69
10.	श्री आर. एन. सचदेव सहायक अभियन्ता देवबास स्टेज उदयपुर ।	"	ट्रक की बोडी बनाने के कार्य हेतु ।	31-5-69

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 4 मई, 1972)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
2	9	का	को
3	अन्तिम से 10	सदस्य	सदस्या
9	,, 12	ब	कब
25	,, 5	27 मैंन ही	27 में नहीं
42	,, 9	श्री सुरेन व्यास	श्री सुरेन्द्र व्यास
53	,, 5,13,19	श्री मूलचन्द सांवरिया	श्री मूलचन्द सांमरिया
56	5	श्री सुरन्द्र व्यास	श्री सुरेन्द्र व्यास
59	12	उपेक्षा	अपेक्षा
60	9	प्रश्नोत्तार	प्रश्नोत्तर
75 से 78	शीर्ष	स्थगन प्रश्नोत्तर	स्थगन प्रस्तावों पर
83 से 100	शीर्ष	स्थगन प्रस्तावों पर— अध्यक्षीय व्यवस्था	—ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
104	अन्तिम से 13	क्वार्टस	क्वार्टर्स
105	9	मांए संख्या	मांग संख्या
109	16	कम दिया जाय	कम कर दिया जाय
112	अन्तिम से 12	,, ,, ,,	,, ,, ,,
116	17	मांम	मांग
121	अन्तिम से 8	शीर्षक 8	शीर्षक 38
123	,, 16	जा के	जा सके
138	3	आपमें	आपस में
,,	अन्तिम से 10	रते हैं	करते हैं
,,	,, 1	जमी	लाजिमी
139	,, 16	इतने रिसोर्सेज है कि लेवर को देने की इतने रिर्सोसेज हैं लि लेवर को देने की	इतने रिसोर्सेज हैं कि लेवर को देने की
143	,, 8	वप	वर्ष
158	अन्तिम से 20	हफ्ताह	हफ्ता
,,	,, 13	पैदावर	पैदावार